लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13—बुधवार, 10 अगस्त, 1966/19 श्रावण, 1888 (शक)

No. 13-Wednesday, August 10, 1966/Sravana 19, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos.		
360. खम्भात की खाड़ी में छिद्रण	Drilling in the Gulf of Cambay	1-4
361. विज्ञान मंदिर	Vigyan Mandirs	4-6
362. तेल की खोज के लिये अमरीकी सहयोग	U. S. Collaboration for Oil Exploration	6-10
365. रेयन कारखानों में श्रमिक	Workers in Rayon Factories	10-14
366. विदेशी मुद्रा कमाने के लिये डाक टिकटें	Stamps to earn Foreign Exchange	14-16
368. चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये शिक्षा	Education Programme for Fourth Plan	16-19
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	**Short Notice Question No.**	
7. बरहामपुर, उड़ीसा में विश्वविद्यालय	University at Berhampore, Orissa	19-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos.		
363. हरिजनों के लिये पदों का रक्षित किया जाना	Reservation of Posts for Harijans	23
364. तकनीकी स्कूल	Technical Schools	23-24
367. दिल्ली में अधिक कालेज	More Colleges in Delhi	24
369. टेलीविजन के बारे में चन्दा समिति की सिफारिशें	Chanda Committee Recommendations re. Television	24-25
370. विदेशी सहयोग से उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories with Foreign Collaboration	25
371. मिट्टी के तेल का उत्पादन	Production of Kerosene oil	25-26
372. बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	26
373. बर्मा से स्वदेश लौटाये गये भारतीय	Repatriates from Burma	26-27
374. शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये ऋण	House-building loans to Refugees	27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicate that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
375. छात्रों में अनुशासनहीनता	Indiscipline Among Students	27
376. मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी	M/S. Benett Coleman and Co.	27-28
377. आसाम में विद्रोही मिजो	Mizo Rebels in Assam	28
378. उत्तर भारत में भूचाल	Earthquake in Northern India	28-29
379. तकनीकी शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course for Technical Education	29
380. अध्यापन संस्था	Institute of Pedagogy	29
381. 'आमबुड्समैन'	Ombudsman	30
382. मनीपुर की पुलिस चौकी पर नागाओं का आक्रमण	Attack by Nagas on Police Post of Manipur	30
383. राजस्थान में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of displaced persons in Rajasthan	30-31
384. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	National Library, Calcutta	31
385. कलकत्ता में छात्रों में असन्तोष	Student unrest in Calcutta	31-32
386. ह्विटले संयुक्त परिषद् व्यवस्था	Whitley Joint Council System	32
387. टेलीफोन एक्सचेंन्ज एर्णाकुलम	Telephone Exchange, Ernakulam	92-33
388. तकनीकी पुस्तकों का आयात	Import of Technical Books	33
389. क्षेत्रीय निपटारा आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी लेखा विवरण	Statements of Account issued by the Regional Settlement Commissioner's Office	33.34
अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Question Nos.**	
1780. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का इंजीनियरी विभाग	Engineering Section of C. S. I. R.	34-35
1781. केरल में पाठ्य पुस्तकों की कमी	Scarcity of Text Books in Kerala	35
1782. वेल्लोडी समिति (केरल)	Vellodi Committee (Kerala)	35
1783. केरल में उर्वरक तथा रसायन उद्योग समूह	Fertilizer and Chemical Complex in Kerala	36
1784. भारत की लोक रचनाएं	Folk lore of India	36
1785. केरल में सरकारी कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता भण्डार	Consumer Stores for Government employees in Kerala	36-37
1786. चौथी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय	Libraries In Fourth Plan	37
1787. दिल्ली में शिक्षा के लिये एक प्राधिकार	Unified Authority for Education in Delhi	37-38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
1788. अखिल भारतीय संगीत परिषद्	All India Council of Music	38
1789. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था "पेन" का सम्मेलन	Congress of International PEN Association	38
1790. धनराज मिल्स के प्रबन्ध निदेशक को सजा	Conviction of Managing Director, Dhanraj Mills	38-39
1791. विदेशों को भेंट की गई पुस्तकें	Books presented to Foreign Countries	39
1792. संस्कृति सम्बन्धों की भारतीय परिषद द्वारा ग्रीष्म शिविरों का आयोजन	Summer Camps organised by I. C. C. R.	39,40
1793. केरल के लिये नये स्कूलों की मंजूरी	New Schools sanctioned for Kerala	40
1794. केरल में मडापल्ली कालेज भवन	Madapally College Building in Kerala	40-41
1795. केरल में डिग्री-पूर्व (प्रि-डिग्री कोर्स) पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी	Pre-Degree Course Candidates in Kerala	41
1796. चिकनाई वाले पदार्थों की कमी	Shortage of Lubricants	41
1797. कुट्टीयाडी (केरल) में सार्वजनिक टेलीफोन	P. C. O. at Kuttiyadi (Kerala)	41-42
1798. सुपर फास्फेट का कारखाना	Super-phosphate Factory	42
1799. नालन्दा विहार तथा हियेनसांग का स्मारक	Nalanda Vihara and Hieuntsang Memorial	42
1800. कोयला खानों में सुरक्षा नियम	Safety Rules in Coal Mines	43
1801. भारत में अमरीका की सेंट्रल इंटैलीजैन्स एजेन्सी	C. I. A. of U. S. A. in India	43
1802. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खेती योग्य भूमि का विकास	Development of cultivable land in Andamans and Nicobar Islands	43-44
1803. चमड़ा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Leather Industry	44
1804. इंजीनियरिंग उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industries	45
1805. गोमतेश्वर की संगमरमर की मूर्ति	Marble Idol of Gomateshwar	45
1806. नागा विद्रोहियों द्वारा गोली का चलाया या जाना	Firing by Naga Hostiles	46
1807. दिल्ली में व्यापार के घंटे	Business Hours in Delhi	46
1808. मिजो पहाड़ियों के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High Power Committee for Mizo Hills	46-47
1809. चाय बागानों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Tea Plantation	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं०		
S. Q. Nos.		
1810. हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय	University in Himachal Pradesh	47
1811. निरक्षरता उन्मूलन	Eradication of Illiteracy	48
1812. महावीर जयन्ती	Mahavir Jayanti	48
1813. अवैध शराब	Illicit Liquor	48-49
1814. आशुलिपिकों की परीक्षा	Stenographers Examination	49
1815. बच्चों के लिये पुस्तकें	Books for Children	49
1816. परीक्षा प्रणाली	Examination System	50
1817. उत्तर प्रदेश में नये विश्वविद्यालय	New University in U. P.	50-51
1818. काश्मीर से संसत्सदस्यों का चुनाव	Election of M. Ps. from Kashmir	51
1819. राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन	State Education Ministers' Conference	51
1820. वैज्ञानिक कार्य में समन्वय	Coordination in Scientific work	52
1821. "नेफा" में प्रधान कार्यालय	Headquarters of Nefa	52-53
1822. विकास खण्डों और पुलिस थानों में टेलीफोन	Telephone in Development Blocks and Police Stations	53
1823. कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices	53
1824. केरल में हिन्दी का प्रचार	Propogation of Hindi in Kerala	54
1825. विज्ञान के स्नातकों के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठयक्रम	Short Term Training Courses for Science Graduates	54
1826. राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में कुशल आपरेटर प्रशिक्षणार्थी	Skilled Operator Trainees in N. P. L.	54-55
1827. उद्योगों में कर्मचारी	Workers in Industries	55
1828. उत्तर प्रदेश में नये इंजीनियरिंग कालेज	New Engineering Colleges in U. P.	55-56
1829. उत्तर प्रदेश में जूनियर तकनीकी स्कूल	Junior Technical Schools in U. P.	56
1830. कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages of Agricultural Labour	56-57
1831. दिल्ली में पुलिस और अवैध रूप से शराब बनाने वालों के बीच मुठभेड़	Bootleggers-Police clash in Delhi	57
1832. दिल्ली में पुल मिठाई के निकट अग्नि-काण्ड	Fire near Pul Mithai, Delhi	57
1833. तिब्बती बच्चों के लिये स्कूल	Schools for Tibetan Children	57-58
1834. कुछ कम्पनियों द्वारा बोनस का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of Bonus by certain Companies	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. No.		
1835. बोनस भुगतान सम्बन्धी लेखा रजिस्टर	Registers of Payment of Bonus	58-59
1836. स्नातकों सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey of Graduates	59
1837. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षक भिन्न कर्मचारी	U. G. C. and non-teaching Staff	59-60
1838. कावेरी बेसिन में ड्रिलिंग	Drilling in Cauvery Basin	60
1839. उड़ीसा की लोक लेखा समिति द्वारा विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Special Audit Report by Orissa P. A. C.	60
1840. प्रतिजीवाणु पदार्थों (एण्टीबायटिक्स) औषधियों में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in Antibiotics and Drugs	60-61
1841. सीमावर्ती क्षेत्रों से विस्थापित हुए व्यक्तियों को आश्रय देना	Shelter to Displaced Persons from the Border	61
1842. आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज	Location of Oil in Andhra Pradesh	62
1843. केन्द्रीय बहुप्रयोजनीय स्कूलों की योजना	Scheme for Central Multipurpose Schools	62
1844. शिक्षा संस्थाओं सम्बन्धी फिल्में	Films on Educational Institutions	62-63
1845. राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की अनुसन्धान परियोजनायें	Research Project of National Council of Education	63
1846. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में छुट्टियां	Holidays in Government Offices	63-64
1847. औद्योगिक श्रमिकों के लिये सहकारी खुदरा भण्डार	Cooperative Ratail Stores for Industrial Labour	64
1848. वैज्ञानिकों को निकालने के नोटिस	Quit Notices to Scientists	64-65
1849. ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को वैज्ञानिक अभियान दल	Scientific Expedition to Great Nicobar Islands	65
1850. सूरत में तेल और गैस की खोज	Exploration of Oil and Gas in Surat	65-66
1851. सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बोनस	Bonus in Public Sector Units	66-67
1852. पुस्तक अध्यक्षों का वेतन क्रम	Pay Scale of Librarians	67
1853. खेमकरन क्षेत्र में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Khem Karan Area	67
1854. औद्योगिक लाइसेंस, कोटे और परमिटों का जारी किया जाना	Issue of Industrial Licences, Quotas and Permits	67-68
1855. बस्तर का शासक	Ruler of Bastar	68
1856. राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार	Corruption at Political Level	68
1857. कलकत्ता के निकट बोदरा में छिद्रण	Drilling at Bodra near Calcutta	68-69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
1858. मैसूर में जीठा प्रणाली	Jeetha System in Mysore	69
1859. बंगाली ज्ञानकोश एनसाइक्लोपीडिया	Bengali Encyclopaedia	69
1860. तेल कम्पनियों द्वारा बोनस का भुगतान	Payment of Bonus by Oil Companies	69-70
1861. फाजिल्का में मुस्लिम ढोर चराने वालों का घुस आना	Muslim Cattle Grazers in Fazilka	70
1862. आदिम जातीय अध्यापक	Tribal Teachers	70-71
1863. टेलीफोन सम्बन्धी आवेदनपत्रों के निपटाये जाने के बारे में जांच करने के लिये समिति	Commitee to enquire into disposal of Application for Telephone Connections	71
1864. केरल के लिये सलाहकार समिति	Consulative Commitee for Kerala	71-72
1865. नेफा तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये संयुक्त सेवा पदालि	Joint Service Cadre for Union Territories and NEFA	72
1866. मनीपुर के भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में जांच	Enquiry into Corruption Cases of Manipur	72
1867. दिल्ली प्रशासन द्वारा भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत इमारतों का अधिग्रहण	Requisitioning by Delhi Administration of Premises under D. I. R.	73
1868. कोचीन में पेट्रो केमिकल उद्योग समूह	Petro-chemical Complex at Cochin	73
1869. कालेजों के प्रिंसिपलों का सम्मेलन	Workshop of College Principals	73-74
1870. उर्वरकों तथा पेट्रो केमिकल उद्योग समूह में विदेशी पूंजी विनियोजन	Foreign Investment in Fertilizers and Petro-Chemical Complexes	74
1871. पाकिस्तानियों द्वारा पश्चिमी बंगाल की सीमा पर एक लड़की का अपहरण	Kidnapping of a Girl by Pakistanis on West Bengal Border	74-75
1872. मिजो विद्रोहियों द्वारा हमला	Mizo Attack	75
1873. पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन	Migrations from East Pakistan	75-76
1874. डाक तथा तार के हरकारों को लू लग जाना	Sunstroke Cases among P. and T Runners	76
1875. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल	Primary and Middle Schools	76
1876. मिजो नेशनल फ्रन्ट का वाइस प्रेजीडेंट	Vice-president of Mizo National Front	77
1877. विद्रोही नागाओं से विस्फोटक पदार्थों का बरामद होना	Recovery of Explosives from Naga Rebels	77
1878. नेफा प्रशासन	NEFA Administration	77-78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
1879. प्राथमिक शिक्षा के लिये "यूनेस्को" का कार्यक्रम	UNESCO PROGRAMME for Primary Education	78
1880. कलकत्ता में चित्रकारी सम्बन्धी प्रदर्शनी	Exhibition of Paintings at Calcutta	78
1881. गुजरात के पुलिस के भूतपूर्व इन्सपेक्टर जनरल	Former Inspector-General of Police Gujarat	78-79
1882. उड़ीसा में नये केन्द्रीय स्कूल	New Central Schools in Orissa	79
1883. केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद	Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad	79
1884. ऋण छात्रवृत्तियां	Loan Scholarships	79-80
1885. औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद	Industrial Tribunal, Dhanbad	80
1886. ड्यूटी पर तैनान रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की रक्षा	Protection for R.M.S. Employees on Duty	80-81
1887. एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रोजगार देना	Absorption of Emergency Commissioned Officers	81
1888. केरल में भूमि दिये जाने की मांग	Demand for Allottment of Land in Kerala	81
1889. मद्रास विश्वविद्यालय में दाखिला	Admission in Madras University	81-82
1890. पुलिस द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली का चलाया जाना	Police firings on Unarmed Crowds	82
1891. पर्वतारोहण अभियान	Climbing Expeditions	82-83
1892. डाक तथा तार मंत्रणा समिति	P and T Advisory Committee	83
1893. तेल की खोज की लागत	Cost of Oil Exploration	83
1894. तेल की खोज	Oil Exploration	83-84
1895. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets	84
1896. नजर बन्द चीनी नागरिक	Chinese Detention	84
1897. बंगलौर में गोलीकाण्ड	Firing in Bangalore	84-85
1898. मानचित्र सम्बन्धी कार्य	Mapping Work	85
1899. भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली (ऐटलस)	National Atlas of India	85-86
1900. भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल	Bhatatiya Shahid Sainik Vidyalaya, Naini Tal	86
1901. आसाम के तेल क्षेत्रों से निकाले गये परिवारों को मुआवजा	Compensation for families Evicted from oil Fields in Assam	86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. No.		
1902. श्रम न्यायालयों के अधिकार	Powers of Labour Courts	86-87
1903. बनकोला कोयला खान में दुर्घटना	Accident at Bankola Colliery	87
1904. गोरखपुर श्रम डिपो	Gorakhpur Labour Depot	87-88
1905. कोयला खानों के केन्द्रीय अस्पताल काल्ला (कंगाल) में वातानुकूलन यंत्र	Conditions in Coal Mines Central Hospital, Kalla (Bengal)	88
1906. पंजाब में मिट्टी के तेल में मिलावट	Adulteration of Kerosene Oil in Punjab	88
1907. सेवा निवृत्ति के पश्चात् प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का नौकरी में लगाना	Employment of Class I Officers after their Retirement	88-89
1908. अमरीका और कनाडा के साथ वैज्ञानिकों का आदान प्रदान	Exchange of Scientists with U.S.A. and Canada	89
1909. श्रीलंका से स्वदेश लौटाये जाने वाले भारतीय	Indians Repatriated from Ceylon	89
1910. राजनैतिक नजरबन्द व्यक्तियों के लिये भत्ता	Allowances for Political Detenus	89-90
1911. सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली में चिकित्सा सुविधायें	Medical Attention in Central Jail, New Delhi	90
1912. सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली में आफथैलमिक रोगी	Ophthalmic patients in Central Jail, New Delhi	90-91
1913. जाडवट ट्रेडिंग कम्पनी	Jadwat Trading Co.	91
1914. मद्रास सर्किल में रेलवे डाक सेवा का डाक छंटाई अनुभाग	R.M.S. Sorting Section in Madras Circle	92
1915. पत्रकारों के लिये सामाजिक सुरक्षा	Social Security for Journalists	92-93
1916. समझौते की कार्यवाही	Conciliation Proceedings	93
1917. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था	National Institute of Oceanography	94
1918. गुजरात में तेल की खोज सम्बन्धी परियोजनायें	Oil Exploration Projects in Gujarat	94
1920. आसाम में उर्वरक कारखाना	Fertiliser Plant, Assam	94-95
1921. नागाओं द्वारा हमला	Attack by Nagas	95
1922. बस्तर में स्कूल	Schools in Bastar	95
1923. बस्तर में आदिमवासी स्नातक	Adivasi Graduates in Bastar	95
1925. बरौनी तेल शोधन कारखाना	Barauni Refinery	96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. Q. No		
1926. रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of R.M.S. employees' Union	96
1927. रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये छंटाई परीक्षा	Sorting examination test for R.M.S. employees	96-97
1928. पाठ्य पुस्तकों के हिन्दी संस्करण	Hindi editions of text books	97
1929. पंजाब में व्यापारियों की गिरफतारी	Arrest of Traders in Punjab	97
1930. मिजो पहाड़ियों में हिंसात्मक कार्यवाहियों के कारण गिरफतारी किये गये लोगों की रिहाई	Release of persons arrested in Mizo Hills for violent activities	97-98
1931. मालिकों से भविष्य निधि में अंशदान	Provident Fund Contributions from employers	98
1932. रुसी जहाज द्वारा हिन्दी महासागर का अध्ययन	Study of Indian Ocean by Russian Vessel	98
1933. बम्बई के गोदी कर्मचारी	Dock Workers, Bombay	98,99
1934. त्रिपुरा के स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का दिया जाना	Payment of salaries to school teachers in Tripura	99
1935. त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Tripura Employees	99
1936. त्रिपुरा में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Tripura	99-100
1937. त्रिपुरा में भूमि का हस्तान्तरण	Land transfers in Tripura	100
1938. त्रिपुरा में छात्रावास	Boarding Houses in Tripura	100-101
1939. मद्रास सर्किल में डाकघर	Post offices in Madras Circle	101
1940. सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् में गबन	Embezzlement in I.C.C.R.	101
1941. दिल्ली में मेजर और मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी	Arrest of a Major and a Magistrate in Delhi	102
1942. सिन्धी साहित्य सभा से ज्ञापन	Memorandum from Sindhi Sahitya Sabha	102
1943. डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये उपदान	Gratuity for Extra Departmental Employees of P. and T. Deptt.	102-103
1944. बिहार में आदिमवासियों का शैक्षिक विकास	Educational Development in Adivasis in Bihar	103

अता० प्र० सं० U. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1945.	तेल कम्पनियों में छंटनी Retrenchment in Oil Companies	103
1946.	सेवा संस्था (सर्विस एसोसियेशन) का विनियमन Recognition of Service Association	103-104
1947.	बड़ौदा विश्वविद्यालय में दुर्लभ पाण्डु-लिपियां Rare Manuscripts in Baroda University	104
1948.	रजिस्ट्री के लिफाफे Registered Envelopes	104
1949.	खम्भात गैस क्षेत्र Cambay Gas Field	104-105
1950.	इंडिया आफिस लाइब्रेरी India Office Library	105
1951.	गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय Agricultural University in Gujarat	105-106
1952.	दिल्ली में आत्महत्या की घटनायें Suicide Cases in Delhi	106
1953.	त्रिपुरा में आदिम जातियों के लोगों के विरुद्ध अपराध के मामले Criminal Cases against Tribals in Tripura	106-107
1954.	त्रिपुरा के झूमिया लोगों को अनुदान Grants to Jhumias of Tripura	107
1955.	मैसूर राज्य में टेलीफोन Telephone connections in Mysore State	107
1956.	मैसूर में उर्वरक कारखाने Fertilizer Factories in Mysore	107-108
1957.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन Advertisements by U.P.S.C.	108
1958.	पंजाब में कर्मचारियों का स्थायी किया जाना Confirmation of Employees in Punjab	108
1959.	सरकारी उपक्रमों के प्रधानों का सम्मेलन Conference of Heads of Public Undertakings	109
1960.	डाक और तार अधिनियम Posts and Telegraphs Act	109
1961.	श्री जय प्रकाश नारायण की शेख अब्दुल्ला से मुलाकात Shri Jayaprakash Narayan's Meeting with Sheikh Abdullah	109-110
1962.	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कल्याण योजनायें Welfare Schemes for Industrial Workers	110
1963.	केरल में खेतिहर मजदूर Agricultural Labour in Kerala	110
1964.	उड़ीसा के डाकखानों में जमा धन Deposits in Post Offices in Orissa	111
1965.	अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें Complaints against personnel of All India Services	111
1966.	दिल्ली में सरकारी टेलीफोन Government Telephones in Delhi	111
1967.	उड़ीसा में बेरोजगार महिलाएं Unemployed Women in Orissa	111-112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अतां० प्र० सं० U. Q. No.		
1968. नजफगढ़ के कुएं में शव का पाया जाना	Dead Body found in Najafgarh Well	112-113
1969. मध्य प्रदेश सरकार के साथ पत्र व्यवहार	Correspondence with Madhya Pradesh	113
1970. भारतीय तेल निगम के विक्रय से सम्बन्धित कर्मचारी	Marketing Staff of I.O.C.	113
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	114-115
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	115
बिहार सरकार के निष्कासन आदेश के बारे में	Re. Externment Order by Bihar Government	115
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में वक्तव्य श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Statement Re. Question of Privilege Shri C. Subramaniam	116-119
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	119-120
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बयानवेवां प्रतिवेदन	Committee on private Member's Bills and Resolutions Ninety second Report	120
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Commitee	120-121
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Education	
संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twentieth Amendment) Bill	121-130
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G.S. Pathak	
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	
श्री अलवारेस	Shri Alvares	
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh	
श्री गो. ना दीक्षित	Shri G.N. Dixit	
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	
श्री युद्धवीर सिंह	Shri Yudhvir Singh	
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D.C. Sharma	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री प्रताप सिंह	Shri Pratap Singh	
डा. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L.M. Singhvi	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री ज. ब. सिंह बिष्ट	Shri J.B.S. Bist	
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Sidhanti	
श्री गोपाल दत्त मेंगी	Shri Goapl Datt Mengi	
डा. मा. श्री अणे	Dr. M.S. Aney	
खण्ड 2 और 1	Clause 2 and 1	
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G.S. Pathak	
देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Present Economic Situation in the Country	130-136
श्री कृ. चं. शर्मा	Shri K.C. Sharma	
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsinghka	
श्री मुथिया	Shri Muthiah	
श्री रामेश्वर टांटिया	Shri Rameshwar Tantia	
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	
भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगार के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion Re. Employment of Ex-Servicemen	136-139
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 10 **अगस्त** 1966 / 19 **श्रावण**, 1888 (**शक**)
Wednesday, August, 10, 1966 / Sravana, 19, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खम्भात की खाड़ी में छिद्रण कार्य (ड्रिलिङ्ग)

\+
*360. **श्री नम्बियार :** **श्री राम सेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री मौर्य : **श्री दिगे :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अमराकी तेल कम्पनियों को खम्भात खाड़ी क्षेत्र में तेल निकालने के अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या रूसी विशेषज्ञों ने भूकम्पीय जांच द्वारा तेल की उपलब्धि का पता लगाने के लिये हाल ही में इस क्षेत्र में छानबीन की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा किये गये सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) कैम्बे के अतटीय क्षेत्रों में सहयोग के लिये कुछ अमरीकी तेल कम्पनियों से प्राप्त हुई पेशकशों पर बातचीत हो रही है।

(ख) जी हाँ।

(ग) कैम्बे खाड़ी के कुछ हिस्सों एवं अरब सागर के संलग्न क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों की विद्यमानता के अनुकूल भूगर्भीय स्थितियों के चिन्ह पाये गये।

श्री नम्बियार : यदि यह सच है कि रूसी तेल कम्पनियों के विभाग को इस क्षेत्र में तेल का पता लगा है, तो फिर हमारे लिये रूसी सहायता से तेल निकालना क्यों सम्भव नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि हमने पहले सर्वेक्षण आरम्भ किये थे। हमने रूसियों से कहा था और उन्होंने हमें सर्वेक्षण करने का एक जहाज देकर हमारी सहायता दी थी। उससे खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण किया गया और कुछ भूखण्डों का पता लगाया। इससे पहले भी हमारे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भी एक जहाज से उसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने भी कुछ और भूखण्डों का पता लगाया। अतः तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और रूसी सर्वेक्षण जहाज दोनों ने भूखण्डों का पता लगाया है। भूखण्डों का पता लगाना अलग चीज है और छिद्रण कार्य करना अलग चीज है। जहां तक छिद्रण का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है कि भूखण्डों का छिद्रण पता लग गया है तो हमें वहां पर छिद्रड़ कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या उनके पास ऐसी तकनीकी जानकारी आदि है जिससे हमारी सहायता हो सके। रूसी तकनीक केवल 50 से 60 फुट की गहरे पानी में ही काम में लाई जा सकती है। परन्तु इन स्थानों पर गहराई अधिक है। यही कारण है कि हम विदेशों से और सहयोग ले रहे हैं।

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि ऐशलैंड कम्पनी ने, जिसके साथ हम करार करने जा रहे हैं या जिससे इस सम्बन्ध में बात चीत हो रही है, इसमें शर्त शामिल करने के लिये कहा है। वह शर्त यह है कि हमें 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन बाहर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिये या हम सारे उत्पादन को अपने देश में ही रखने की स्थिति में हैं ?

श्री अलगेसन : अभी बातचीत चल रही है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि सरकार 51 प्रतिशत-अर्थात् बहुसंख्या को अपने पास रखेगी और वे केवल 49 प्रतिशत को रखेंगे। जहाँ तक तेल का सम्बन्ध है, आपस में तय पाये गये मूल्यों पर तेल लेने का हमारा पहला अधिकार होगा।

Shri Vishwanath Pandey : The Hon. Minister has just now said that some negotiations are going on with American companies for the exploration of oil and the Russian experts have also surveyed this area. May I know whether apart from American Companies and Russian experts oil has been explored in the Gulf of Cambay by our Oil and Natural Gas Commission, if not the reasons therefor ?

Shri Iqbal Singh : First of all the survey was made by the Oil and Natural Gas Commission, an organisation of the Government of India and after that the survey was made with Soviet Collaboration.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मन्त्री ने कहा कि कुछ अमरीकी तेल कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत का आधार क्या है और क्या यहां उनका अपना नियन्त्रण प्राधिकार होगा या साम्य अंश प्रणाली होगी जिसमें 51 प्रतिशत अंश सरकार के होंगे।

श्री अलगेसन : जैसा कि मैंने बताया अभी बातचीत चल रही है परन्तु ऐसा समझा जाता है कि सारा जोखिम व्यय वे वहन करेंगे; अर्थात् वे चलता फिरता प्लेटफार्म लायेंगे, वे छिद्रण करेंगे और तेल मिलने तक सारा खर्च वे वहन करेंगे। तेल मिल जाने पर हम 51 : 49 के अनुपात से खर्च बांटेगें।

श्री जोकीस आल्वा : सरकार जानती है कि इन सब कार्यों में, शक्तिशाली ब्रिटेन-अमरीकी उच्च कम्पनियाँ हमको कभी भी आत्म निर्भर नहीं बनने देती। पिछले वर्षों में यही होता रहा है। दूसरी ओर रूसी और पूर्व के देश ही थे जिन्होंने हमें पहले रास्ता दिखाया और बताया कि हमारे देश में तेल है। हम अब भी इन राजनीतिक शर्तों के साथ क्यों बन्धे हुए हैं और भविष्य के लिये हमारी नीति क्या है ?

श्री अलगेसन : किसी देश या कम्पनी द्वारा हमें अपने देश में तेल की खोज करने से रोकने का प्रश्न नहीं है। वह समय अब चला गया। 1966 में अर्थात् इस वर्ष हमने स्वयं तेल की खोज का काम आरम्भ किया है और हम अपने देश की 25 से 30 प्रतिशत अशोधित तेल की मांग को पूरा कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों से सहयोग प्राप्त करने का समय है जिनके पास न केवल तकनीकी जानकारी ही है अपितु जो विदेशी मुद्रा भी खर्च कर सकेंगे।

श्री हेम बरूआ : क्या खम्भात की खाड़ी में छिद्रण कार्य के लिये कुछ अमरीकी कम्पनियों से बातचीत करने का निर्णय करने से पूर्व इस प्रयोजन के लिये विश्व के सभी देशों से टेंडर मँगाये गये थे या नहीं ?

श्री अलगेसन : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा क्योंकि न केवल तट-दूर क्षेत्रों अपितु भूमि वाले क्षेत्रों में भी छिद्रण कार्य के लिये सहयोग प्राप्त करने के लिये बातचीत 1959–60 में आरम्भ हुई थी और तत्कालीन मन्त्री ने संसद में वक्तव्य दिया था कि चूँकि हमें अशोधित तेल चाहिये इसलिये विदेशी तेल कम्पनियों के सहयोग की आवश्यकता है। अतः यह केवल अमरीकी या अन्य कम्पनियाँ नहीं हैं परन्तु ऐसी सभी कम्पनियों को निमंत्रित किया गया था जिनको तकनीकी जानकारी है और खर्च करने के लिये पैसा है और जो आकर सहायता करना चाहती हैं।

श्री दाजी : क्या सरकारी क्षेत्र में इस क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में किसी और देश या फर्म से कोई तुलनात्मक प्रस्ताव आया था और क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को मान्यता देकर उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था।

श्री अलगेसन : जी नहीं ; ऐसी बात नहीं है।

Shri R. S. Pandey : Is it not a fact that we had requested several countries, particularly those who had specialised in oil-refining to supply drilling machines for drilling in

the gulf of Cambay, but they refused to supply those machines as a result there of our work suffered ?

Shri Iqbal Singh : So far as the gulf of Cambay is concerned, we have not started drilling there yet. In 1964 an agreement was concluded with an Italian Firm E. N. I. for contract drilling. Their platform, over which they were to start drilling was destroyed in Italian Sea. After that they communicated to the Government of India that it could not do that work. Later, offers have been received from several other companies and negotiations are going on.

विज्ञान मन्दिर

*361. **श्री मौर्य :** **श्री किशन पटनायक :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना-अवधि में विज्ञान मंदिर स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के स्वरूप (पैटर्न) के प्रश्न पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्दरन) :

(क) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Maurya : As the development of science is of paramount importance in the present day world, have the Central Government framed any scheme for giving assistance especially to the States ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही प्रत्येक जिले में एक विज्ञान मंदिर चालू करने का एक योजना बद्ध कार्यक्रम था, परन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूरा होने पर, वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को इसकी मंजूरी दी हैं ताकि राज्य सरकारें वर्तमान विज्ञान मन्दिरों की देख भाल करें । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये कुछ धन का उपबन्ध किया गया है जिस पर अभी अंतिम निर्णय लेना है ।

Shri Maurya : Have Government prepared any scheme, for those small Science Colleges also which are mostly private institutions and which are receiving Central Assistance but do not have adequate Science teaching facilities ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : विज्ञान मंदिर सरकारी या गैर-सरकारी कालिजों में विज्ञान के शिक्षण के लिये नहीं है अपितु, वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और अन्य व्यक्तियों को कृषि संबन्धी जानकारी देने और ग्रामीण जनता को कुछ अन्य न्यूनतम वैज्ञानिक जानकारी देने के लिये हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : विज्ञान मन्दिरों का सारा मामला इस बात का प्रमाण है कि सरकार इतनी धीमी गति से काम करती है कि वह, प्रत्येक प्रकार की प्रगति और विशेष रूप से किसानों को वैज्ञानिक शिक्षा देने के मामले में किये गये सभी वायदों के विरुद्ध है। एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने कुछ सिफारिशें की थी। अभी तक उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। अभी तक इस मामले को विचाराधीन क्यों रखा गया है और अब भी यह क्यों लम्बित पड़ा है ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : बलवन्त राय समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। क्योंकि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम समझा जाता था, इसलिये उस समिति ने सिफारिश की थी कि इसकी अच्छी क्रियान्विति के लिये, इन विज्ञान मन्दिरों के प्रशासन को राज्य सरकारों को दे दिया जाये और 1963-64 में ऐसा कर दिया गया था। वित्त के बारे में यह सिफारिश थी कि सौ प्रतिशत आवर्ती व्यय और उपकरणों का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाये और ऐसा 1965-66 में कर दिया गया है। परन्तु स्थान और इमारतें राज्य सरकारों द्वारा दी जानी होती हैं। मैंने स्वयं कई राज्य सरकारों से बातचीत की है और मुझे खेद है कि कुछ सुविधाएँ देकर विज्ञान मन्दिरों की संख्या बढ़ाने के बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। फिर, यह सहायता ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को भी दी गई थी जिनमें ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र आदि हैं।

वित्त आयोग की सिफारिश यह थी कि तृतीय योजना में योजना आयोग की जिन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है उनको पूर्ण रूप से राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिये और नये विज्ञान मंदिर जो खुलने वाले हैं उनका काम हमें अपने हाथ में ले लेना चाहिये। राज्य सरकारों को अधिक रुचि दिखानी चाहिये और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Sir, the hon. Minister stated that these Vigyan Mandirs will mainly be for the villagers. In view of the fact that the conditions differ from state to state may I know whether different schemes have been prepared for different states on the basis of their requirements for the dissemination of scientific knowledge amongst the students and lowly educated farmers specifically for agriculture and rural industries ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : उन्हें राज्य सरकारों को केवल दिया गया था कि उनकी सुविधाओं का अधिक उपयोग किया जायेगा। वहाँ पर एक प्रयोगशाला है, एक पुस्तकालय है, एक संग्रहालय है और फिर विभिन्न गोष्ठियाँ और अल्पकालीन पाठ्य-क्रम आयोजित किये जाते हैं और किसानों में विज्ञान क्लब बनाये जाते हैं। यह समझा जाता था कि इन विज्ञान मन्दिरों के प्रशासन को राज्यों को हस्तांतरित करने और सामुदायिक विकास विभागों द्वारा रुचि लिये जाने से ये अच्छा कार्य करेंगे और यह सिफारिश बलवन्त राय समिति ने भी दी थी।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं उन व्यक्तियों में से एक हूँ जिन्होंने विज्ञान मन्दिरों का दौरा किया है और मैं समझता हूँ कि उनको विज्ञान मंदिर कहना गलत है। उनमें किसी भी प्रकार के मंदिरों में वास्तु-कला सौंदर्य नहीं है; उनमें कोई प्रयोगशाला या पुस्तकालय या इस प्रकार की कोई चीज नहीं हैं। वहाँ केवल मकड़ी के जाले और धूल ही है। जब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये पैसा दे रही है, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि

ये विज्ञान मंदिर वास्तव में विद्यार्थियों और ग्रामीण जनता के हितों को लाभ पहुँचे और कृषि विज्ञान की जानकारी फैले सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : विज्ञान मंदिर, यदि उचित रूप से कार्य करें, उनका उचित उपयोग किया जाये, उनका उचित आयोजन हो, तो ये हमारे देश में विज्ञान के प्रचार में एक बड़ा योग दे सकते हैं। विज्ञान मन्दिरों से हमारा अर्थ है कि हमें विज्ञान को गाँवों में फैलाना। आखिर भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमारे कालिजों में विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाएं होंगी, परन्तु हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और इस योजना को अच्छे इरादों को लेकर बनाया गया था। पहले केन्द्र के पास प्रशासनिक प्रभार था और फिर जैसा कि मेरे साथी ने बताया, समिति की सिफारिशों के अनुसरण में हमने इसे राज्यों को सौंप दिया। क्या मैं आँकड़े दे सकता हू। ये इतने बुरे नहीं हैं जितने कि लगते हैं।

स्थिति यह है कि 320 विज्ञान मंदिरों की हमारी योजना है। इस समय विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 52 विज्ञान मंदिर हैं। मेरे एक माननीय मित्र ने पूछा था, राज्यों में किस प्रकार के विज्ञान मंदिर होने चाहियें क्या इसका निर्णय राज्य करते हैं। मेरा उत्तर है जी हाँ; काफी हद तक ऐसा है। राज्य सरकार योजना भेजती है; हम उसका अनुमोदन करते हैं और फिर विज्ञान मंदिर स्थापित किया जाता है।

मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। विज्ञान से हमारा अर्थ एक प्रयोगशाला ही नहीं है, विज्ञान मंदिर एक ऐसी संस्था होनी चाहिये जहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति अधिक खर्च वाले प्रयोगों के बिना ही विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सकें और खेती बाड़ी के विषय में कुछ जान सकें।

श्री हेम बरूआ : आपका विचार तो अच्छा है परन्तु, यह क्रियान्वित नहीं होता।

श्री मु० क० चागला : मुझे खेद है कि राज्यों ने इस योजना में उतनी रुचि नहीं ली है जितनी हमने ली।

Shri Yashpal Singh : What is the use of having this scheme ? After spending crores of rupees they will say that the experiment was not successful. I want to tell the hon. Minister that the shortage of agricultural production is not due to the lack of scientific knowledge there but due to shortage of water. Instead of spending money on Vigyan Mandirs Government should spend that money on the digging of canals and tube wells. The scientific knowledge which the Government is propagating is useless. That cannot yield any benefit. So, will the hon. Minister consider to lay more emphasis on practical knowledge than on scientific knowledge ?

श्री मु० क० चागला : विज्ञान बिलकुल बेकार नहीं है। मैं अपने माननीय मित्रों को आश्वासन देता हूँ कि यदि हमारे देश में विज्ञान की अधिक जानकारी होगी तो हमारा उत्पादन अधिक होगा और अच्छा होगा। हमारे लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बनेंगे और अपने द्वेष और वहम को छोड़कर राष्ट्र एक आधुनिक बना सकेंगे।

U. S. Collaboration for Oil Exploration

*362. **Shri Vishwa Nath Pandey** :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 730 on the 23rd March, 1966 and state :

(a) whether five U. S. Oil Companies have offerred to collaborate with Government in exploring oil in India ;

(b) if so, whether the negotiations in this regard have reached the final stage , and

(c) the result thereof ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) आधे दर्जन से अधिक फर्मों ने सहयोग देने की इच्छा प्रगट की थी परन्तु विस्तृत प्रस्ताव केवल दो फर्मो से मिले हैं ।

(ख) बातचीत हो रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Viswa Nath Pandey : May I know whether companies of some other countries have also sent proposals in this connection apart from these American Companies ?

Shri Iqbal Singh : We have received offers from 6 American Companies. Earlier B. O. C. has also shown some interest but afterwards they were reluctant. Russia has also offered.

Shri Vishwa Nath Pandey : Why Government do not deploy their own departments as the Survey Department to do survey work ? The reasons for this are not that they have not got modern equipment and therefore foreign assistance is being sought ?

Shri Iqbal Singh : As far as the off-shore exploration of oil is concerned, there is much progress. But very few countries have equipment for off-shore exploration of oil. For this three methods are prevalent in the world. One is fixed platform method adopted in Russia. Second is floating platform method perfected by America and the third is mobil platform method , perfected in Italy and France etc. Except these Countries, no other country of the world has these equipment.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि खम्भात की खाड़ी में तट-दूर तेल की खोज करने के लिये हमने एशलैंड आयल कम्पनी नामक एक छोटी अमरीकी कम्पनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और यदि हां, तो इस छोटी कम्पनी को चुनने तथा 6 महीनों में ही बातचीत पूरी कर लेने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सच है कि यदि उन्हें तेल मिल जाता है तो वे ही इसको निकालेंगे ।

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : यह एक छोटी कम्पनी है और मेरे विचार में इससे हमें अधिक लाभ होगा क्योंकि हम उन तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय बड़ी कम्पनियों में से किसी से भी सहयोग नहीं कर रहे हैं । मैं हैरान हूँ कि माननीय सदस्य एक छोटी कम्पनी के साथ हमारे सहयोग के बारे में आपत्ति करते हैं। एक वर्ष से भी अधिक समय तक बातचीत चलती रही । हम उनका सहयोग इसलिये चाहते हैं क्योंकि उनके पास तकनीकी जानकारी के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की, जिसकी काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, भी व्यवस्था है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । यह हो सकता है कि मैं अपने प्रश्न को स्पष्ट न कर पाई हूँ । प्रश्न छोटी अथवा बड़ी कम्पनी का नहीं है । वह

विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके कारण हमने एक छोटी कम्पनी के साथ समझौता किया है ? हमें इससे कोई विशेष लाभ हुआ है ?

श्री अलगेसन : हमने अभी उनसे समझौता नहीं किया है। अभी बातचीत चल रही है। समझौता करना अभी बाकी है। मैंने इस बात का अभी उत्तर दे दिया है कि हम उनसे सहयोग क्यों करना चाहते हैं। तट-दूर छिद्रण के बारे में हमारे पास तकनीकी जानकारी नहीं है। यह एक विशेष प्रकार का काम है और इस बारे में हमारे पास तकनीकी जानकारी नहीं है।

Shri Bhagwat Jha Azad : There was a time when a big American, Shri Dulles had said that not a single drop of oil could be found in India, but to day these American Companies are showing great interest in coming to India. May I know the nature of concessions allowed by the Government of India as a result of which they want to come to India for this purpose ?

Shri Iqbal Singh : This question does not arise as some American firms are already setting up refineries here. They have their own distribution system here since long. So far as our own exploration is concerned, we have made enough progress in this field. A large number of countries have helped us and Russia has also helped us. Now the American Companies want to come here because the Government of India want to exploit oil resources of our sea so that our shortage of crude oil is removed. This work can be entrusted to a company that can deliver the goods.

Shri Rameshwaranand : Time and again it is told that we have made a lot of progress but whenever there is any job, whether small or big, they say that we have no technical know-how in this regard and foreign experts are called to do the job. In these circumstances, how can we become self-reliant either in the field under reference or in any other field and if we can achieve self-reliance, may I know the time by which we will be able to achieve this end ?

Shri Iqbal Singh : We are trying to achieve self-sufficiency and a day must come when we will be self-reliant.

Shri Sheo Narain : May I know whether the Government of India has ever given any opportunity to Japanese people to collaborate with us in this field as they are considered to be experts in oil exploration in Saudi Arabia.

Shri Iqbal Singh : We have not given any opportunity to them. But if they show any interest, we welcome it.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार ने वापस लौटाये जाने वाले अधिकतम मुनाफे के तथा इस विदेशी सहयोग के बारे में बराबर की भागीदारी के सम्बन्ध में कोई मूल मानदण्ड निश्चित किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अलगेसन : इसमें 51 हिस्से सरकार के होंगे और 49 हिस्से विदेशी सहयोगी के होंगे।

मैं यह भी बता दूँ कि हमें तीसरे योजना काल में 318 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का 320 लाख टन अशोधित तेल बाहर से मंगाना पड़ा। चौथी योजना के दौरान, अनुमान है कि हमें 470 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का 490 लाख टन अशोधित तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा। यदि हम अपने प्रयत्नों से 10 लाख टन अशोधित तेल का अधिक उत्पादन कर लेते हैं तो इससे 9.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकेगी। इसीलिये हम जल्दी कर रहे हैं।

श्री नम्बियार : पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि सोवियत संघ 50 फुट से आगे तट-दूर छिद्रण नहीं कर सकता है जबकि दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि सोवियत संघ ने सहयोग देने की पेशकश की है। दूसरे प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तेल की खोज करने में रूस का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं किया जाता जबकि सोवियत संघ भारत के लिये तेल प्राप्त करने में बहुत ही दिलचस्पी ले रहा है ?

श्री इकबाल सिंह : मैंने केवल यह कहा है कि रूसी तरीके से केवल 50-60 फुट तक ही छिद्रण करना व्यवहार्य है। हमारी कठिनाई यह है कि जितने भूखण्ड हमें अब तक मिले हैं वे 50-60 फुट से भी अधिक गहराई पर छिद्रण के लिये हैं। अब 200 फुट गहरे में भी छिद्रण किया जा सकता है।

श्री शिवाजीराव शं देशमुख : मन्त्री महोदय ने बताया कि रूस वाले इस क्षेत्र में हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं। तट-दूर छिद्रण के लिये उपयुक्त ड्रिलों तथा प्लेटफार्मों और सहायक मशीनों के सम्बन्ध में हमारी क्षमता का विकास करने के बारे में रूस वालों ने क्या सुझाव दिये थे और रुपयों में भुगतान के आधार पर रूस वाले कहां तक वित्तीय सहयोग देने के लिये तैयार थे ?

श्री इकबाल सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया तट-दूर छिद्रण के तीन तरीके हैं। एक है फिक्सड प्लेटफार्म अथवा रूसी तरीका; इस तरीके से केवल 50-60 फुट तक ही छिद्र किया जा सकता है। दूसरा तैरने वाले प्लेटफार्म का तरीका है। इस तरीके में अमरीका वालों ने विशेषता प्राप्त की है। इसके द्वारा 600 फुट तक छिद्र किया जा सकता है। तीसरा मोबाइल तरीका है जिससे 50 से 200 तक छिद्र किया जा सकता हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिये। रूस वाले कितना वित्त लगाने के लिये तैयार थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह तरीका ही उपयुक्त नहीं है तो वित्त लगाने का प्रश्न ही कहां उठता है ?

श्री दाजी : हमें और पाकिस्तान को जो यह दुःखद अनुभव हुआ है कि अमरीकी और अंग्रेजी कम्पनियाँ छिद्र करती चली गईं परन्तु कोई तेल नहीं निकाल सकीं उसको ध्यान में रखते हुये छिद्रण-कार्य के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गई है अथवा जो माल तैयार किया जाता है उसके विपणन के बारे में कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

श्री अलगेसन : जहां तक विपणन का सम्बन्ध है जितना तेल निकलेगा वह हम ले लेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी कमी है और हमें बहुत अधिक तेल का आयात करना पड़ता है।

श्री दाजी : क्या तेल से तैयार की गई वस्तुओं का विपणन सरकार अथवा कम्पनी द्वारा किया जायेगा ?

श्री अलगेसन : 51 प्रतिशत तो हमारा होगा ही और शेष 49 प्रतिशत को हम निश्चित दरों पर ले लेंगे।

श्री नम्बियार : क्या कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

श्री अलगेसन : समय-सीमा 20 वर्ष होगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि खोज की सम्भावना यह पता लगाने के लिये कि तेल है अथवा नहीं, के लिये कोई समय-सीमा है । वह पट्टे की सारी अवधि के बारे में नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री अलगेसन : यदि हम खोज करना अब आरम्भ करते हैं तो इस बात का पता लगाने के लिये हमें तीन वर्ष लगेंगे कि तेल है अथवा नहीं । हम तेल केवल तीन वर्षों के पश्चात ही निकाल सकेंगे ।

रेयन कारखानों में श्रमिक

*365 **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेयन कारखानों में काम करने वाले श्रमिक धुएं के कारण प्राय: व्ययसायजन्य रोगों से पीड़ित रहते हैं ।

(ख) यदि हां, तो नियोजकों को अपने खर्च पर सभी श्रमिकों का बीमा करवाने के निमित बाध्य करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन कारखानों में श्रमिकों के लिये अन्य किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) यदि उचित स्वास्थ्य उपाय न अपनाये जायें तो विस्कोज रेयन कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के कार्बन डाईसलफाईड, सलफर डाईऑक्साईड तथा हाईड्रोजन सलफाईड के वाष्प से रोग ग्रस्त होने की सम्भावना है ।

(ख) नियोजकों को अपने खर्च पर श्रमिकों का बीमा करवाने के लिये वाध्य करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये कारखाने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की परिधि में आते हैं और इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को चिकित्सा, बीमारी तथा शारीरिक असमर्थता लाभ मिलते हैं ।

(ग) सुविधाओं की व्यवस्था कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होती है और राज्यों के कारखाना निरीक्षकों को यह अधिकार है कि वे इन सुविधाओं को उपलब्ध करवायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : जो उत्तर दिया गया है वह बहुत ही खेदजनक है । मेरा प्रश्न था : क्या यह सच है कि रेयन कारखानों में काम करने वाले श्रमिक धुएँ के कारण प्राय: व्यवसायजन्य रोगों से पीड़ित रहते हैं और माननीय मन्त्री ने बताया कि 'विस्कोज' विभाग में काम करने वाले रोगों से पीड़ित रहते हैं परन्तु इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी उत्तर दिया कि चूंकि ये कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की परिधि में आते हैं, इसलिए यदि वे रोगी हैं तो उनका उचित उपचार किया जायेगा । मेरा प्रश्न यह है : क्या यह सच है कि इस प्रकार के

तकनीकी कार्य के, जिससे व्यवसायजन्य रोग हो जाते हैं, संकटों के लिये नियोजकों ने अतिरिक्त वेतन देने अथवा विस्कोज़ में धुएँ से उचित बचाव करने से इन्कार कर दिया है, और यदि हां तो क्या सरकार ने उनका बचाव करने हेतु अथवा वेतन बढ़ाने के बारे में रेयन उद्योग को कोई हिदायतें दी हैं।

श्री शाहनवाज खां : कई रेयन कारखानों में सर्वेक्षण करने के पश्चात कारखाना मंत्रणा सेवा महानिदेशक ने कुछ सिफारिशें की थी जिनका अभिप्राय ऐसे कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा करना था। अधिकांश मामलों में इन सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि बम्बई, कानपुर, और अन्य स्थानों पर सभी रेयन कारखानों के मजदूर संघों ने सर्वसम्मति से एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की माँग की है जो न केवल सेवा-शर्तों पर ही परन्तु कार्य करने की परिस्थितियों पर भी विचार कर सके, और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या मजूरी बोर्ड का गठन किया जायेगा।

श्री शाहनवाज खां : मजूरी बोर्ड की बिल्कुल ही एक अलग बात है। कारखाना मंत्रणा सेवा के महानिदेशक ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत वह 'विस्कोज' संयंत्रों में कार्य करने की दशा का विस्तृत सर्वेक्षण करने जा रहे हैं और वास्तव में उन्होंने नाग्दा संयंत्र के कार्य-भारी निदेशक को अनुदेश दिये हैं कि वह प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखें और विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ करायें। इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा तो एक विशिष्ट प्रश्न था। क्या रेयन कारखानों के कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से यह माँग की है कि एक ऐसा मजूरी बोर्ड बनाया जाय जो उनकी सेवा-शर्तों को अच्छा बनाने मजूरी बढ़ाने तथा उनके द्वारा किये जा रहे संकटमय कार्य के बारे में विचार करे। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मजूरी की दरों के बारे में तो मजूरी बोर्ड विचार कर रहा होगा और वे कार्य की दशा तथा इसमें अन्तर्गस्त जोखिम को भी ध्यान में रखेंगे। वह कहते हैं कि यह एक अलग मामला है अत: उन्हें इसका उत्तर नहीं देना है। मजूरी बोर्ड के बारे में उन्होंने उत्तर दे दिया है कि.....

श्री स० मो० बनर्जी : यदि वह उत्तर नहीं दे सकते हैं तो उन्हें पूर्वसूचना के लिये कहना चाहिये।

श्री अ० प्र० शर्मा : उपमन्त्री महोदय ने अभी बताया कि रेयन कारखानों में सर्वेक्षण किया गया है। इस सवक्षण के परिणाम क्या निकले हैं ? क्या इससे मालूम हुआ है कि कितने श्रमिक व्यवसायजन्य रोगों से पीड़ित हैं और उनको कितना प्रतिकर दिया गया है ?

श्री शाहनबाज खां : सर्वेक्षण से रोग और विष के कुछ मामलों का पता लगा है।

अध्यक्ष महोदय : वह आंकड़े चाहते हैं। क्या वह दे सकते हैं।

श्री शाहनवाज खां : कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत हमें किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the recommendations made by the Inspector-General of Factories 10 or 12 years ago that the working hours in these factories should not exceed 5 hours and their service tenure should also not be more than five years, have been implemented and if not, the reasons therefor and the action going to be taken against factories where these recommendations are not being implemented ?

Shri Shahnawaz Khan : Most of the factories have accepted these recommendations.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I can give an instance where these have not been accepted.

Mr. Speaker : He says that these have been accepted. Now what should I do ?

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : These are not being implemented at all and the workers are very much distressed.

Mr. Speaker : He may send this particular instance to the hon. Minister in writing.

Shri Shahnawaz Khan : I said that most of the factories have accepted these recommendations.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या कोई ऐसे पूर्वोपाय किये गये हैं जिससे ये रोग श्रमिकों में फैलने न पायें और यदि हां तो वे क्या हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जो पूर्वोपाय किये गये हैं वे कारखाना अधिनियम तथा अनुसूची में दिये गये हैं। यह सुनिश्चित करना कारखाना निरीक्षालय का काम है कि श्रमिकों को ऐसी दशाओं में कार्य न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकर हैं ।

श्री ओझा : प्रोद्योगिकीय तथा औद्योगिक विकास के कारण, अब यह सुविदित है कि उद्योगों में श्रमिक व्यवसायजन्य रोगों से पीड़ित रहते हैं और सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं है लाइसेंस देने से पहले क्या सरकार को नियोजकों से आग्रह नहीं करना चाहिये कि वे श्रमिकों की सुरक्षा के लिये ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनमें रोग न फैले ?

श्री शाहनवाज खां : यह किया जाता है ।

श्री प्रिय गुप्त : कारखाना तथा अन्य प्रतिकर अधिनियमों के उपबन्धों में त्रुटियाँ होने के कारण इन के अन्तर्गत व्यवसायजन्य रोगों के लिये प्रतिकर की अदायगी नहीं की जाती है । क्या सरकार कारखाना अधिनियम तथा श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची का संशोधन करने की बात पर विचार करेगी ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : यह एक सामान्य प्रश्न है । यदि वह उन विशिष्ट उपबन्धों का उल्लेख करते हैं जिनमें त्रुटियाँ हैं, तो हम इन पर निश्चय ही विचार करेंगे ।

श्री दाजी : सभा को यह सुनकर धक्का लगेगा कि विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में

बताया गया है कि 20 प्रतिशत श्रमिक उल्टी करने, 15 प्रतिशत नींद न आने तथा 5 प्रतिशत शक्तिहीनता से पीड़ित हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई इस विशेषज्ञ समिति ने दो सिफारिशें की थीं। एक यह कि कार्यकाल 5 घंटे होना चाहिये और दूसरी यह कि गैस विभाग पूरी तरह से वातानुकूलित होना चाहिये। क्या देश में इनमें से कोई सिफारिश किसी कारखाने में क्रियान्वित की गई है ?

श्री शाहनवाज खाँ : जैसा कि मैंने पहले बताया, यहां अभी 10 ऐसे कारखाने हैं जिनमें से अधिकांश ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है।

श्री दाजी : 5 घंटे का सप्ताह होने के बारे में क्या स्थिति है ? (**अन्तर्बाधा**) क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि वह किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhayiaya : I can give an instance. Let him go to Nagda and see all this himself what is going on there.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में विचारों में बड़ा मतभेद है। मन्त्री महोदय इसकी जॉच करेंगे। माननीय सदस्य ने दो बातों का उल्लेख किया है : कारखानों में प्रतिदिन 5 घंटे कार्य हो और कारखाने वातानुकूलित हों। इन बातों का पता लगाया जायेगा और तब मन्त्री महोदय यहाँ पर अपना वक्तव्य देंगे।

श्री जगजीवन राम : मैं इन बातों का पता लगाऊंगा और जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को मालूम है कि एक ओर तो लाइसेंस हथकरघा कारखानों के बदले में रैयन कारखानों को दिये जाते हैं और दूसरी ओर एकाधिकारवादी अधिक कारखानों को अपने नियत्रंणाधीन लाने का प्रयत्न करते रहे हैं ? क्या एकाधिकारवादी राज्य सरकारों पर दबाव डाल कर सभी श्रम-उपबन्धों को बेकार बना देते हैं। और समाप्त कर देते हैं। विष के मामलों से भारत सरकार का क्या सम्बन्ध है जिनमें अन्य कारखानों की तुलना में इन कारखानों के श्रमिक अत्यधिक प्रभावित हैं। क्या हम उनको पत्र लिखें अथवा क्या सरकार इन कारखानों में कार्य की दशा सुधारने का प्रयत्न करेगी ?

श्री जगजीवन राम : उन्होंने प्रश्न पूछने के साथ साथ श्रम विधान को क्रियान्वित करने तथा इस विभाग के प्रशासन के बारे में ब्योरा माँगा है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि कारखाना अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों का कर्तव्य है। हमें आशा करनी चाहिये कि राज्य सरकारें इनको क्रियान्वित करने के लिये शासन-तन्त्र की व्यवस्था करेंगी।

Shri Bade : There is bad smell at Nagda station. You cannot sit there. You can ascertain this from the doctors who attend to workers as to how many times they fell sick. The Inspector does go there but he is tricked and sent back. Who has given you this report that it has been air-conditioned ? Who has told you that there is no bad smell ? What is the source of your information that workers do not work more than five hours ?

श्री जगजीवन राम : यह तो किसी ने नहीं बताया है कि उसे, वातानुकूलित बना दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Deputy Minister has just now said that all the factories have accepted the recommendatins. Nagada is included there.

श्री जगजीवन राम : हम नहीं जानते कि क्या वह वातानुकूलित है अथवा नहीं । मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता । मैं सुझाये गए उपायों की ओर राज्य अधिकारियों का ध्यान दिलाऊँगा ।

श्री हेम बरूआ : भारत में केवल कुछ ही फैशन पसन्द, लोगों के लिए रेयन कारखाने क्यों स्थापित किए जाने चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि भारत ने श्री हेम बरूआ की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है ।

श्री हेम बरूआ : ये मेरे लिए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ ।

श्री श्यामलाल शर्राफ : जब से रेयन उद्योग भारत में स्थापित किया गया है तब से इस बात का पता लगाने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है कि इस उद्योग के कुछ अनुभागों में कार्य कर रहे श्रमिक किस हद तक व्यवसायजन्य रोगों से पीड़ित हैं । और यदि हां, तो इन सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री शाहनवाज खाँ : भारत में विस्कोज़ उद्योग के कारखानों में कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साईड के संकटों का सर्वेक्षण नामक प्रतिवेदन है जिसका माननीय सदस्य को अध्ययन करना चाहिये ।

विदेश मुद्रा कमाने के लिये डाक टिकटें

\+

366. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रिशांग किशिंग :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1966 के 'स्टेट्समैन' दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें विदेशी मुद्रा कमाने के हेतु डाक टिकटें जारी करने के मामले में डाक तथा तार विभाग पर सुस्ती का आरोप लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां,

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी हां ।

(ख) सरकार इस स्थिति के प्रति पहले से ही सचेत है । नासिक सुरक्षा मुद्रणालय में बहुरंगी डाक-टिकटों को छापने के लिए उपयुक्त उपस्कर की कमी तथा विदेशी मुद्रा की तंगी होने के कारण किसी एक वर्ष के दौरान जारी किये जाने वाले विशेष डाक-टिकटों की संख्या सीमित रखनी पड़ती है । यही कारण है कि भारतवर्ष के जंगली पशुपक्षियों, पेड़-पौधों, वास्तु-शिल्प तथा दर्शनीय स्थलों के दिग्दर्शक बड़े आकार के बहुरंगी डाक-टिकट जारी करना भी संभव नहीं हो सका है ।

Shri Yashpal Singh: Is there any active person in this Department or all are in-active ? Inspite of my waiting for 4 hours in the Rishi Kesh Post Office, I could not get a post envelope. Who has been held responsible regarding what has been published in the Statesman and whether any action has been taken against any person or not ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications : (Shri Satya Narain Sinha) : We have read what has appeard in the Statesman. It does not involve the reponsibility of anybody. We ourselves are feeling concerned and trying to issue as many Commemorative stamps as possible. It is to our advantage to issue such stamps ; we earn a name in home and abroad. But there are two difficulties. First is that this is not the job of our Department. Stamps are printed in the Nasik Press which is already too heavily loaded to undertake any new job. We have tried our best. We have not been able to get more than twelve. During the last two years we have been able to increase the number of these stamps only by one or two with the greatest difficulty and with persuation Ministry of Finance did it.

We have tried to bring out stamps of as many great leaders as we possibly could. Our's is a very big country and many great leaders have died. Similarly the number of great saints, social reformers, etc., is not small. Leading persons as also hon. Members both from this side and the opposition have been writing to us to issue stamps of such and such persons. We could issue the stamps commemorating Sardar Vallabh Bhai Patel and C.R. Das only during the last two years. We are anxious to issue stamps depicting flora and fauna. Last year we visited Germany and there we saw a very beautiful multi-coloured machine for printing Commemorative stamps. We are trying to have that machine.

Shri Yashpal Singh : If the Nasik Press is heavy loaded, why not set up another press ?

Shri Satya Narain Sinha : These stamps cannot be printed in an ordinary press. It is matter of great responsibility as it involves the question of money. If there is another security press, then it can be got printed there.

Shri Bhagwat Jha Azad: What are the reasons for not keeping the name of a person like Mazur-l-hak the first fighter of Freedom in pending list and afterwards dropping it altogether.

Shri Satya Narain Sinha: This is decided by our Philately Committee wnich is composed of experts and Members of Parliament. Generally we do not interfere in its working. Whatever names we receive, we send them to this committee. If you look at the list of last two years, you will find that their number is only twelve. If we had the capacity to increase the number we would have done so. We are anxious to issue more commemorative stamps, but there are certain difficulties.

Shri K. N. Tiwary: May I know why the Commemorative stamps of Sardar Bhagat has not been issued so far, despite the fact that his name was sent to the Committee pretty long back ? What precise difficulties are there in the way of issuing his Commemorative stamps ?

Shri Satya Narain Sinha : This suggestion will be sent to the Committee which will examine it.

Shri Prakash Vir Shastri: What amount of foreign exchange was earned by these special Commemorative stamps of Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru and Ravinder Nath Tagore in the past. In view of that experience whether any suggestion has been received for the issuing of a special postage stamp to commemorate the martyres of the Indo-Pakistan confrontation, if so, why that has been postponed ?

Shri Satya Narain Sinha: At the moment I cannot tell the separate amount of foreign exchange earned by the issue of each stamp. On all types of stamps sent to foreign countries we have earned a foreign exchange of the value of Rs. 150,000. We have received a suggestion for the issuing of a Commemorative stamp of martyres and that suggestion is being examined. Those persons were also martyrs—the greatest martyrs whose Commemorative stamps have so far been issued.

श्री हरिविष्णु कामत : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व, जब श्री सत्य नारायण सिंह संचार मन्त्री नहीं थे, संसद और इसके बाद के वर्षों तक दबाव डालते रहने के बाद सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में एक विशेष टिकट जारी करने के लिये राजी हो गई और वह टिकट जारी भी की गई और एशिया और यूरोप के देशों से उस टिकट की भारी मांग आई परन्तु सरकार ने उस माँग को पूरा नहीं किया जिससे कि काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सत्यनारायण सिंह : हमने उस टिकट को जारी कर दिया है, परन्तु हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये शिक्षा कार्यक्रम

*368. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्रीमती मैमूना सुल्तान:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये शिक्षा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये कुल कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सितम्बर, 1965 में हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत की गयी 1260 करोड़ रुपये की एक शिक्षा-आयोजना बनाई गई है । क्योंकि शिक्षा के लिए अन्तिम धनव्यवस्था का प्रश्न अभी आयोजना आयोग के विचाराधीन है, अतः आयोजना में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है ।

2. आयोजना की मुख्य बातें इस प्रकार है :—

(क) निःशुल्क तथा व्यापक प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था; गतिरोध तथा बरबादी को दूर करना और शिक्षा प्रणालियों के एक अन्तरंग भाग के रूप में कार्य और शिक्षा को साथ-साथ शुरू करना ।

(ख) लड़कियों की शिक्षा की गति तीव्र करना तथा लड़के व लड़कियों की भर्तियों के बीच मौजूदाअसमानता को दूर करना ।

(ग) माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और बहुविध पाठ्यक्रमों पर जोर देना ।

(घ) सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि व स्तर में सुधार करना, विशेष कर विश्वविद्यालय स्तर पर दाखिलों को ।

(ङ) स्कूल अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दोनों पूरे समय के आधार पर तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए पर्याप्त सुविधाएँ देकर शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को सुधारना ।

(च) इंजिनियरों तथा तकनीकी व्यक्तियों की निर्धारित मांग के सम्बन्ध में तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं को व्यापक बनाना, और प्रशिक्षण के गुण व स्तर में सुधार करना, स्नातकोत्तर इंजिनियरी तथा अनुसंधान की सुविधाओं का विस्तार करना और कुछ क्षेत्रों में विशेष तकनीकी संस्थाओं को स्थापित करना ।

(छ) आदर्श पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, स्कूल पाठ्यचर्य का पुनर्निर्माण, परीक्षा प्रणाली में सुधार, निर्देशन सम्बन्धी सामग्री जुटाना, तथा राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित शिक्षा-अनुसंधान का विस्तार करना ।

(ज) सामाजिक शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसमें प्रौढ़ साक्षरता, साहित्य और पढ़ने की सामग्री का निर्माण तथा अनेक पुस्तकालयों की स्थापना भी शामिल है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विवरण में 1,260 करोड़ रु० की अस्थायी राशि के अतिरिक्त जिसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, विवरण में कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है । क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्रियान्विति के लिये सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत छः से चौदह वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को सांवैधानिक निदेश के अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी ।

श्री मु० क० चागला : हम सांवैधानिक निदेश को सब से अधिक महत्व दे रहे हैं और मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूँ कि जबकि आवंटित राशि 1,260 करोड़ रु० है हमने 31.6 प्रतिशत राशि प्राथमिक शिक्षा के लिये रक्षित कर रखी है । कुल आवंटित राशि 398.50 करोड़ रु० है । अतः हम तथ्य को भूले नहीं हैं, दुर्भाग्य से हम सांवैधानिक निदेश को क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने खुले आम यह कहा है कि हाल ही में नियुक्त किये गये शिक्षा आयोग की उन सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया जायेगा, जिन्हें कि अन्तिम रूप दे दिया गया है, क्या अगली पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उन सिफारिशों को पर्याप्त रूप से क्रियान्वित किया जायेगा ।

श्री मु० क० चागला : अब तक 1,260 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है । मुझे आशा है कि जब योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा तो इसमें कटौती नहीं की जायेगी और शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये हमें पर्याप्त संसाधन मिल जायेंगे । सिफारिशों को हम यथा शीघ्र किस हद तक क्रियान्वित कर सकते हैं इसका ब्यौरा तैयार करने के लिये हमारे मंत्रालय ने पहले ही एक एकक स्थापित किया है । परन्तु बिना संसाधनों के मैं कुछ नहीं कर सकता ।

Shri Tulsidas Jadhav : In the statement it is given "to improve the standard and quality of education at all stages, particulary, at the University stage by restricting admissions. How will it be possible to improve the education at the University stage with first improving it, at the primary and the secondary stage ? Why the Primary education has not been included in it ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है हमें इसका विस्तार करते रहना है। संविधान में यह निहित है कि 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य और नि:शुल्क होनी चाहिये। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है हम कालिजों के बारे में अधिकाधिक सोच रहे हैं। परन्तु जहाँ तक विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा का सम्बन्ध है, हमारा विचार है कि यह बहुत प्रतिबन्धित और चुनी हुई होनी चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उन विद्यार्थियों को वंचित रखना चाहते है जो कालिजों और विश्वविद्यालयों के द्वारा नहीं अपितु अन्य तरीकों से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण हैं कि पत्राचार पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन कालिजों और रोजगार के साथ-साथ विद्यार्थियों को सुविधाएं देने की योजना है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In what proportion funds will be spent in the rural areas for the spread of education in the Fourth Five Year Plan in view of this fact that the population in villages is much larger ni the villages than in towns ?

श्री मु० क० चागला : प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से गाँवों में है। सभा को यह जान कर हर्ष होगा कि प्रत्येक गांव एक स्कूल की माँग कर रहा है। शिक्षा के लिये इतनी तीव्र इच्छा है। राज्य सरकारें प्राय: मांग को पूरा नहीं कर सकती हैं। खर्च बहुत अधिक है; उन्हें इमारतें चाहिये और हमें अध्यापक चाहिये।

श्री मुथिया : चतुर्थ योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कितनी राशि आवंटित की गई हैं ?

श्री मु० क० चागला : 1250 लाख रुपया के आधार पर यह 132.34 लाख रुपये थी, अर्थात्, कुल राशि का 10.5 प्रतिशत।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : योजना की मुख्य बात है व्यापक रूप से नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा देना। क्या इस योजना के अन्तर्गत भारत के विभिन्न नगरों में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और व्यापक रूप से शिक्षा देने के लिए कुछ किया जा रहा है क्योंकि कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगरों में केवल 20 प्रतिशत बालकों को ही नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा मिलती है।

श्री मु० क० चागला : बम्बई और अन्य नगरों में यह नि:शुल्क और अनिवार्य है। कलकत्ता में केवल 20 प्रतिशत शहरी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैंने उनको बताया है कि शिक्षा के मामले में बंगाल को इस देश में अग्रसर होना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : यह एक राज्य विषय है। मैं केवल उनका ध्यान दिला सकता हूँ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इसका क्या कारण है कि अध्यापकों की सेवा की हालतों में सुधार करने के लिए विवरण में कोई लक्ष्य नहीं बताया गया है।

श्री मु० क० चागला : अध्यापकों का स्थान, उनका प्रशिक्षण और उनका वेतन के बारे में हमें विशेष ख्याल है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक अध्यापकों की हालतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : विवरण से मैं यह समझ पाई हूँ कि कालिज के स्तर की शिक्षा चौथी योजना तक ही प्रतिबन्धित होगी। क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लगाये प्रतिबन्धों के कारण उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कालिज के स्तर पर दाखिला नहीं मिलेगा और यदि हाँ, तो, उन विद्यार्थियों का क्या हाल होगा ?

श्री मु० क० चागला : मैंने पहले ही बता दिया है कि हम किसी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से इन्कार करना नहीं चाहते। उसको उच्च शिक्षा दिलाना राज्य का काम है, परन्तु कालिजों और विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं। यही कारण है कि पत्राचार पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन कालिजों, प्रातः के कालिजों और सायंकाल के कालिजों की हमारी एक योजना है। परन्तु किसी भी विद्यार्थी के शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that during the last three Five year plans Sanskrit language, the mother of all the Indian languages had been constantly neglected and least allocation were made for this language, may I know whether in the Fourth Five Year Plan adequate funds will be allocated for the protection of these schools and colleges which have been closed or are going to be elosed and for giving proper status to Gurukuls ?

श्री मु० क० चागला : संस्कृत भारत की चिर प्रतिष्ठित भाषा है; यह अधिकांश भाषाओं की माँ है और मैं संस्कृत के महत्व को समझता हूँ। त्रिभाषाई सूत्र में संस्कृत को लाने के लिये हम कदम उठा रहे हैं। मुझे कई अध्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि त्रिभाषाई सूत्र में संस्कृत का कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह एक उचित शिकायत है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि संस्कृत की उपेक्षा न हो इसको भूला न जाये। हम कदम उठायेंगे।

बरहामपुर, उड़ीसा में विश्वविद्यालय

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7

+

श्री सुरेन्द नाथ द्विवेदी : **श्री किशन पटनायक** :

श्री मोहन नायक :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहामपुर, उड़ीसा में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई माँग प्राप्त हुई है,

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या सिफारिश की हैं और क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सम्बन्ध में विचार किया है और वह किसी निश्चय पर पहुँचा है, और

(ख) क्या राज्य सरकार ने भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग की है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) सरकार की साधारण नीति यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, चौथी आयोजना अवधि के दौरान नये विश्वविद्यालयों के स्थान पर विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए जाएँ । बरहामपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सामान्य नीति तथा अन्य संबंधित बातों का ध्यान रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर उचित विचार किया जाएगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सरकार ने नए विश्वविद्यालयों के खोलने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी नीति पर निर्णय करते समय, उन क्षेत्रों की मांगों पर विचार किया था जो बहुत समय से उपेक्षित रहे हैं और जिनके पास विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए कोई सुविधाएँ नहीं है ? क्या वहां पर नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये इन जैसे क्षेत्रों पर विशेष विचार किया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : मैं स्वयं उड़ीसा गया था । मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री से मेरी बातचीत हुई थी और मैंने उन्हें जो सुझाव दिया था वह यह था : नये विश्वविद्यालय मत खोलिए ; विश्वविद्यालय केन्द्र रखिए और विश्वविद्यालय केन्द्रों के बनाने में योग देने का प्रयत्न करें; हम आपको सभी सुविधाएँ देंगे ; जब इन विश्वविद्यालय केन्द्रों का विकास होगा तब हम विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं । आज हमारे देश में लगभग 65 विश्वविद्यालय हैं और उनमें से कई गिरे हुए स्तर के हैं । भूमि के अतिरिक्त एक विश्वविद्यालय पर 2 करोड़ रुपया लागत आती है; फिर, इस पर आवर्ती व्यय 50 लाख रुपया है । फिर भी वे नये विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि मुख्य मंत्री के साथ उनकी जो भी बातचीत हुई उसके बावजूद भी, उड़ीसा में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने सिफारिश दी थी कि दो विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता थी, एक बरहामपुर में और दूसरी सम्बलपुर में, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बरहामपुर और सम्बलपुर में दो सम्बद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधान सभा के आगामी सत्र में वह एक विधेयक पुरःस्थापित करने जा रही है ? क्या उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति ली थी और यदि विधेयक को पुरःस्थापित किया जाता है तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री मु० क० चागला : मैंने प्रेस विज्ञप्ति को काफी अफसोस के साथ पढ़ा है, क्योंकि मद्रास में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह सहमति प्रकट की गई थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय की सम्मति के बिना कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला जायेगा । जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं विश्वविद्यालय एक राज्य विषय है और यदि राज्य सरकार विश्वविद्यालय खोलना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते । परन्तु, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शिक्षा मंत्रालय की सम्मति से नहीं किया गया है ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक जैसे व्यक्ति ने सम्बलपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव का उड़ीसा विधान सभा में विरोध किया था और अब जबकि चुनाव पास आ रहे हैं तो बावजूद इसके कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश दी है कि निकट भविष्य में ऐसे किसी विश्वविद्यालय की संभावना नहीं है, ऐसे प्रस्ताव को लाया जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : मेरा सम्बन्ध केवल शिक्षा सम्बन्धी निर्णयों से है राजनैतिक निर्णयों से नहीं।

श्री शिवाजी राव शं देशमुख : कालिज शिक्षा पर प्रतिबन्धों के लगाने के क्या कारण हैं जबकि इसके परिणामस्वरूप वास्तव में विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा का बध होता है।

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले दे दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय केन्द्र और विश्वविद्यालय की माँगों में किस्म का अन्तर है, सरकार को केवल उड़ीसा के मामले में इतनी चिढ़ क्यों है ? सारे देश में 65 विश्वविद्यालयों के होते हुए भी सरकार उड़ीसा की माँग क्यों पूरा नहीं कर रही है जबकि वह राज्य बहुत आग्रह कर रहा है और जबकि वहां के विद्यार्थी विश्वविद्यालय खोलने के मामले पर गंभीर प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं ? सरकार विश्वविद्यालय केन्द्र के स्थान पर विश्वविद्यालय खोलकर मामले में अधिक उदारतापूर्ण दृष्टि-कोण क्यों नहीं अपनाती है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया क्योंकि 65 विश्वविद्यालय पहले से हैं, नए विश्वविद्यालय नहीं खोलने चाहिये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह अवश्य कहा था कि वह उड़ीसा के लिए एक और विश्वविद्यालय स्वीकार करने के लिए सिद्धांत रूप में तैयार हैं क्योंकि वर्तमान उत्कल विश्वविद्यालय एक एफिलियेटिंग विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंत्रणा है कि प्रत्येक राज्य में एक संघीय या एकात्मक विश्वविद्यालय होना चाहिये। उड़ीसा में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। परन्तु एक विश्व-विद्यालय के प्रश्न पर विचार करने के पूर्व ही उड़ीसा सरकार ने दूसरे विश्वविद्यालय की मांग भेज दी। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोचा कि अब सारे मामले पर विचार करना उचित होगा। इसलिए उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संघ सरकार द्वारा कोई अन्तिम सम्मति नहीं दी गई है क्योंकि वह दो विश्वविद्यालय चाहती है न कि एक।

श्री हेम बरूआ : क्या विश्वविद्यालयों के खोलने के सम्बन्ध में सरकार की कोई एक समान और बुद्धिजनक नीति है ? कुछ राज्यों में तो, जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि में बहुत अधिक विश्वविद्यालय हैं जबकि अन्य राज्यों में जैसे कि उड़ीसा और बदकिस्मत आसाम और केरल में केवल एक एक विश्वविद्यालय हैं।

श्री मु० क० चागला : हमारी इच्छा है और हम उत्सुक हैं इस बात के लिये कि एक

राज्य से दूसरे राज्य में जो असंतुलन हैं उसको दूर किया जाये; और शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : परन्तु आपकी नीति से ऐसा संकेत नहीं मिलता।

श्री मु० क० चागला : परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूँ कि इस असंतुलन को दूर करने का तरीका यह नहीं है कि नये विश्वविद्यालय खोले जायें जब कि राज्य उसका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है जिसके लिये प्राध्यापक नहीं है और उपस्कर नहीं हैं और जिसको गिरे हुए स्तर में काम करना पड़ता है।

श्री हेम बरूआ : माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को चलाने को प्राध्यापक नहीं हैं, तो प्राध्यापकों को देश के अन्य भागों से लिया जा सकता है। इस आधार पर राज्य की प्रार्थना को क्यों ठुकराया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु कठिनाई यह है कि उनमें से बहुत से संसद में आ गये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह राय है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक एकात्मक विश्वविद्यालय होना चाहिये। क्या यह उचित नहीं समझते कि इससे पूर्व कि एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ठोस कदम उठाये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक एकात्मक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये राज्य की सहायता देने के लिये आगे आये।

जहाँ तक उड़ीसा का सम्बन्ध है मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वहां पर बहुत अच्छे शिक्षक और प्राध्यापक हैं। वह आसाम की तरह पिछड़ा नहीं है।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य जानती हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रस्ताव पर केवल तब ही विचार कर सकता है जब कि प्रस्ताव राज्य सरकार से आया हो।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : राज्य सरकार ने सुझाव दिया है। वह ऐसा करने के लिये तैयार है। आप उनके मार्ग में बाधा क्यों बनते हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री हमेशा यह कहते रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा। क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्य को पूरा कर लिया जायेगा या इसमें और 50 वर्ष लगेंगे ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिये। मैंने जो कुछ कहा था वह यह था कि एक एकात्मक या संघीय विश्वविद्यालय होना चाहिये न कि केवल एफिलियेटिंग विश्वविद्यालय। उड़ीसा में कोई एकात्मक या संघीय विश्वविद्यालय नहीं है। बहुत ही अच्छा होता यदि प्रत्येक राज्य एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होता, परन्तु वह स्वप्न कब पूरा होगा मैं नहीं जानता-मैं नहीं समझता मेरे जीवन काल में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

Reservation of Posts for Harijans

*363 **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1627 and state :

(a) Whether in view of the rejection of the demand for reservation of Central Government job for Harijans and Tribals, Government propose to adopt some other measures to enforce their circulars and resolutions, especially about class I, II and III posts.

(b) Whether Government's attention has been drawn to the statistics in this regard, mentioned in the report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and

(c) Whether Government are reconsidering this matter in the wider context of the demand for 60 per cent reservation for women and all backward people ?

The Deputy Minister in the Minstry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) :

(a) Government circulars and resolutions regarding reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts under Central Government including Class I, II and III posts are quite clear and are being enforced. So the question of adopting other measures to enforce such circulars does not arise.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

तकनीकी स्कूल

*364 **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **चौथी** योजना में शामिल करवाने के लिये उनके मंत्रालय ने माध्यमिक स्तर पर तकनीकी आधार वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई योजना आयोग तथा मंत्रि-मण्डल को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है, और

(ग) उस पर कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : चौथी आयोजना के प्रस्ताव इस मंत्रालय के कार्यकारी वर्गों (Working Groups) ने बनाए थे और विचार के लिये योजना-आयोग को प्रस्तुत किये गए थे । इन प्रस्तावों में वे योजनाएं भी शामिल थीं; जो माध्यमिक स्तर सहित स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी ।

माध्यमिक स्तर पर, तकनीकी-शिक्षा दो प्रकार की संस्थाओं में दी जाती हैं, अर्थात् (i) अवर तकनीकी स्कूल और (ii) बहूद्देशीय । व्यवसायिक स्कूलों में एक प्रणाली के रूप में प्रौद्योगिकी (Technology)·

चौथी आयोजना में की गई सिफारिशों की मुख्य बात यह थी कि माध्यमिक स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा को व्यवहारिक रूप से तथा सांवधिक रूप से अधिक व्यापक बनाया जाए ताकि

तकनीकी पाठ्यक्रमों में निर्देशन प्राप्त छात्र अपना रोजगार स्वयं चला सकें अथवा माध्यमिक स्तर के ऐसे काम प्राप्त कर सकें जिन में तकनीकी बुद्धि की जरूरत है ।

माध्यमिक स्कूलों में, जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं -टैकनालाजी पाठ्यक्रमों को प्रभाव शाली बनाने की व्यवस्था भी इन प्रस्तावों में शामिल की गई थी ।

अवर तकनीकी स्कूलों के लिए चौथी आयोजना की अस्थायी रूपरेखा में छः करोड़ रुपए की और प्रारम्भिक स्तरोत्तर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दस करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । इस सम्बन्ध में शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन व्यवस्थाओं के उपयोग के लिए ब्योरेवार योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

More Colleges in Delhi

*367 **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri Rishang Keishing :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) Whether the necessity of opening more colleges in Delhi during 1966-67 was felt or whether the capacity of the existing was enhanced;

(b) the number of students who passed the Higher Secondary Examination this year and the number out of them who got the admission in colleges, and

(c) the steps taken to maintain higher standard of the affiliated colleges of the Delhi University despite the Expansion ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

(a) It was not considered necessary to open new colleges but additional seats were provided in some of the existing colleges.

(b) Out of 14,158 students who passed the Higher Secondary Examination in Delhi 10,699 were eligible for admission to Delhi Colleges and 9,973 were actually admitted.

(c) Beside prescribing the minimum percentage of marks for admission to various courses, the University of Delhi proposes to introduce other measures like, creation of posts of Vice-Principals, expansion of accomodation and libraries, maintenance of prescribed teacher-pupil ratio and provision of cheap and wholesome meals in college cafetarias, to ensure maintenance of standards.

टेलीविजन के बारे में चन्दा समिति की सिफारिशें

*369. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन सेटों के निर्माण तथा आयात के मामले में विदेशी सहयोग के बारे में चन्दा समिति द्वारा की गई सिफारिश के विरुद्ध देश में हुई जोरदार प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया है; और

(ख) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पिलानी एकक की उत्पादन क्षमता के बारे में जांच की है ।

शिक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री श्रीमती सौन्दरम रामचन्दरन (क) शिक्षा मंत्रालय को

प्रतिक्रियाओं का पता नहीं है। किन्तु सरकारी निर्णय यह है कि व्यापारिक स्तर पर टेलीविजन रिसीवरों के निर्माण के लिए विदेशी प्रक्रिया को अनुमति नहीं दी जाए और तदनुसार उद्योग मंत्रालय ने दो फर्मों को टेलीविजन सेटों के निर्माण सम्बन्धी आशय पत्र जारी किए हैं। जिन्होंने सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी से प्रक्रिया प्राप्त की है।

(ख) लगभग एक वर्ष के बाद हर तीसरे महीने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पिलानी यूनिट की उत्पादन क्षमता का 250 सेट तैयार करने का अनुमान लगाया है।

Fertilizer Factories with Foreign Collaboration

*370. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Raghunath Singh : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Rameshwaranand : **Shri Tula Ram :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Vasudevan Nair : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri M. Rampure :**
Shri M. L. Dwivedi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up some fertilizer factories in the country with foreign collaboration :

(b) if so, the names of the collaborators, the number of factories proposed to be set up and their location :

(c) when these factories are likely to be set up, and

(d) the capital proposed to be invested by Government ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) :

(a) There is no proposal at present under consideration for the establishment of fertilizer factories by Government with foreign collaboration.

(b) to (d) Do not arise.

मिट्टी के तेल का उत्पादन

*371. **श्री प्र० च० बरुआ :** **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न तेल शोधन कारखानों में मिट्टी के तेल के उत्पादन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक तेल शोधन कारखाने का मिट्टी के तेल का वास्तविक वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) चौथी योजना में इस क्षमता को कहां तक बढ़ाने का विचार है; और

(घ) मिट्टी के तेल के मामले में देश के कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के सारे तेल शोधन कारखानों में मिट्टी के तेल के उत्पादन की वर्तमान क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन मीटरी टन है। भारतीय प्रतिरक्षा नियमावली के प्रतिबन्धों की दृष्टि से शोधनशालाओं की अलग अलग क्षमता नहीं बताई जा सकती।

(ख) भारतीय प्रतिरक्षा नियमावली के अन्तर्गत प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुए सूचना नहीं बताई जा सकती।

(ग) चौथी योजना अवधि के अन्त तक देश मे मिट्टी के तेल के उत्पादन की कुल क्षमता प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन मीटरी टन तक हो जाने का अनुमान है।

(घ) आशा है 1970-71 तक देश मिट्टी के तेल में आत्म निर्भर हो जायेगा।

बेरोज़गारी बीमा योजना

*372. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री क० ना० तिवारी**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री जसवन्त मेहता :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 9 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिये बेरोज़गारी बीमा योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या अशिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिये भी कोई बेरोज़गारी बीमा योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवने राम) : (क) और (ख) शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी बीमा की इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जिस बेरोजगारी बीमा योजना के मसौदे पर विचार किया जा रहा है वह उन औद्योगिक मजदूरों के लिए है, जो काम कर रहे हैं परन्तु काम से हटाये जा सकते हैं। इस योजना की परिधि में वे मजदूर आते हैं जो कर्मचारी निर्वाह निधि तथा कोयला खान निर्वाह निधि के सदस्य हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Repatriates from Burma

*373. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri N. R. Laskar :**
Shri K. N. Tiwary : **Shri R. Barua :**
Dr. P. Srinivasan : **Shri Liladhar Kotoki :**

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of families repatriated to India from Burma so far ,

(b) the number of families which have been rehabilitated in different places so far ,

(c) the number of families which are yet to be rehabilitated , and

(d) the facilities provided by Government for the rehabilitation of these refugees ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) :

(a) to (d) A statement is laid on the table of the Sabha. (**Placed in Library**, see No. L.T-6733/66.

शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये ऋण

374. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पुराने प्रव्रजकों (माईग्रैटंस) की संख्या कितनी है जो मार्च, 1958 तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने मकान बनाने तथा भूमि के लिये ऋण प्राप्त करने के लिये निर्धारित समय के भीतर आवेदन-पत्र दिये थे ;

(ख) कितने आवेदकों के आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया गया ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

छात्रों में अनुशासनहीनता

*375 **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

(ख) क्या छात्रों में अनुशासनहीनता के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6734/66]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी

*376. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री उटिया :**
श्री रा० बरुआ : **श्री मधु लिमये :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में की गई अग्रेतर जांच सम्बन्धी रिपोर्ट पर महान्यायवादी की राय प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं ,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में विद्रोही मिज़ो

*377 **श्री गुलशन :** **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में मिज़ो विद्रोहियों के कारण उस क्षेत्र की जनता पहाड़ों को छोड़ रही है और इस प्रकार विद्रोहियों के लिये एक ऐसा खुला इलाका बन रहा है जहां उन्हें अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को और भी अधिक सफलतापूर्वक चलाने का अवसर मिल जाएगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) मिज़ो नेशनल फ्रंट से सम्बन्धित विद्रोहियों के अत्याचारों के फलस्वरूप गैर मिज़ो लोगों की एक बड़ी संख्या ने और थोड़े से मिज़ो लोगों ने मिजो पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ कर अन्य स्थानों पर शरण ली। किन्तु इन लोगों का जाना मिज़ो नेशनल फ्रंट की गतिविधियों में किसी प्रकार सहायक नहीं हुआ ।

(ख) जिले में शीघ्र ही सामान्य स्थिति लाने और विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये यथासम्भव सुरक्षात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर भारत में भूचाल

*378. **श्री तुला राम :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जून, 1966 को उत्तर भारत के अनेक नगरों में भूचाल के बहुत जोरदार झटके आए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण कुल कितना नुक्सान हुआ है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):

(क) भारत के उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में भूचाल के साधारण झटके महसूस हुए थे।

(ख) और (ग) केवल जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सम्पत्ति की थोड़ी सी हानि की सूचना मिली है। इसके अलावा अन्य किसी राज्य से जान-माल की हानि की कोई सूचना नहीं मिली। जम्मू तथा काश्मीर में सम्पत्ति की हानि का अन्दाजा लगभग 30,000 रुपये है। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों के बीच 5,000 रुपये पहले ही बांटे हैं। और भी 5,000 रुपये बाँटने के लिये मंजूर किए गए हैं।

तकनीकी शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

*379 **श्री अ० व० राघवन :** **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का तकनीकी शिक्षा के लिये एक पत्राचार पाठ्यक्रम ब्यूरो स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक केन्द्र कहां कहां खोले जायेंगे, और

(ग) प्रस्तावित ब्यूरो का कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) से (ग) चौथी आयोजना के प्रस्तावों में डाक द्वारा पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस योजना को कार्यान्वित करने का ठीक ठीक क्या रूप होगा, इस बारे में अभी निश्चय किया जाना है।

अध्यापन संस्था

*380 **श्रीमती विमला देवी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में रूसी नमूने पर एक अध्यापन संस्था खोलने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी, और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) से (ग) भारत में शिक्षा-शास्त्र संस्था स्थापित करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन था अथवा दूसरा विचार यह था कि राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) को जो यूनेस्को की उचित सहायता द्वारा संस्थान के समान ही कार्य कर रही है--मजबूत किया जाए। शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस विषय में अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

"आमंबुड्समैन"

*381. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री दलजीत सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने प्रशासनिक सुधार आयोग को एक टिप्पण भेजा है जिसमें जनता की शिकायतें सुनने के लिये "आमंबुड्समैन" पद्धति पर व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने पेचीदी कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं के परिहार के लिये संगठन तथा प्रणाली डिवीजन को सुदृढ़ बनाने तथा उसका पुनर्गठन करने की सिफारिश की थी ; और

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों में "आंमबुड्समैन" पद्धति की कार्य-प्रणाली का अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जनता की शिकायतों को दूर करने की पद्धति की कार्य-प्रणाली के समूचे प्रश्न पर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

मनीपुर की पुलिस चौकी पर नागाओं का आक्रमण

*382. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या गृह-कार्य मंत्री मनीपुर की पुलिस चौकी पर नागाओं के आक्रमण के सम्बन्ध में 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4040 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जांच में यह बात सिद्ध हो गई है कि इस घटना की जो रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है वह सही है ।

राजस्थान में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*383. **श्री करणी सिंह जी** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारत तथा पाकिस्तात के बीच हाल में हुए संघर्ष के कारण अगस्त-सितम्बर, 1965 के दौरान विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई योजना को क्रियान्वित करने के लिये राजस्थान सरकार ने धन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) अग्रिम धन के रूप में राज्य सरकार को 14.00 लाख रुपये की धन राशि लेखे पर मंजूर कर दी गई है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

*384. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में आधुनिक साधनों जैसे प्राचीन पाण्डुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों को रखने के लिये वातानुकूलित स्थान तथा एक माइक्रोफिल्म यूनिट, की अत्यन्त कमी है,

(ख) क्या पुस्तकों के समुचित परीक्षण के लिये किये गये प्रबन्ध भी अत्यन्त असंतोषजनक और अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पास इस समय वातानुकूलित स्थान तथा बहुमूल्य साहित्य के संरक्षण और माइक्रोफिल्म के लिए अपेक्षित आधुनिक उपस्करण नहीं हैं। सरकार को इस कार्य के लिए वातानुकूलित स्थान तथा तकनीकी उपस्करणों की जरूरत के बारे में पूर्ण रुप से पता है । परन्तु पहले इस दिशा में जो प्रयत्न किए गए थे, वे विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सफल नहीं हो सके । फिर भी क्योंकि इस मामले पर अधिक जोर दिया जा रहा है, इसलिए सरकार ने अपेक्षित उपस्कर मंगाने के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम हाथ में लिया है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय की मुख्य इमारत के नये बनाए गए उपभवन के एक भाग को वातानुकूलन करने के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (C. P. W. D.) को यह कार्य सौंपा गया है । सरकार ने यूनेस्को के साथ भी करार किया है जिसके अन्तर्गत यूनेस्को ने एक विशेषज्ञ के साथ माइक्रोफिल्म यूनिट भेजी है, जो अपने एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता और देश भर के अन्य पुस्तकालयों / संस्थाओं / संगठनों की करीब तीन लाख दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा ऐतिहासिक पुस्तकों का माइक्रोफिल्म करेगी । हाल ही में इस यूनिट ने राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में अपना काम शुरू कर दिया है और इस कार्य के लिए सरकार ने अपरिष्कृत फिल्मे दे दी हैं ।

कलकत्ता में छात्रों में असन्तोष

*385. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले उनके मन्त्रालय ने कलकत्ता में हाल में हुए दंगों के दौरान वहाँ के छात्रों में व्याप्त असन्तोष का पूरा पूरा अध्ययन किया था, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा

प्रशिक्षण परिषद, (National Council of Educational Research and Training) कलकत्ता के स्कूल छात्रों में अराजकता के मनोवैज्ञानिक निर्णयकों से संबंधित एक अनु-संधानप्रायोजना को सहायता प्रदान कर रही है। यह कार्य सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, कलकत्ता द्वारा किया जा रहा है। प्रायोजना पर काम हो रहा है और आशा है कि यह दो वर्ष में पूरा हो जाएगा।

ह्विटले संयुक्त परिषद् व्यवस्था

*386. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उप-क्रमों में ह्विटले संयुक्त परिषद् व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन एक्सचेन्ज एर्णाकुलम

*387. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री कोल्ला वेंकैया** :
श्री दशरथ देव : **श्री म० ना० स्वामी** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एर्णाकुलम के जिला कलक्टर ने एक पुलिस दल के साथ स्थानीय टेलीफोन एक्सचैन्ज में प्रवेश किया था और 20 टेलीफोन आपरेटरों को कार्यालय में कुछ घण्टों तक रोके रखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को जिला कलेक्टर के व्यवहार के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 31 जनवरी 1966 को पुलिस अधीक्षक तथा एक सब इन्सपैक्टर पुलिस के साथ जिला कलक्टर एर्नाकुलम स्थानीय टेलीफोन केन्द्र में आए। 20 टेलीफोन प्रचालकों को जो उस समय ड्यूटी पर थे, हटा लिया गया तथा उन्हें लगभग 2 घन्टे के लिए टेलीफोन केन्द्र की इमारत के भीतर ही रहने का आदेश दिया गया।

(ख) इस घटना के सम्बन्ध में विभाग ने राज्य सरकार के अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी। राज्य सरकार के अधिकारियों को किसी अन्य पार्टी से भी शिकायतें प्राप्त होने के सम्बन्ध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) तथा (घ)—विभाग द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों को की गई रिपोर्ट पर उन अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाई के सम्बंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है ?

तकनीकी पुस्तकों का आयात

*388 **श्री बृजवासी लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री पन्ना लाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप शिक्षा संस्थाओं, वैज्ञानिक संस्थाओं तथा आम तौर पर विद्यार्थियों को अपना काम चलाने के लिये तकनीकी पुस्तकें तथा औजार प्राप्त करने में भारी कठिनाई अनुभव हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सामान्यतया सरकार के पास अभ्यावेदन आए हैं कि रुपए के अवमूल्यन के कारण तकनीकी पुस्तकों तथा औजारों के मूल्य में वृद्धि हुई है, परन्तु उनकी कम सप्लाई के बारे में किसी प्रकार की शिकायतें नहीं मिली हैं ?

(ख) तकनीकी पुस्तकों और औजारों की आयात-नीति को उदार बना दिया गया है और यह निर्णय किया गया हे कि आयात लाइसेन्स इस शर्त पर जारी किए जाएंगे कि आयात करने वाले विनिमय की संशोधित सरकारी दर पर रुपयों में प्रदर्शित किए गए नियमित फुटकर मूल्य की अपेक्षा अधिक कीमत नहीं लेंगे । यह भी तय किया गया कि स्वदेशी तकनीकी पुस्तकों और औजारों का उत्पादन बढ़ाने के सभी जरूरी तरीके अपनाए जायें ।

क्षेत्रीय निपटारा आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी लेखा विवरण

389. **श्री काजरोलकर :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय निपटारा आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें कार्यालय द्वारा जारी लेखा-विवरण गुम हो गये थे और जिनकी प्रतिलिपियां (डुप्लीकेट कापीज) जारी की गईं;

(ख) ऐसे कितने मामले है जिनमें दावों का समायोजन ऐसे गुम हुए विवरणों के आधार पर किया गया है, जो कि रद्द कर दिये गये थे और इनके स्थान पर प्रतिलिपियां जारी की गई थीं ;

(ग) इनमें से कितने मामलों में कदाचरण का पता चला है;

(घ) कितने मामलों में सम्बद्ध पार्टियों को कानून के अनुसार दण्ड दिया गया है; और

(ङ) जिन मामलों में गुम हुए विवरणों के रद्द किये जाने के बाद भी उनका गलत समायोजन किया गया है, उनमें वास्तविक दावेदारों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मई, 1960 से पूर्व ऐसे

मामलों का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था । तथापि मई, 1960 से 30 जून, 1966 तक 136 लेखा-विवरणों की प्रतिलिपियां (डुप्लीकेट कापीज) जारी की गई हैं ।

(ख) मालूम नहीं ।

(ग) अब तक 90 मामलों में लेखा-विवरणों के दुरुपयोग का पता चला है ।

(घ) 90 मामलों में से 11 मामलों में संबद्ध पार्टियों को दण्ड दिया गया है । शेष मामले अभी तक या तो पुलिस अधिकारियों या न्यायालयों में निर्णय के लिये पड़े हैं ।

(ङ) गुम हुये लेखा विवरणों के विरुद्ध किये गये गलत समायोजन को रद्द करके वास्तविक दावेदारों के हित को सुरक्षित रखा जाता है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का इंजीनियरी विभाग

1780. **श्री किशन पटनायक :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का इंजीनियरी सेक्शन कई वर्षों तक एक इंजीनियर के अधीन रहा था और क्या पिछले कुछ वर्षों से प्रधान इंजीनियरी अधिकारी का यह पद रिक्त पड़ा है;

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने किन कारणों से इस पद को प्रधान इंजीनियरी अधिकारी से बदल कर प्रधान वास्तुशिल्पी (आर्किटेक्ट) करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह परिवर्तन करने तथा 8 जनवरी, 1966 के हिन्दुस्तान टाइम्स में विज्ञापित विज्ञापन में दी गयी अर्हतायें नियत करने से पहले इंजीनियरों और वास्तुशिल्पियों की संस्थाओं से परामर्श किया गया था; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में कार्यों पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में एक वास्तुकला और इंजीनियरी युनिट है जिसके कार्य हैं :–बस्तियों के खाके, मकानों और प्रयोगशालाओं के भवनों का डिजाइन और निर्माण, भू-दृश्य वास्तुकला और फर्नीचर डिजाइन । विशेषज्ञ-सलाह यह थी कि यूनिट का प्रधान कोई वास्तुविद अथवा इंजीनियर हो सकता है । चूंकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पास पर्याप्त इंजीनियरी सलाह मौजूद थी इस लिए यह निर्णय किया गया कि यूनिट का प्रधान कोई वास्तु-विद हो ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यूनिट द्वारा जिन मकानों और प्रयोगशालाओं के भवनों का डिजाइन (नक्शे) तैयार किया गया तथा पर्यवेक्षण किया गया उनके निर्माण पर वार्षिक व्यय कुल निम्नलिखित हुआ :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	स्टाफ क्वार्टर	प्रयोगशाला भवन	जोड़
1961-62	57.219	5.450	62.669
1962-63	93.958	13.590	107.548
1963-64	98.219	10.834	109.053
1964-65	55.000	7.340	62.340
1965-66	91.000	3.940	94.940

केरल में पाठ्य पुस्तकों की कमी

1781. **श्री मे० क० कुमारन** **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पाठ्य पुस्तकों की अत्यधिक कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष एस० एस० एल० सी० परीक्षा में फेल होने की अधिक प्रतिशतता का एक कारण यह भी था कि कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अपनी कक्षाओं में बगैर पाठ्य पुस्तकों के हाजिर होना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति को दूर करने के लिए पर्याप्त कारवाई कर ली है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। कुछ स्थानों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के संबंध में कुछ शिकायतें थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेल्लोडी समिति (केरल)

1782. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा नियुक्त की गई वेल्लोडी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं; तो यह समिति कब तक अपना कार्य पूरा कर लेगी तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आशा है कि समिति मार्च 1967 तक काम पूरा कर लेगी।

केरल में उर्वरक तथा रसायन उद्योग-समूह

1783. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक तथा रसायन उद्योग-समूह के लिये केरल में एर्णाकुलम जिले में 1812 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने से 1000 से अधिक परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा : और

(ख) यदि हां, तो उनको बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) कोचीन उर्वरक परियोजना के लिये 1300 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने से लगभग 1000 व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा । उन सब व्यक्तियों को जिन की भूमि अर्जित की जायेगी नियमा-अनुसार मुआवजा दिया जायेगा । लगभग 400 भूमिहीन मजदूर हैं जिन्हें प्रति परिवार 10 सेंट (Ten cents) पर मुफ्त भूमि (Free land) दी जायेगी ।

भारत की लोक रचनाएं

1784. **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की लोक रचनाओं को संकलित करने तथा उनको प्रकाशित करने की कोई योजना है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि लोक-कथाएं, गीत, पहेलियां तथा कहावतें जन साधारण एवं सरकार की संस्कृति तथा परम्पराओं का समृद्ध भंडार होती हैं और लोक-रचनाएं देश के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने के लिये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समृद्ध सामग्री को सुरक्षित रखने तथा उसका उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : संगीत नाटक अकादमी अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में, निम्नांकितों के जरिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक संगीत, लोक-नृत्य और लोक-नाटक के पुनरुज्जीवन, उनके परिरक्षण और विकास के कार्य में लगी है :

(i) लोक-वार्ता सामग्री के सर्वेक्षण, संग्रह और प्रकाशन आदि के लिए संस्थाओं को अनुदान देकर;

(ii) लोक-वार्ता संबंधी सेमिनारों और समारोहों का आयोजन करके, और

(iii) टेप-संगीत, फोटोग्राफ और फिल्मों आदि के रूप में लोक वार्ता सामग्री को प्रलेखबद्ध करके ।

केरल में सरकारी कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता भण्डार

1785. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता भण्डार खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने भण्डार खोले जायेंगे और इनके लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) इन तीन भण्डारों से कितने कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूर्ण होने की आशा है ?

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम और कालीकट तीनों स्थानों पर एक एक उपभोक्ता भन्डार खोलने का विचार है । त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के भन्डार पहले ही पंजीकृत किये जा चुके हैं आशा है कि ये भन्डार लगभग 50,000 कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूर्ण करेंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय

1786. **श्री इम्बीचीबावा :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों के विस्तार के लिये योजनाएं बनाई हैं और यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस कार्य पर राज्यवार अनुमानतः कुल कितना धन खर्च होगा ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां । कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें हो सकती हैं :—

(i) विद्यमान राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों का विकास और नए राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों का आयोजन, जहाँ ऐसे पुस्तकालय नहीं हैं ।

(ii) विद्यमान पुस्तकालय का विकास और नये पुस्तकालयों की स्थापना, जहां आवश्यक हो ।

(iii) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के नमूने के सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना ।

(iv) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का विकास

(v) सहायक अनुदान ।

(ख) चूंकि पूरी आयोजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है, उपलब्ध होने वाली राशि के राज्य वार बँटवारे का अनुमान लगाना अभी उचित नहीं होगा ।

दिल्ली में शिक्षा के लिये एक प्राधिकार

1787. **श्री राम हरख यादव :** **श्री द्वारकादास मन्त्री :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ ने सुझाव दिया है कि राजधानी में स्कूल शिक्षा के लिये एक ही प्राधिकार स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री श्री मु० क० चागला : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

अखिल भारतीय संगीत परिषद्

1788. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं ; और

(ग) परिषद् का गठन किस प्रकार होगा तथा उसके अधिकार और कार्य क्या होंगे?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) ऐसी परिषद स्थापित करने का इस मन्त्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है । किसी अन्य प्राइवेट संस्था द्वारा ऐसी परिषद स्थापित करने के बारे में भी इस मन्त्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'पेन' का सम्मेलन

1789. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पी० ई० एन० का 34 वाँ सम्मेलन जून 1966 के तीसरे सप्ताह में न्यूयार्क में हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया था और क्या भारत ने सम्मेलन में अपना प्रतिनिधिमण्डल भेजा था ; और

(ग) इस सम्मेलन में सामान्यतः क्या सफलतायें प्राप्त हुईं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हाँ ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'पेन' एक स्वतन्त्र संगठन है । कुछ भारतीय लेखकों ने सम्मेलन में जरूर भाग लिया था, इसके अलावा भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया ।

(ग) भारत सरकार को सम्मेलन की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

धनराज मिल्स के प्रबन्ध निदेशक को सजा

1790. **श्री रामसेवक यादव** : **श्री मधु लिमये** :

क्या, **रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराज मिल्स के प्रबन्धक निदेशक को कर्मचारी भविष्य निधि में गबन करने के कारण दी गई सजा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार के गबन को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी हाँ ।

(ख) दोषियों के अभियोजन और वसूली के लिये शीघ्र कार्यवाही के अलावा, शास्ति को अधिक कठोर बनाने के लिये कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

विदेशों को भेंट की गई पुस्तकें

1791. **श्री बड़े :** **श्री बृजराज सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में उनके मन्त्रालय द्वारा विदेशों को भेंट की गई पुस्तकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या है ;

(ख) किन किन देशों तथा संस्थाओं को ये पुस्तकें भेंट की गई ;

(ग) ये पुस्तकें किन किन तारीखों को खरीदी गई और किन किन तारीखों को भेजी गईं; और

(घ) प्रत्येक मामले में पैक करने और भेजने पर कितना खर्च हुआ ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क), से (घ) : सूचना संकलित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद द्वारा ग्रीष्म शिविरों का आयोजन

1792. **श्री बड़े :** **श्री बृजराज सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद् ने कितने ग्रीष्म शिविरों का आयोजन किया था ;

(ख) प्रत्येक शिविर में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था तथा उनसे कितनी फीस ली गई थी ;

(ग) परिषद् ने उक्त अवधि में प्रत्येक शिविर को वर्षवार कितनी-कितनी सहायता दी थी तथा क्या परिषद् के शासी निकाय ने उस सहायता की मन्जूरी दी थी, और यदि नहीं, तो सहायता किस प्रकार दी गई थी ; और

(घ) क्या केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल ने सहायता के भुगतान के बारे में आपत्ति उठाई है और यदि हां, तो शिविरों को सहायता मन्जूर करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 15

(ख) और (ग) ।

(1) विवरण

वर्ष	शिविरो की सं०	प्रत्येक शिविर में विद्यार्थियों की संख्या				विद्यार्थियों की कुल संख्या	विद्यार्थियों से ली गई फीस	परिषद् द्वारा दिया गया उप-दान
		I	II	III	IV			
1962	3	60	55	36	..	151	Rs. 30,200	Rs. 22,030
1963	3	60	60	44	..	164	Rs. 32,764	Rs. 26,361
1964	4	60	60	50	31	201	Rs. 40,240	Rs. 37,275
1965	3	60	60	50	..	170	Rs 32,100	Rs. 33,415
1966	2	60	50	..	..	110	Rs. 22,550	Rs. 24,300

(ii) बजट विनिधान परिषद् के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित था और भुगतान परिषद् के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया गया था।

(घ) महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व ने शासी निकाय के निर्णय न होने के सम्बन्ध में आपत्ति की है। परिषद् के शासी निकाय द्वारा अधिकार समर्पण के अनुसार, परिषद् का अध्यक्ष सक्षम मन्जूरी प्राधिकारी है और भुगतान उसकी सहमति से किया गया था। फिर भी, यह मामला शासी निकाय के सामने रखा जायेगा।

केरल के लिये नये स्कूलों की मन्जूरी

1793. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में वर्ष 1966–67 के लिये केरल में कितने लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा हाई स्कूलों की मन्जूरी दी गई है;

(ख) क्या इन स्कूलों के लिये मन्जूरी देते समय इन क्षेत्रों के पिछड़े पन को ध्यान में रखा गया है और केरल के प्रत्येक जिले में कितने स्कूल खोले गये हैं; और

(ग) इन नये स्कूलों के खोले जाने से त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र और मालाबार के बीच विषमता बढ़ गई है अथवा कम हो गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में मडापल्ली कालेज भवन

1794. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सरकारी मडापल्ली कालेज प्रांगन में अतिरिक्त भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूर कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में डिग्री पूर्व (प्रि-डिग्री कोर्स) पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी

1795. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री अ० व० राघवन :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या शिक्षा मन्त्री सभा-पटल पर एक ऐसी सूची रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि केरल राज्य के प्रत्येक कालेज में कितने-कितने विद्यार्थियों ने डिग्री-पूर्व पाठयक्रम के लिये दाखिला मांगा है ; और यह बतायेंगे कि :

(क) प्रत्येक कालेज में कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है तथा स्थान न होने के कारण कितने विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया है; और

(ख) मार्च-अप्रैल, 1966 में हुई एस० एस० एल० सी० की परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चिकनाई वाले पदार्थों की कमी

1796. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री अ० व० राघवन् :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकनाई वाले पदार्थों की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां । भारत-पाक युद्ध के बाद चिकनाई वाले पदार्थों के आयात के स्तर में काफी कमी हो गई ; जिससे देश में इन पदार्थों की अस्थायी कमियां हुईं ।

(ख) पर्याप्त मात्रा में चिकनाई वाले पदार्थों के आयात के लिए व्यवस्था की गई है और स्थिति शीघ्र सुधर जायेगी ।

कुट्टीयाडी (केरल) में सार्वजनिक टेलीफोन

1797. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के वडागरा तालुक में कुट्टीयाडी डाकघर में एक सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह सार्वजनिक टेलीफोन कब चालू हो जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तांबे के तार की आवश्यक मात्रा की हाल में ही प्राथमिक तौर पर व्यवस्था की जा चुकी है। यह काम अगस्त, 1966 में आरम्भ हो जाएगा।

(ख) आशा है कि यह सार्वजनिक टेलीफोन घर अक्तूबर, 1966 तक खुल जाएगा।

सुपर फास्फेट का कारखाना

1798. **श्री वे० तेवर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में तंजावूर में सुपर फास्फेट का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) सरकार को तंजावूर में एक सुपर फास्फेट कारखाने की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

Nalanda Vihara and Huentsang Memorial

1799. **Shri Sidheshwar Prasad :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the outlines of the scheme approved by his Ministry to develop jointly the Nalanda Vihara and Huentsang Memorial and the expenditure to be incurred thereon ,

(b) when the scheme would be implemented , and

(c) whether the collaboration of other countries is also forthcoming for the development of the Vihara as an International Centre of Buddhist Studies.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a) and (b) The scheme as recommended by the **ad hoc** Committee envisages the integrated development of the Nava Nalanda Mahavihara and the Huen Tsang Memorial Hall as one Centre of Research and Learning in Buddhistic Studies under a common Board of Management, which may be an autonomous body registered under the Societies Registration Act. According to the Committee, the scheme is estimated to cost Rs. 50.56 lakhs non-recurring and Rs. 31.52 lakhs recurring during the first five years. The scheme and the estimates of expenditure are under consideration of the Government. The scheme will be taken up for implementation after it has been approved, and when funds for this purpose are available.

(c) The question of collaboration of other countries in this projeet has not come up for consideration, so far.

कोयला खानों में सुरक्षा नियम

1800. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान मालिक सुरक्षा नियमों का घोर उल्लंघन करते हैं जिसके फलस्वरूप गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री शाहनवाज खां : (क) यह कहना ठीक नहीं होगा कि सुरक्षा नियमों का घोर उल्लघंन हो रहा है। उल्लंघन होते तो हैं पर आजकल सुरक्षा के विषय में चेतना अधिक है।

(ग) खानों के निरीक्षण, खान अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही तथा अभियोजनों के अतिरिक्त, सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सभी खान क्षेत्रों में अब सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, जो 1963 में स्थापित की गई थी, अपने कार्यों को बढ़ावा दे रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयला खान क्षेत्रों में 1–8–1966 से खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली लागू कर दी गई है। खान सुरक्षा सम्मेलनों में समय-समय पर सुरक्षा के विषय में की गई प्रगति का पुनरीक्षण किया जाता है। सम्मेलन की पिछली बैठक कलकत्ता में 9–10 जुलाई, 1966 को हुई थी।

भारत में अमरीका की सेंट्रल इंटैलीजैन्स एजेन्सी

1801. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री रिशाग किशिंग :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तथा इस देश के सम्बन्ध में अमरीका की सेंट्रल इंटैलीजैन्स एजेन्सी की कार्य-प्रणाली के बारे में जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय म प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री श्री हाथी : (क) और (ख) इस सूचना को बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

Development of cultivable land in Andamans and Nicobar Islands

1802. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme is under preparation for developing cultivable land in the Andamans and Nicobar Islands,

(b) so, if when the work will be completed ;

(c) the expenditure that is likely to be incurred on the above scheme, the total acreage of land likely to be brought under the plough and the quantity of foodgrains likely to be produced , and

(d) the persons to whom these lands would be allotted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) .

(a) to (c) Yes, Sir.

An inter-departmental team was set up to draw up an integrated development programme for the Andaman and Nicobar Islands. The team's report has been placed in the Library of Parliament.

The team has suggested that about 1,25,000 acres of land can be cleared during the next 10 to 15 years. It is proposed to clear about 30,000 acres during the next four or five years. Work on the reclamation of about 3,000 acres of land available in Middle Andaman (Betapur) was started last year and about 1,200 acres were cleared by the end of the current season. As more and more land is reclaimed, it will be put to the best use on the basis of soil surveys. These surveys are being organized. Specific reclamation projects in relation to specific islands are being worked out in detail. The cost of reclamation will vary from island to island depending upon the nature of the forest and the purpose for which the land would be utilized. The total expenditure involved in the land reclamation has not yet been worked out in detail but on a broad estimate it would cost about Rs. 750 lakhs.

Since the acreage under foodgrains will be determined after the soil surveys are completed, it is not possible to indicate at this stage the quantity of foodgrains that is likely to be produced.

(d) A mixed pattern of settlement on this newly reclaimed land is visualized. Migrants from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon, some persons from the main-land answering to the requirements of the specific programmes and the local people will be the beneficiaries.

चमड़ा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

1803. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा मजूरी बोर्ड ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चमड़ा उद्योग के मजदूरों के लिए अन्तिम सहायता देने के बारे में सिफारिश करने के लिये मजूरी बोर्ड से कहा है; और

(ग) उस पर मजूरी बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : मजूरी बोर्ड के विचारार्थ विषय इतने व्यापक हैं कि यदि बोर्ड उचित समझे तो मजदूरों को अंतरिम सहायता देने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में बोर्ड ने अभी तक कोई सिफारिशें नहीं की हैं ।

इंजीनियरिंग उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ।

1804. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योगों संबंधी मजूरी बोर्ड ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण नहीं दिया है ;

(ग) क्या सभी एककों ने अन्तरिम सहायता का भुगतान कर दिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो कितने एककों ने यह भुगतान नहीं किया है ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मजूरी बोर्ड ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है । इंजीनियरी उद्योग सारे देश में फैले हुए हैं । बोर्ड ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना है और मालिकों तथा मजदूरों के अनेक संगठनों के विचारों को सुनना है और उनसे परामर्श करना है । फिर भी बोर्ड कार्य को यथाशीघ्र समाप्त करने की कोशिश कर रहा है ।

(ग), (घ) और (ङ) मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता मंजूर करने की सिफारिश सरकार ने 23 जुलाई, 1966 को स्वीकार कर ली और सम्बन्धित पक्षों से बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रार्थना कर दी गई है । अभी तक इतना थोड़ा समय बीता है कि कार्यन्विति की प्रगति पर रिपोर्ट नहीं दी जा सकती ।

Marble Idol of Gomateshwar

1805. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to instal a 50 foot tall idol of Gomateshwar marble on the 800 foot high hillock of Chalgir in Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that the estimated cost of the idol is rupees one lakh ,

(c) when the idol would be completed and installed , and

(d) the God whose image that idol would be ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a) to (d) The Government do not have any such proposal. It is, however, learnt that a private organisation, called Puchkalya Samiti Parasnath Cholgiri, proposes to instal an idol of "Bahubali Swami" on the Cholgiri hillock. The work is reported to cost about Rupees one lakh and the Samiti expects to complete it within a year and a half.

Firing by Naga Hostiles

1806. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Naga hostiles fired indiscriminately on the jawans of Manipur Rifles in District Manipur in the middle of May, 1966,

(b) whether it is also a fact that a "Svayambhu" self-style Lieutenant and a sepoy were arrested and large quantities of cartridges, pistols and guns were recovered, and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) On May 12, unspecified number of hostiles fired 5 rounds of Sten-gun and 7 rounds of .303 rifles at a petrol party of Manipur rifles. There was no casualty on our side.

(b) On 13-5-66 Novlo Angami, self-styled lieutenant and Thotehu Angami, sepoy were arrested near Koide village, by villagers. One pistol, fourteen rounds of revolver ammunition, one rifle with four rounds, one detonator and one ammunition pouch were recovered.

(c) A case was registered and is now under investigation.

दिल्ली में व्यापार के घन्टे

1807. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दुकानों को 20 घन्टे खुला रखने तथा दुकानों से खरीद करने के लिये समय कम मिलने के कारण दिल्ली के उपभोक्ताओं को हो रही भारी कठिनाई को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिज़ो पहाड़ियों के लिये शक्ति प्राप्त समिति

1808. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री दे० द० पुरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने मिज़ो पहाड़ियों से सम्बन्धित सभी मामलों को जल्दी से निबटाने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। एक संयुक्त सचिव की सहायता से मुख्य सचिव मिज़ो जिले से सम्बन्धित सभी मामलों पर तुरन्त कार्यवाही करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय बागानों के लिये मजूरी बोर्ड

1809. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री बड़े :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 2 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1351 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी-बोर्ड ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) उत्तर नहीं हो तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) उस सरकारी संकल्प की प्रतियां, जिसमें बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई है, सभा की मेज पर 27 जुलाई 1966 को रख दी गई थीं । बोर्ड की सिफारिशें संकल्प से संलग्न हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय

1810. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हिमाचल प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चौथी आयोजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी है ।

(ग) पंजाब राज्य के पुनर्गठन के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, चौथी आयोजना में विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के प्रश्न को स्थगित करने का निश्चय किया है ।

सरकार की सामान्य नीति चौथी आयोजना के दौरान नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के बजाय जहां तक सम्भव हो विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने की है ।

निरक्षरता-उन्मूलन

1811. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3990 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने देश में निरक्षरता-उन्मूलन की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । मामला अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

महाबीर जयन्ती

1812. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भगवान महाबीर ने आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में महान स्थान प्राप्त कर लिया था, क्या सरकार ने महाबीर जयन्ती वाले दिन छुट्टी घोषित करने की जैनियों की बहुत समय से की जाने वाली मांग पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सुझाव को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि नहीं; तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) इस मामले पर कई बार विचार किया गया है ।

(ख) और (ग)

भारत सरकार के कार्यालयों में मनाई जाने वाली छुट्टियों की संख्या द्वितीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 16 रखी गई है । इस संख्या को बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका क्योंकि अधिक छुट्टियों से सरकारी काम-काज पर असर पड़ता है । फिर भी महाबीर जयन्ती को सीमित छुट्टियों की सूची में शामिल किया गया है और कोई भी जैनी अथवा अन्य कर्मचारी जो धार्मिक उत्सवों में शामिल होना चाहता हो इसे ले सकता है ।

Illicit Liquor

1813, **Shri Naval Prabhakar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the quantity of illicit liquor seized during January, 1966 to 30th June, 1966 in Delhi ; and

(b) the amount of fines imposed on that account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) 18,398 bottles.

(b) Of the 1014 cases registered during this period, 244 have so far ended in conviction in which the courts have imposed fines amounting to Rs. 25,700/-. Three cases have ended in acquittal.

आशुलिपिकों की परीक्षा

1814. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशुलिपिकों की परीक्षा (1965) का परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्रकाशित हुआ था;

(ग) क्या वर्ष 1966 की परीक्षा ली जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) 18.5.1966

(ग) और (घ) आशुलिपिकों की 1966 की परीक्षा के बारे में लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 25 मई, 1966 को ली गई थी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की आशुलिपि की परीक्षा के नवम्बर, 1966 में लिये जाने की सम्भावना है।

बच्चों के लिये पुस्तकें

1815. **श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित बच्चों की पुस्तकों के किस्म, मूल्य तथा बिक्री सम्बन्धी कोई अध्ययन किया है ;

(ख) क्या इन पुस्तकों के प्रकाशकों तथा लेखकों ने सरकार से कोई राज-सहायता मांगी है; और

(ग) क्या सरकार ने स्वयं इन लेखकों/प्रकाशकों को कोई राजसहायता देने की पेशकश की थी ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है; न ही प्रकाशकों अथवा लेखकों ने सरकार से आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना की है। सरकार ने अपनी तरफ से किसी लेखक/प्रकाशक को सहायता का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है। तथापि, बच्चों की अच्छी पुस्तकें तैयार करने के लिए लेखकों/प्रकाशकों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता की शिक्षा मन्त्रालय की एक योजना है।

परीक्षा प्रणाली

1816. **श्री मधु लिमये :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के असफल रहने और उसके समय की बरबादी को रोकने तथा उसके परिणामस्वरूप उनमें व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये परीक्षा प्रणाली में किन्हीं परिवर्तनों के बारे में सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने इस प्रणाली में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार सुझाने तथा भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों में बरबादी तथा फेल होने की ऊँची दर की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक परीक्षा सुधार समिति नियुक्त की थी । समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि परीक्षा प्रणाली में उपयोगी सुधार करने में न केवल इसकी तकनीकों में सुधार की आवश्यकता होगी बल्कि जिन परिस्थितियों में अध्यापन-अध्ययन का कार्य होता है उनमें भी सुधार करना होगा ।

2. समिति ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों के बारे में अपनी विशिष्ट सिफारिशें दी :—

(1) प्रवेश क्रियाविधियां, (2) अध्यापन प्रणालियां, (3) अंकों का मेल (जोड़) और सारणीकरण, (4) परीक्षाओं का समय निर्धारण, (5) सफल उम्मीदवारों का वर्गीकरण, (6) कक्षाओं के अलावा शिक्षण (ट्यूटोरियल्स) और सेमिनार, (7) आन्तरिक मूल्यांकन, (8) उद्देश्यात्मक परीक्षाएं, लघु-उत्तर परीक्षाएं, खुली-पुस्तक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं आदि ।

3. समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालयों के पास उनकी राय जानने के लिए भेज दी गई थी। विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्तरों से तथा उप-कुलपतियों के सम्मेलन (1962) में हुई चर्चा से यह पता चला कि विश्वविद्यालय आमतौर पर समिति की सिफारिशों से सहमत थे । आयोग ने विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में की गई अथवा की जाने वाली कार्रवाई से आयोग को सूचित करें । आयोग का विचार परीक्षा में सुधारों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए एक सेमिनार आयोजित करने का है ।

उत्तर प्रदेश में नये विश्वविद्यालय

1817. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में और विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या कानपुर में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 5 जनवरी, 1966 से लागू हो गया है। आशा है कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नैनीताल में भी एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

काश्मीर से संसत्सदस्यों का चुनाव

1818. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर से संसत्सदस्यों का सीधा चुनाव करने के बारे में राष्ट्रपति का आदेश जारी कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इन स्थानों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कब तक हो, जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) आशा है कि यह अक्तूबर, 1966 तक समाप्त हो जायगा।

राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन

1819. **श्री यशपाल सिंह:**
श्री मधु लिमये :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामहरख यादव
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मे० क० कुमारन

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1966 के तीसरे सप्ताह में मद्रास में हुए राज्य के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में किन किन विषयों पर विचार किया गया था; और

(ख) इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) सम्मेलन की कार्य सूची की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी**–6735/66]

(ख) सम्मेलन की मुख्य मुख्य सिफारिशों की सूची संलग्न है।

Co-ordination in Scientific Work

1820. **Shri Sidheshwar Prasad :**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5161 on the 11th May, 1966 and state :

(a) the action taken in regard to the coordination in scientific research on the basis of the recommendations of the Specialist Committee set up by the Board of Scientific and Industrial Research ; and

(b) the steps taken to call the Indian scientists working abroad and to provide them with employment ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):

(a) The constitution of a Specialist Committee as recommended by the Board of Scientific and Industrial Research is still under consideration.

(b) The following steps have been taken by the Council of Scientific and Industrial Research to assist Indian scientists and technical personnel abroad to find employment in India :

(i) Indian scientists who are enrolled in the Special Section of the National Register of the C. S. I. R. are assisted to the extent possible in finding employment in India.

(ii) The Sctentists' Pool provides temporary placement to well qualified Scientists and Technologists, returning to India and enables them to look round for suitable regular employment.

(iii) Government Departments and other Organisations can create supernumerary posts to which temporary appointments can be made quickly from scientists working and studying abroad.

(iv) Important vacancies notified by U. P. S. C. and C. S. I. R. are also announced by Indian Missions in their periodical publications to bring them to the notice of Indian Scientists working abroad.

(v) Heads of C. S. I. R. Laboratories Institutes while visiting foreign countries, consider the suitability of Indian Scientists whom they come across for appointment to suitable posts.

(vi) Chairman or some member of the U. P. S. C. also visits foreign countries from time to time to interview candidates against suitable vacant posts in India.

(vii) Indian Scientists working abroad may be granted economy class air fare for self and their family to facilitate their return to India on selection to posts under the C.S.I.R. provided they undertake to serve the institution for a minimum period of three years.

Headquarters of Nefa

1821. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Sidheshwar Prasad : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shrimati Renuka Barkataki :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of Nefa have demanded that the headquarters of the Administration should be set up in their region instead of at Shillong ;

(b) whether they have also demanded that more powers should be given to the Deputy Commissioner of their region ; and

(c) if so, the reasons for the delay in acceding to their demand ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) :

(a) There is a demand to shift the Headquarter from Shillong to NEFA.

(b) No Sir.

(c) The demand for shifting the headquarters to the interior is not considered feasibe as there is no place inside NEFA which is at present more accessible to various districts than Shillong.

Telephones in Development Blocks and Police Stations

*1822. **Shri Sidheshwar Prasad : Shri Rishang Keishing :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the State wise number of Development Blocks and Police Stations in the country where public telephones have not been installed so far ;

(b) the reasons for non-installation of public telephones at these places ; and

(c) when public telephones are expected to be installed in these places ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jagannath Rao) :

(a) to (c) A statement is laid on the table of the Lok Sabha. [**Placed in the Library,** see No. LT-6736/66].

Use of Hindi in Offices

1823. **Shri Rishang Keishing : Shri Sidheshwar Prasad :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 719 on the 23rd April, 1966 and state :

(a) the steps since taken to remove the obstruction caused in the use of Hindi by high officers who demand English translation of the papers prepared in Hindi ;

(b) the number of central officers of the rank of Secretary who know only Hindi or only English ; and

(c) the reasons for the failure of Government to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No obstruction is caused by the necessity of getting Hindi material-translated into the English language for the convenience of non-Hindi-knowing staff. Necessary arrangements for such translations already exist in various Ministries. If necessary these arrangements would be supplemented.

(b) There are eight officers of the rank of Secretary to the Government of India who know English only.

(c) Does not arise in view of the reply to part (a) above.

Propagation of Hindi in Kerala

1824. **Shri Rishang Keishing** : **Shri Sidheshwar Prasad** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been greater propagation of Hindi in Kerala as compared to that in other non-Hindi speaking States ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to give suitable employment to those persons in Central Services ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a) and (b) No comparative study of the progress of Hindi in the various non-Hindi speaking States has been made. It is, therefore, difficult to say whether there has been greater propagation of Hindi in Kerala as compared to other non-Hindi speaking States. It can, however, be said that with the financial assistance of the Central Government, Kerala has made good progress in the propagation of Hindi.

(c) This Ministry is concerned only with the propagation and Development of Hindi. It has no concern with providing employment opportunities in the Central Services. All Hindi educated persons from non-Hindi speaking areas are eligible for employment under the Central Services provided they possess the prescribed qualifications.

विज्ञान के स्नातकों के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1825. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान के ऐसे स्नातकों के लिये, जो उच्च वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) प्रादेशिक शिक्षा कालेज, विज्ञान स्नातकों को अध्यापकों के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए विज्ञान शिक्षा में एक विशेष एक-वर्षीय पाठ्यक्रम चला रहे हैं। चुनिन्दा विश्वविद्यालय केन्द्रों में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में कुशल आपरेटर प्रशिक्षणार्थी

1826. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली, में कुशल आपरेटर प्रशिक्षणार्थियों के कुछ पद हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में कुशल आपरेटर प्रशिक्षणार्थियों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति इस प्रयोगशाला को छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि, कई वर्षों से उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं ;

(ग) उनकी पदोन्नति का अगला ग्रेड क्या है और कितने समय के लिये उन्हें प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाता है;

(घ) क्या कुशल आपरेटर प्रशिक्षणार्थियों के पदों पर आई० टी० आई० से प्रशिक्षण प्राप्त कुछ व्यक्ति भी काम कर रहे हैं, जिन्हें न तो नियमित कर्मचारी ही घोषित किया गया है और उच्च पदों पर उनकी पदोन्नति भी नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां; तो इन विषमताओं के क्या कारण हैं और इन कर्मचारियों को नियमित घोषित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) 60 आपरेटर प्रशिक्षणार्थियों (दक्ष) में से 6 ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया था और 5 की सेवाएं अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण समाप्त कर दी गई थीं ।

(ग) पदोन्नति के अगले वर्ग हैं :-

पद	वेतनमान
(i) अवर आपरेटर	110–3–131 रुपये
(ii) प्रवर आपरेटर	110–3–131–4–143 कु० रो० 4–155 रु०

प्रशिक्षण की कोई अवधि निश्चित नहीं है क्योंकि वे 80–1–85–2–95– कु० रो० 3–110 रु० के वेतनमान में अस्थाई पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

(घ) 12 आपरेटर प्रशिक्षणार्थी (दक्ष) हैं जिनके पास आई० टी आई० के प्रमाण-पत्र हैं और वे सभी 80–1–85–2–95 कु० रो० 3–110 के वेतनमान में अस्थाई पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों कर्मचारी

1827. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : (क) क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि पटसन, कोयला और इंजीनियरी जैसे बड़े उद्योगों के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को स्थाई नहीं करने की नीति अपनाई हुई है यद्यपि ये कर्मचारी बहुत समय से स्थाई स्वरूप का काम करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जहां तक कोयला उद्योग का संबंध है, इस विषय पर कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई । कुछ छोटी छोटी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से अधिकांश का संबंधित पक्षों में समझौता हो गया । इस मामले के विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निपटाया जाता है ।

पटसन व इंजीनियरी उद्योगों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

New Engineering Colleges in Uttar Pradesh

828. **Shri Kindar Lal** : **Shri Vishwa Nath Pandey** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Engineering Colleges likely to be opened in Uttar Pradesh during 1966-67 ;

(b) the names of places where these Colleges will be located ; and

(c) the amount allocated by the Centre for the purpose ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

(a) and (b) The Central Government under the Third Five Year Plan agreed to the establishment of an Engineering College as an integral part of the Agricultural University, Pantnagar, U. P. The College has been named as Pant College of Technology. The College is, however, being started during 1966-67.

(c) The estimate of the cost for the establishment of this College has not yet been finalised.

उत्तर प्रदेश में जूनियर तकनीकी स्कूल

1829. **श्री किन्दर लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने जूनियर तकनीकी स्कूल हैं ; और

(ख) 1966–67 में उस राज्य में ऐसे कितने स्कूल खोलने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उत्तर प्रदेश में इस समय 13 जूनियर तकनीकी स्कूल हैं ।

(ख) 1966–67 के दौरान, उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Minimum Wages of Agricultural Labour

1830. **Shri Lahtan Chaudhry :** **Shri P. R. Chakraverti :**
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have arrived at the conclusion that desired benefit has not accrued to the agricultural labour under the Minimum Wages Act ;

(b) whether Government propose to take steps to secure adequate wages for them and if so, the broad outlines thereof ; and

(c) how the average annual income and average annual indebtedness of an agricultural labourer's family during 1956-57 compare with those in 1951-52 according to the published reports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) and (b) The enforcement of the Minimum Wages Act in respect of agricultural labour is primarily for the State Governments. Suggestions have been made by the Government of India from time to time, for ensuring more effective implementation of the Act. These include the fixing of a minimum wage of atleast Re. 1 per day, improvement

of the procedures for periodic revision of wages and the strengthening of the Enforcement Machinery.

(c) Extracts from the broad findings of the First and Second Agricultural Labour Enquiries, as published by the Labour Bureau, Simla are laid on the Table of the House. (**Placed in the Library see No. LT-6737/66**).

Bootleggers-Police Clash in Delhi

1831. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some bootleggers and police officials clashed near Kalkaji, Delhi in April, 1966;

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) the number of persons who received injuries and the number of those who were arrested in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes.

(b) The clash took place when 70 to 80 villagers obstructed the police party which had gone to Khanpur village to search the house of one Sikander Gujjar for illicit liquor.

(b) Five police officers received serious injuries and 22 persons have been arrested for attacking the police party.

Fire near Pul Mithai, Delhi

1832. **Shri Raghunath Singh: Shri Rameshwaranand: Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that six timber shops were burnt near Pul Mithai in Lahori Gate area in Delhi during the second week of May, 1966;

(b) whether it is also a fact that two trains had to be detained due to the spread of fire;

(c) the cause of the fire and the loss sustained as a result thereof; and

(d) the relief Government propose to give ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The cause of the fire was accidental. The total estimated loss was approximately Rs. three lakhs. There was no loss to life.

(d) No relief is proposed to be given. The goods of the shops were insured.

Schools for Tibetan Children

1833. **Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up another school in Pachmarhi for Tibetan children ;

(b) the number of schools for Tibetan children in the country at present ; and

(c) the expenditure being incurred by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) No, Sir. Pachmarhi has one school and an Educational-cum-Vocational Training Institute.

(b) Thirteen. (Seven residential, five day Schools and one Educational-cum-Vocational training institute).

(c) 1964-65. Rs. 36,40,753.

1965-66. Rs. 43,49,648. (Approximately).

Non-Payment of Bonus by certain Companies.

1834. **Shri Rameshwaranand** : **Shri Raghunath Singh** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any complaints of non-payment of bonus to the employees by certain Companies have come to the notice of Government ;

(b) if so, the number of such Companies; and

(c) the action taken in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) (a) to (c) : Complaints received by the concerned officers of the Labour Departments of the Central and State Governments are dealt with by them under the provisions of the Bonus Act or the Industrial Disputes Act. No information is available regarding the total number of such companies who have not paid bonus.

Registers of Payment of Bonus

1835. **Shri Rameshwaranand** : **Shri Raghunath Singh** :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the owners of all companies and factories covered by the Payment of Bonus Act are required to maintain registers and accounts regarding the payment of bonus ;

(b) whether it is also a fact that most of the companies have not maintained registers and accounts in accordance with the rules and regulations ;

(c) if so, the names of those Companies; and

(d) the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) During the course of inspection by Central and State Government Officers it has come to notice that some companies have not maintained the requisite registers.

(c) No comprehensive list of Companies which have not maintained the requisite registers is available, many of them being in the State sphere.

(d) Show cause notices have either been issued or are being issued to employers as and when the default comes to notice and in case they fail to comply with the provisions of the Act, necessary penal action, as provided under the Act, will be taken against them.

स्नातकों सम्बन्धी सर्वेक्षण

1836. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत में विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में तथा प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) समूचे भारत में तथा प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक, उनमें से कितने व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिल गया था ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) भारत में विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त व्यक्तियों के बारे में कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है । किन्तु योजना पत्रिका के 29 मई, 1966 के अंक में "अवर मेनपावर इन आर्टस एण्ड ह्यूमेनिटिज" शीर्षक से प्रकाशित लेख में कलाओं और मानवविद्याओं के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर स्नातकों की संख्या दी गई है और विज्ञान की भी तुलनात्मक संख्या दी गई है । अखिल भारतीय आधार पर अथवा राज्य-वार कितने व्यक्ति रोजगार से लगे हुए हैं, इसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है । वास्तव में लेख इस बात के साथ समाप्त हो जाता है कि रोजगार और व्यक्तियों के उपयोग के प्रश्न की गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षक-भिन्न कर्मचारी

1837. **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षक-भिन्न कर्मचारी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षक-भिन्न कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है अथवा उनकी शिकायतें दूर करने के लिये कोई अन्य कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) प्रशासनिक दृष्टि से विश्वविद्यालयों के अध्यापक वर्ग अथवा गैर अध्यापक वर्ग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते । सभी विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियंत्रित करने के मामले में स्वायत्त शासी हैं । तथापि, आयोग ने कुछ विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं जिनका उद्देश्य केवल अध्यापक-वर्ग के लिए अच्छी सेवा शर्तों की

व्यवस्था करना है क्योंकि उससे उच्च शिक्षा के स्तरों में समन्वय और उन्हें बनाए रखने पर प्रभाव पड़ता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सांविधिक जिम्मेदारी है।

(ख) सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन के लिए, अध्यापक-वर्ग की तरह ही गैर-अध्यापक वर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियंत्रित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

कावेरी बेसिन में ड्रिलिंग

1838. **श्री नम्बियार :** **श्री मुथिया :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी बेसिन में तेल और गैस के लिये की गई प्रायोगिक ड्रिलिंग का परिणाम उत्साहवर्धक है ; और

(ख) यदि हां तो उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) इस हद तक परिणाम दिलचस्प हैं कि करैकल क्षेत्र में तेल और गैस के चिन्ह यद्यपि केवल सूक्ष्म चिन्ह, पाये गये हैं।

(ख) और कुंओं के व्यघन करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा की लोक लेखा समिति द्वारा विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

1839. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 20 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा विधान सभा की लोक लेखा समिति ने इस बीच विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही आरम्भ की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या; और

(घ) यदि अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा विधान सभा की लोक लेखा समिति विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर 7 जून 1966 से विचार कर रही है और समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

प्रतिजीवाणु पदार्थों (एण्टीबायटिक्स) औषधियों में आत्म-निर्भरता

1840 **श्री. लिंग रेड्डी** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 30 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिजीवाणु पदार्थों तथा औषधियों में देश को आत्म-निर्भर बनाने में इस बीच और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ऋषिकेश स्थित पैंसिलिन कारखाने ने कितनी प्रगति की है और उस संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 1965 में भेषज उद्योग का वार्षिक उत्पादन करीब 150 करोड़ रुपये का था। औषधियों एवं दवाईयों को सज्जित व्यवस्थापित और मात्रा रूपों में उत्पादन करने के अतिरिक्त, उक्त उद्योग विस्तृत परासों (Wide range) में कई प्रधान औषधियों (Basic drugs) का भी उत्पादन कर रहा है। इनमें उदाहरण के तौर पर पेनसलिन, स्ट्रेप्टोमाइसीन-टेट्रासाइकलीन, क्लोरऐम्फोनिकाल तथा हेमासीन जैसे प्रतिजीवाणु ; विटामिन ए, बी 12, सी और नियासिन/ नियासिनमाईड जैसे विटामिनों ; सल्फा औषधियां ; प्रति क्षयरोग दवाईयां ; ओरल एण्टी-डैबिटिक दवाईयां अर्थात् टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपमाइड, और इन्सुलिन, संश्लेषी कारटीकोस्टराइट हारमोनज, पीड़ाहर एवं संवेदन हारी औषधियां : सबजियों और जान्तव उत्पत्ति की दवाईयां और कई अन्य उत्पाद ; जो पहले आयातित थे, शामिल हैं। देशीय उत्पादन के कारण कुछ दवाईयों, जैसे पेंसलिन, क्लोर ऐम्फोनिकाल, विटामिनस ए, बी 12, नियासिन/नियासिनमाईड तथा 'के' (K) प्रति-मधुमेह हारमोन-इन्सुलिन ; ऐस्पिरिन, कास्टीकोस्टराइड जैसे प्रेडीनाइसोन/प्रेडीनाइसोलीन, कार्टीसोन/ हाइड्रो-कार्टीसोन, मेथाइल टेस्टोस्ट्राइन, आई० एन० एच० ; थायसेटाजोन आदि के आयात की इस समय आवश्यकता नहीं है। देशीय आवश्यकता को पूरा करने के बाद उद्योग अधिक निर्यात मार्किट स्थापना करने में समर्थ हुआ है और 1965 में निर्यात लगभग 2.5 करोड़ रुपये का था।

(ख) 1966 के अन्त तक प्रतिजीवाणु संयन्त्र, ऋषिकेश, के उत्पादन करने की आशा है। उप-नगर पर व्यय को शामिल करते हुए परियोजना की अनुमानित लागत 23.69 करोड़ रुपये है।

सीमावर्ती क्षेत्रों से विस्थापित हुए व्यक्तियों को आश्रय देना

1841. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों से आये हुए कितने निष्क्रान्त शरणार्थियों को अब तक सरकार द्वारा बसाया गया है और आश्रय दिया जा रहा है ; और

(ख) उनको अब तक क्या विशिष्ट आश्रय देने की व्यवस्था की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) अनुमानत: 3,09,100।

(ख) (1) पुनर्वास से पूर्व तम्बुओं में आवास।

(2) बरबाद हुये घरों को फिर से बनाने के लिये अनुदान तथा ऋण।

आंध्र प्रदेश में तेल की खोज

1842. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों तथा कर्मचारियों ने 1966 में अब तक तेल का पता लगाने के लिये कोई प्रारम्भिक जांच- पड़ताल की है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह जांच पड़ताल किन क्षेत्रों में की गई थी ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) गोदावरी, कृष्णा के पूर्व और पश्चिम के भूमि क्षेत्रों में, गंतूर और नेलोर जिलों में और गोदावरी-डेल्टा के तट-वर्ती क्षेत्र में ।

(ग) भूमि में तेल और गैस को संग्रह करने के अनुकूल स्थानीय संरचनाओं की विद्यमानता के चिन्ह अभी तक नहीं पाये गये । तटवर्ती क्षेत्र में उपलब्ध भूकम्पीय दित्ते की संगणना की जा रही है।

केन्द्रीय बहुप्रयोजनीय स्कूलों की योजना

1843. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुप्रयोजनीय स्कूलों के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं ने बहुप्रयोजनीय तथा बेसिक उपरान्त स्कूलों के कृषि संबंधी पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सभी संस्थाओं में ऐसा किया जायेगा ; और

(ग) क्या उन संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा जो पहले से ही ऐसे पाठ्यक्रम चला रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचंद्रन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार के सभी माध्यमिक स्कूलों में कृषि पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना है ।

शिक्षा संस्थाओं सम्बन्धी फिल्म

1844. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला शिक्षा का प्रसार करने के हेतु सरकार का वनस्थली विद्यापीठ पर एक फिल्म बनाने तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षा संस्थाओं की झांकी प्रस्तुत करने वाली एक अन्य फिल्म बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) क्या महिला शिक्षा में धीमी प्रगति के लिये प्रचार की कमी तथा सीमित क्षेत्र उत्तरदायी है और सरकार का विचार इन दोनों समस्याओं को किस प्रकार हल करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) वनस्थली विद्यापीठ पर एक चल-चित्र (फिल्म) बनाया जा रहा है। फिल्म्स डिविजन की सीमित क्षमता को देखते हुए, 'गर्ल्स एजूकेशन' नामक एक अन्य चल-चित्र को 1966–67 वर्ष के उत्पादन कार्यक्रम में से हटा दिया गया है।

(ख) वनस्थली विद्यापीठ संबंधी चल-चित्र पर लगभग 33,000 रुपये।

(ग) लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा की धीमी गति से प्रगति के कई कारण हैं। लड़कियों के लिए और अधिक छात्रावासों, अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों, सफाई खण्डों, अध्यापिकाओं को ग्राम भत्ता, माइयों की नियुक्ति और छात्रवृत्तियों तथा अधिछात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की अनुसन्धान परियोजनायें

1845. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् ने अमरीकी शिक्षा कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण अनुसंधान परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के कब तक मिलने की संभावना है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : दो प्रायोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और आशा है कि बाकी सात 31 मार्च 1967 तक पूरी हो जाएंगी।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में छुट्टियां

1846. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या-गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छुट्टियां घोषित करने के मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पंचांग में तिथियों तथा नक्षत्रों का जो सही हिसाब दिया हुआ है, उसे अपनाया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के गलत पंचांगों को ठीक करने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन पंचांगों का प्रकाशन बन्द करने का है जिनमें तिथियों और नक्षत्रों आदि के गलत समय दिये हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शें नास्कर) : (क) आमतौर पर छुट्टियां सम्बन्धित वर्ष की भारतीय ग्रहपत्री तथा नावी पंचांग (राष्ट्रीय पंचांग) में दी हुई तिथियों के अनुसार मनाई जाती हैं। किन्तु जब कभी, किसी स्थान पर पंचांग में दी हुई तिथियों से भिन्न तिथियों पर लोग किसी त्यौहार को मना रहे हों तो भारत सरकार के कार्यालय उस दिन बन्द रहते हैं जिस दिन लोग त्यौहार मनाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकतर राज्य सरकारें भी, सिवाय

ऐसी स्थिति के जब कोई खास त्यौहार पंचांग में दी तिथि से भिन्न तिथि पर मनाया जाय, भारतीय ग्रहपत्री तथा नावीय पंचांग में दी हुई तिथियों पर ही छट्टियां करती हैं।

(ख) और (ग) : आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक-सी तिथियां रखने की आवश्यकता की ओर पहले ही राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे स्थानीय पंचांग बनाने वालों के सामने यह बात साफ कर दें कि जब तक वे राष्ट्रीय पंचांग में दी हुई तिथियों के अनुसार नक्षत्रों तथा तिथियों की काल गणना स्वीकार नहीं करते तबतक भारत सरकार के लिये पंचांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये सहकारी खुदरा भण्डार

1847. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बड़े उद्योगों के श्रमिकों को काफी संख्या में सहकारी खुदरा-भण्डारों के माध्यम से बढ़ती हुई कीमतों से राहत देने के लिये कोई नवीन प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोई नया प्रस्ताव नहीं है। 300 या उससे अधिक मजदूरों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजकों की सहायता से उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की स्थापना के लिये योजना पहले ही विद्यमान है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत नियोजकों द्वारा सहकारी भण्डारों को आर्थिक सहायता, जिसकी राशि 2500 रु० शेयर पूंजी, 10,000 रु० कार्यवाहक पूंजी के लिये कर्ज, 1800 रु० तीन वर्ष में प्रबन्ध उपदान के रूप में तथा निशुल्क या नाममात्र किराये पर आवास देना होता है। प्रारम्भ में नियोजक उचित मूल्य की दुकानें खोल सकते हैं जिन्हें सहकारी भण्डारों में परिवर्तित करना होगा। इन सहकारी भण्डारों के शेयर खरीदने के लिये मजदूरों को उनकी निर्वाह निधि से वापस न की जाने वाली पेशगी मिल जाती है। यदि मांग हो, तो उधार पर माल देने की इजाजत है। प्राथमिक भण्डारों, सामान्य उपभोक्ताओं के लिये स्थापित केन्द्रीय सहकारी भण्डारों से सम्बद्ध किए जायेंगे।

वैज्ञानिकों को निकालने के नोटिस

1848. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री उमानाथ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री करणी सिंहजी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कजरोल्कर :
श्री द्वारका दास मंत्री :

श्री नरसिम्हा रेड्डी : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मे० क० कुमारन : श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक पूल के सदस्यों को बड़ी संख्या में निकालने के नोटिस दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को ये नोटिस दिये गये हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं।

(ख) वैज्ञानिकों के पूल से 1282 को लाभ पहुँचा है और 1-7-1966 को पूल में वास्तविक रूप से 650 कार्य कर रहे थे, केवल 83 को समाप्ति नोटिस जारी करने पड़े थे। बाद में दोबारा जांच के फलस्वरूप 18 की सेवा अवधि 6 मास के लिए और बढ़ा दी गई थी।

(ग) प्रमुख कारणों में से, जिसके कारण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कुछ पूल अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करनी पड़ी, निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(i) प्रस्तावित उपयुक्त नियमित रोजगार को अस्वीकार करना और/अथवा नियमित रोजगार तलाश करने के लिए प्रयत्न नहीं करना ;

(ii) आपत्काल में सुरक्षा सेवाओं में जाने से इंकारी ;

(iii) आचरण और कार्य संबंधी विरुद्ध रिपोर्ट; और

(iv) नियुक्ति की शर्तों का उलंघन करते हुए, प्राइवेट प्रेक्टिस करना।

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को वैज्ञानिक अभियान दल

1849. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री दे० द० पुरी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक वैज्ञानिक अभियान दल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या रिपोर्ट दी है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी, हां।

(ख) टीम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

Exploration in Surat

1850. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3943 on the 20th April, 1966 and state :

(a) the number of places where oil and gas products have been struck during the exploration operations in Surat District,

(b) since when exploratory work has been going on in that area; and

(c) the total amount spent so far by Government in this connection ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Oil and natural gas has been struck in the Kosamba area. Natural gas has been struck in the Olpad area.

(b) Geological and geophysical surveys have been going on since 1957. Exploratory drilling is being carried out since 1959.

(c) Approximately Rs. 1.90 crores. Exact amount cannot be indicated as expenditure figures are not maintained district wise.

Bonus in Public Sector Units

1851. **Shri Sonavane** : **Shri Raghunath Singh** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Surendranath Dwivedy** :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3983 on the 20th April, 1966 and state :

(a) whether the information regarding bonus in public sector units has since been received;

(b) if so, the brief details thereof ; and

(c) if not, when it is likely to be received.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) : Information so far received is as contained in the attached statement.

Statement

(a) the number of Public Sector Units that paid bonus according to the Payment of Bonus Act, 1965;	27
(b) the number of employees and workers benefitted by the bonus paid by the Public Sector Units;	92,646
(c) the approximate amount of bonus paid by the Public Sector Units according to the new Act;	Rs. 1,37,38,000
(d) the number of Public Sector Units that have not paid bonus according to the new Act;	40
(e) the number of Units that did not pay bonus; and	
(f) the reasons for the failure to pay bonus ?	Either (1) The matter regarding payment of bonus is under consideration,

(2) bonus not payable under Payment of Bonus Act for reasons such as employees being not 'workmen' or unit incurring losses and hence exempted or unit recently set up, or

(3) the unit still in construction stage, or

(4) the question of payment of bonus is pending before an Industrial Tribunal.

Pay Scale of Librarians

1852. **Shri Sonavane** : **Shri Bhagwat Jha Azad** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh** :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3998 on the 20th April, 1966 and state :

(a) the decision taken by the Delhi Administration in regard to the pay-scale of Librarians working in aided schools in Delhi;

(b) the number of persons benefited thereby; and

(c) the date from which the new pay-scale has been made effective ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The matter is still under correspondence with Delhi Administration.

(b) and (c) : Do not arise.

Bomb Explosion in Khem Karan Area

1853. **Shri Raghunath Singh** : **Shri Bhagwat Jha Azad** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Sonavane** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a 16 year old boy was killed in a bomb explosion in Khem Karan area in the last week of May, 1966;

(b) if so, the manufacture-markings on the bomb; and

(c) the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (a) Yes, Sir;

(b) The manufacture-markings could not be known as the upper portion of the bomb was blasted;

(c) The area has been combed for locating mines, bombs, etc. and the persons living there have been cautioned of the danger of unexploded bombs.

औद्योगिक लाइसेंस, कोटे और परमिटों का जारी किया जाना

1854. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस, कोटे और परमिट जारी करने के बारे में ब्रिटेन, अमरीका तथा कुछ अन्य देशों में अपनाई गई प्रणालियों का अध्ययन करने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उनको जारी करने की प्रणाली को संहिताबद्ध करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : स्थिति दिनांक 9 मार्च 1966 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 444 के उत्तर के अनुसार है।

बस्तर का शासक

1855. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने बस्तर के शासक, श्री विजय चन्द्र भंजदेव की डाक्टरी परीक्षा तथा इलाज करने के लिये डाक्टरों का एक दल भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों ने यदि कोई रिपोर्ट दी है तो क्या ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के अनुरोध पर ऐसा किया गया था।

(ख) डाक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाराजा गम्भीर रूप से बीमार थे और मस्तिष्क शोध के साथ परिधिस्थ रक्तवाहिनी की असफलता की स्थिति में थे। डाक्टरों ने आवश्यक उपचार का विधान कर दिया

राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार

1856. **श्री तुलशीदास जाधव :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री हेमराज :**
श्री राम हरख यादव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा 29 जुलाई, 1966 को मद्रास में संवाददाता सम्मेलन में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार से निबटने के लिये उचित व्यवस्था किये बिना सतर्कता आयोग पूरी तरह कारगर ढंग से कार्य नहीं कर सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया के बारे में सरकारी दृष्टिकोण गृह मन्त्री द्वारा 27 अप्रल, 1965 को गृह मंत्रालय की मांगों पर बहस के दौरान अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया था। राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिये मंत्रियों की आचार-संहिता का भी निर्माण कर लिया गया है।

कलकत्ता के निकट वोदरा में छिद्रण कार्य (ड्रिलिंग)

1857. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री राम हरख यादव : **श्री प० ह० भील :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के निकट बोदरा में छिद्रण कार्य (ड्रिलिंग) आरम्भ करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम का पता कब लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) इतना पहले बताना कठिन है ; किसी दशा में एक साल से पहले नहीं ।

मैसूर में जीठा प्रणाली

1858. **श्री हेम बरुआ :** **श्री नाथ पाई :**

श्री हरि विष्णु कामत : **श्री अल्वारेस :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में जैसा कि अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने बताया है, 'जीठा' प्रणाली नामक, ऋणबद्ध श्रम पद्धति विद्यमान है जिसके अन्तर्गत ऋणों के बदले में कृषि श्रमिक अपने आप को तथा/अथवा अपने बच्चों को साहूकारों की सेवा करने के लिए वचनबद्ध कर देते हैं ;

(ख) क्या हमारे देश के किन्हीं अन्य भागों में भी यही अथवा ऐसी ही प्रणाली विद्यमान है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह संविधान तथा कानून के विरुद्ध नहीं है ; और

(घ) इसे समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) मैसूर तथा अन्य राज्य सरकारों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । सूचना उपलब्ध होते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

बंगाली ज्ञानकोश एनसाइक्लोपीडीया

1859. **डा० रानेन सेन : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंग्य साहित्य परिषद् ने बंगाली ज्ञानकोश (एनसाइक्लोपीडिया) 'भारत कोश' के दो खण्ड प्रकाशित कर दिये हैं और भारत सरकार ने इसके लिये परिषद् को समुचित सहायता नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : भारत-कोश के दो खण्ड बंगीय साहित्य परिषद् द्वारा पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं । अनुमोदित व्यय के 50 प्रतिशत के रूप में भारत सरकार इस योजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अब तक 56,250 रु० दे चुकी है । शेष 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार ने वहन किया है । राज्य सरकार की ओर से परिषद् को दिए गए अनुदान की अपर्याप्तता के विषय में कोई अभिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

तेल कम्पनियों द्वारा बोनस का भुगतान

1860. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री इम्बीचीबावा :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एर्णाकुलम स्थित ऐस्सो, बर्माशेल तथा कालटेक्स कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है और इस प्रकार वे लागू करार का उल्लंघन कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने इस करार का उल्लंघन किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) बोनस के बारे में कम्पनियों और उनके कर्मचारियों में एक औद्योगिक विवाद था ; इसे केरल सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोझिकोडे, के पास न्याय-निर्णय के लिए भेज दिया गया। परन्तु कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित पक्षों में समझौता हो गया और तदनुसार मामले का निपटारा हो गया है।

फाजिल्का में मुस्लिम ढोर चराने वालों का घुस आना

1861. **श्री गुलशन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे के कारण बहुत से मुसलमान ढोर चराने वाले राजस्थान से सीमावर्ती शहर फाजिल्का में अपने दुधारू ढोरों के साथ आकर बस गये हैं जिससे सीमा पुलिस के अधिकारियों के लिये सुरक्षा की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है तथा इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। ये भारतीय ढोर चराने वाले ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में अपने घरों से पंजाब में आ जाते हैं, और वर्षा के प्रारम्भ में अपने घरों को लौट जाते हैं। हमने इस बात का पता लगा लिया है कि उनके कारण सीमा पुलिस के लिये कोई सुरक्षा समस्या उत्पन्न नहीं होती।

आदिम जातीय अध्यापक

1862. **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी नीति है कि उन प्राथमिक पाठशालाओं में आदिम जातीय अध्यापक नियुक्त किये जायें जिनमें आदिम जातीय विद्यार्थियों की प्रतिशतता अथवा संख्या बहुत अधिक हो ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह नीति सब राज्यों में समान है और क्या उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है ; और

(घ) क्या सब राज्यों में सभी आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया है तथा सभी मामलों में नियुक्तियां की गई हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (घ) : सरकार का विचार है कि योग्य आदिम जातीय अध्यापकों को जहां कहीं भी उपलब्ध हों, आदिम जातीय क्षेत्रों में नियुक्त करना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग ने भी आदिम जाति के अध्यापकों की नियुक्ति पर जोर दिया है। इस संबंध में आयोग की सिफारिशों को विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और लगभग सभी इन पर यथासम्भव अमल करने के लिए राजी हो गई हैं।

क्योंकि इन सिफारिशों का कार्य क्षेत्र राज्य सरकारों से संबंधित है, इसलिए राज्य सरकारों की योजनाओं के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

टेलीफोन सम्बन्धी आवेदनपत्रों के निपटाये जाने के बारे में जांच करने के लिये समिति

1863. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन सम्बन्धी आवेदनपत्रों के निपटाने में विलम्ब की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने इन आवेदनपत्रों को निपटाने में देरी की समस्या का अध्ययन किया है ; और

(ग) टेलीफोन विभाग को एक आवेदन-पत्र निपटाने में आम तौर पर कितना समय लगता है और 1 जुलाई, 1966 को राज्यवार अभी तक कितने आवेदन पत्र निपटाये जाने बाकी थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख)—कुछ स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन अलाट करने के सम्बन्ध में अपनाई गई कार्यपद्धति का अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है। फिर भी यह समिति भारी संख्या में शेष पड़ी मांगों की पूर्ति करने की दिशा में लगने वाली देरी के मामलों की जांच नहीं करेगी क्योंकि ये शेष मांगें सीमित उपलब्ध साधनों द्वारा पूरी नहीं की जा सकती।

(ग) आवेदन करने पर टेलीफोन देने में जो समय लगता है अलग अलग स्थानों की दृष्टि से उसमें काफी अन्तर है क्यों के टेलीफोन केन्द्र की क्षमता, केबलों, लाइनों का सामान तथा तकनीकी संभाव्यता, रजिस्टर की गई मांग की श्रेणी आदि जैसे अन्य बातों पर यह निर्भर करता है। 1 जुलाई, 1966 तक प्रतीक्षा सूची से सम्बन्धित एक विवरण पत्र लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6738/66]

केरल के लिये सलाहकार समिति

1864. **श्री मे० के० कुमारन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिन में केरल सरकार ने या तो केरल के लिये सलाहकार समिति के निर्णयों और सिफारिशों की उपेक्षा की है अथवा उन का जानबूझ कर उल्घंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेफा तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये संयुक्त सेवा पदालि

1865. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्रों तथा नेफा के लिये एक संयुक्त सेवा पदालि बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो कब से;

(ख) इस को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा कब लागू किया जायेगा ; और

(ग) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र तथा नेफा के लिये अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति के लिये कितने प्रतिशत स्थान नियत करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा के लिये संयुक्त सेवा पदालि बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि नेफा आसाम राज्य का भाग है। दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिये भारतीय प्रशासन सेवा का एक संयुक्त संवर्ग बनाने का विचार है। यह पदालि नेफा क्षेत्र की आवश्यकता-पूर्ति की भी व्यस्था करेगी।

(ख) और (ग) योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

मनीपुर के भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में जांच

1866. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान ने मनीपुर सरकार के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1963 से लेकर 31 मार्च 1966 तक कितने राजपत्रित तथा कितने अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले थे ;

(ग) कितने मामलों को निपटाया जा चुका है तथा कितने मामलों के बारे में अभी जाँच की जा रही है ; और

(घ) जिन मामलों की जांच पूरी हो चुकी है उन पर अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) दो मामलों में चार राजपत्रित अधिकारी इस अवधि में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा चलाये गए मामलों में से एक भी किसी अराजपत्रित अधिकारी का हाथ नहीं था।

(ग) दोनों मामलों में अभी जांच जारी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन द्वारा भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत इमारतों का अधिग्रहण

1867. **श्री कपूर सिंह :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में कुछ कार्यालय खोलने के लिये भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कुछ गैर-सरकारी इमारतों का अधिग्रहण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सुरक्षा नियमों में ढील दिये जाने की दृष्टि से इन इमारतों पर असैनिक सम्भरण अधिकारियों का कब्जा जारी रहने के मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । अब दिल्ली प्रशासन ने भारत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत् अधिग्रहण के आदेश रद्द कर दिये हैं ।

कोचीन में पेट्रो-केमिकल उद्योग-समूह

1868. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजनावधि में कोचीन में पेट्रो-केमिकल उद्योग-समूह स्थापित करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री अलगेसन (क) और (ख) : कोचीन में पेट्रो-केमिकल उद्योग-समूह को स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था । केवल पैट्रो-केमिकल अमोनिया के उत्पादन की योजना थी और इस को कार्यान्वित किया जा रहा है । कोचीन शोधनशाला के पास कच्चे माल में नेफ्था पर आधारित नाइट्रोजन के रूप में 1,64,000 मीटरी टन की वार्षिक क्षमता वाला एक उर्वरक यूनिट लगाया जा रहा है ।

कालेजों के प्रिंसिपलों का सम्मेलन

1869. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री दलजीत सिंह :**

श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों के प्रिंसिपलों के एक सम्मेलन ने, जो भारत तथा श्रीलंका के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा जून, 1966 में बंगलौर में आयोजित किया था, यह सिफारिश की थी कि कालेजों में दाखिला केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या उस सम्मेलन ने इस बात का समर्थन किया था कि सार्वजनिक परीक्षाओं के परिणाम तैयार करते समय कक्षा में किये गये कार्य के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये जाने चाहियें ।

(ग) क्या उस सम्मेलन ने यह सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों को इस बात पर जोर देना चाहिये कि अध्यापक लोग अध्यापन के तरीकों संबंधी पाठ्यक्रम पास करें ; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) : जी हां ।

(घ) सरकार को सम्मेलन की कार्यवाहियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । किन्तु सिफारिशों का संबन्ध मुख्य तौर पर विश्वविद्यालयों से है ।

उर्वरकों तथा पेट्रो-कैमिकल उद्योग-समूह में विदेशी पूंजी विनियोजन

1870. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कोल्ला वेंकैया :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मुथिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों का एक उच्च-शक्ति प्राप्त दल भारत में उर्वरक, पेट्रो-कैमिकल तथा कीटनाशक दवाइयां बनाने के उद्योगों में पूंजी लगाने वाले विदेशियों से बातचीत करने के लिये अमरीका, कनाडा तथा जापान में तीन सप्ताह के दौरे पर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जल्दी करार कराने तथा उन्हें अन्तिम रूप दिलवाने में यह दल कहां तक सफल रहा है ;

(ग) क्या इस दल ने गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया ; और

(घ) क्या सरकार ने अधिकारियों द्वारा विदेशों में बातचीत करने के संबंध में अपनाये जाने वाले मोटे दृष्टिकोण के बारे में पहले ही निर्णय कर लिया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) दल के कामों के परिणाम का निर्धारण इतना पहले नहीं हो सकता ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

Kidnapping of a Girl by Pakistanis on West Bengal Border

1871. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the second week of June, 1966 more than a dozen Pakistanis entered the area of Ramganj Police station in District West Dinapur and kidnapped a girl ;

(b) whether it is also a fact that in another village, Pakistanis looted goods worth five thousand rupees;

(c) whether any person has been arrested in that area; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It is not a fact.

(b) As the name of village is not mentioned it is not clear what specific incident is referred to. However, on 13.6.1966 at about 0030 hours 14/15 Pak nationals committed dacoity in the house of Dayal Chandra Ghosh of Dighirpara and decamped with cash, ornaments and two heads of cattle all valued at about Rs. 5,000/-.

(c) Yes sir. One person has been arrested.

(d) Increased patrolling and vigilance has been enforced.

Mizo Attack

1872. **Shri Bade** : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mizo rebels fired on the Security Forces in Village Sialsook in the District of Mizo Hills in the middle of June, 1966;

(b) if so, the loss of life and property caused thereby; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir. There was an encounter between Mizo hostiles and the Security Forces near Sialsook, on 14th June 1966;

(b) One Mizo hostile was killed and five were wounded. One rifle with 50 rounds of ammunition was recovered by the Security Forces. Three of our other ranks were wounded in this encounter.

(c) Necessary and possible security measures continue to be taken.

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

1873. **श्री बसुमतारी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जून, 1966 को त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से प्रतिदिन 10-12 परिवार सीमा पार करके त्रिपुरा में आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में इस प्रकार अब तक कुल कितने लोग आ चुके हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) मुख्य मंत्री द्वारा यह वक्तव्य 31 मई, 1966 को दिया गया था न कि 2 जून, 1966 को।

(ख) 1-1-64 से 23-7-66 तक पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में आने वाले व्यक्तियों की

संख्या 1,15,645 है। तथापि इस संख्या में वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जिन्होंने अपने नाम त्रिपुरा सरकार के पास दर्ज नहीं कराये हैं।

डाक तथा तार के हरकारों को लू लग जाना

1874. **श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उत्तर भारत में हाल में भीषण गर्मी के दौरान बहुत से हरकारों को लू लग गई थी ;

(ख) डाक तथा तार विभाग के ऐसे कितने कर्मचारियों को लू लगी ; और

(ग) यदि सरकार ने कोई सहायता कार्य किया है तो क्या ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख)– सम्बधिन्त परिमण्डलों से की गई पूछताछ से यह पता चलता है कि किसी भी डाक हरकारे को लू नहीं लगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल

1875. **श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अध्यापकों, पढ़ाई के कमरों के स्थान, प्रयोगशाला के सामान, पुस्तकालयों तथा पाठ्य पुस्तकों के मामले में समूचे देश के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों की दयनीय दशा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार धनी लोगों के विशेष प्राथमिक स्कूलों को समाप्त करने तथा सारे देश में एक जैसी प्राथमिक शिक्षा लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या हमारे बच्चों में समाजवादी दृष्टिकोण पैदा करने के मामले में इन विशेष स्कूलों का उन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है ; और यदि हां, तो उससे क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) स्कूलों में सामान और अन्य सुविधाओं की आम कमी के बारे में सरकार को जानकारी है। प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना में 140.12 करोड़ रुपये की रकम शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जहां केवल धनी लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हों और–जहां दाखिले में किसी प्रकार का भेद भाव किया जाता हो। योग्यता छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं, ताकि मेधावी विद्यार्थी अच्छे स्कूलों में अध्ययन कर सकें।

(घ) जी नहीं।

मिज़ो नेशनल फ्रन्ट का वाइस-प्रेजीडेंट

1876. **श्रीमती रेणु बड़कटकी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के वाइस-प्रजीडेंट श्री लालनन माविया बर्मा भाग गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत वापिस लाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्रोही नागाओं से विस्फोटक पदार्थों का बरामद होना

1877. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

श्री बसबन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जून, 1966 को कांग पोकली में गिरफ्तार किये गये 3 नागाओं से 40 किलो वजन के ज़ोरदार विस्फोटक पदार्थ बरामद किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि ये विस्फोटक पदार्थ कहाँ से प्राप्त किये गये थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 13.6.66 को कांगपोकमी में तीन नागाओं से साढ़े उन्तालीस किलोग्राम वजन के विस्फोटक बरामद किये गए ।

(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है । जांच की जा रही है ।

नेफा प्रशासन

1878. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासनिक केन्द्रों, बाहरी चौकियों तथा सरकारी फार्मों के लिये किस प्रकार भूमि अर्जित कर रहा है ;

(ख) क्या भू-स्वामियों द्वारा किसी समय अथवा किसी स्थान पर मुआवज़ा की मांग की गई थी किन्तु इसे प्रशासन ने नामंजूर कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में मुआवज़ा देकर भूमि अर्जित करने का है अथवा मुआवज़ा दिये बिना ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) विभिन्न प्रशासनिक कामों के लिये भूमि का अर्जन मुआवजा देकर किया जा रहा है ।

(ख) ऐसे कोई दावे नामंजूर नहीं किये गए ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्राथमिक शिक्षा के लिये "यूनेस्को" का कार्यक्रम

1879. **श्री बसवन्त :** **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये अभिप्रेत भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने सभी राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना संबंधी शिक्षा के बारे में यूनेस्को के कार्यक्रम में भाग लेने के लिये अपने अपने राज्यों से 10–15 प्राथमिक स्कूल तथा प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाएं चुनें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) चार राज्य सरकारों और पांच संघीय क्षेत्रों ने अब तक अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुने हुए 97 प्राथमिक स्कूलों और प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम भेजे हैं ।

कलकत्ता में चित्रकारी सम्बन्धी प्रदर्शनी

1880. **श्री बसवन्त :** **श्री विश्वनाथ पांडेय :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जून 1966 को कलकत्ता में अफ्रीकी विद्यार्थियों ने कलकत्ता स्थित ललितकला अकादमी में प्रदर्शित किये जा रहे उगांडा सम्बन्धी 34 चित्रों में से 32 चित्रों को छीन कर टुकड़े टुकड़े कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां । कुछ अफ्रीकी विद्यार्थी प्रदर्शनी कक्ष में घुस गये और अनेक चित्रों को फाड़ डाला ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है और विचार किया जा रहा है ।

गुजरात के पुलिस के भूतपूर्व इंसपेक्टर जनरल

1881. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री जसवन्त मेहता : **श्री मधु लिमये :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पुलिस के भूतपूर्व इंस्पेक्टर जनरल के विरुद्ध आरोपों की जांच संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का परिणाम तथा निष्कर्ष क्या है;

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, यह भारत सरकार को 8 जून, 1966 को प्राप्त हो गया था।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है और अंतिम निश्चय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही किया जायगा। अतः इस अवस्था में आयोग के परिणाम और निष्कर्ष तथा उनके बारे में सरकार का फैसला बताने का समय नहीं आया।

(घ) जी नहीं।

उड़ीसा में नये केन्द्रीय स्कूल

1882. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 20 अप्रैल 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4050 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर और वरहामपुर में दो और केन्द्रीय स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर पत्र-व्यवहार हो रहा है, जिसने कुछ अन्य स्थानों का भी सुझाव दिया है।

केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद

1883. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री यन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद द्वारा अनिर्णीत मामलों को निबटाने में बिलम्ब के बारे में सरकार को भारतीय खान मज़दूर संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री श्री शाहनवाज खां : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि कलकत्ता और जबलपुर में औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय स्थापित किए जाएं। ये कुछ हद तक धनबाद के न्यायाधिकरण की सहायता करेंगे।

ऋण छात्रवृत्तियां

1884. **श्रीमती विमला देवी : श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष छात्रों को दी जाने वाली राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस वर्ष कितनी छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां। नये राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियों की संख्या इस वर्ष कम कर दी गई है ।

(ख) कठिन वित्तीय स्थिति के कारण ऐसा किया गया है ।

(ग) 18,500 जबकि पिछले वर्ष 26,500 छात्रवृत्तियां दी गई थीं ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद

1885. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) विवादों के उत्पन्न होने की तिथियों तथा उन्हें न्यायाधिकरण को सौंपने की तिथियों में लगभग कितना अन्तर है;

(ग) क्या कलकत्ता में केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब स्थापित किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री शाहनवाज खां : (क) 30-6-1966 को 384 मामले अनिर्णीत पड़े थे ।

(ख) 136 दिन ।

(ग) और (घ) : श्री एस० के० सेन को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय, कलकत्ता, का प्रधान अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है ।

ड्यूटी पर तैनात रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की रक्षा

1886. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा का एक कर्मचारी जो 15 जून, 1966 को बम्बई-कलकत्ता डाक गाड़ी में रेलवे डाक सेवा के डिब्बे में ड्यूटी पर तैनात था, पुलिस के एक अधिकारी द्वारा मारा पीटा गया, क्योंकि गाड़ी की बत्तियां बन्द हो जाने के कारण रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी अपना काम नहीं कर सकते थे अत: उसने जंजीर खींच दी थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) पुलिस अधिकारियों अथवा रेलवे के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ऐसी ज्यादतियों से अपने रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 15 जून,

1966 को जब बम्बई-कलकत्ता डाक गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस से रवाना हुई तो रेल डाक व्यवस्था के डिब्बे में रोशनी बहुत धीमी थी। अतः एक सार्टर ने जंजीर खींच ली। जैसे ही रेलगाड़ी रुकी एक पुलिस अधिकारी डिब्बे में घुसा और ऐसा बताया जाता है कि उसने सार्टर पर हमला किया।

(ख) इस मामले में जांच का कार्य जारी है।

(ग) जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रोजगार देना

1887. **श्री रामहरख यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रोजगार दिलाने की योजना बना ली है जिन्हें 1967 में सेवामुक्त किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लगभग कितने ऐसे अधिकारी सेवामुक्त हो रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 6739/66]

केरल में भूमि दिये जाने की मांग

1888. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री इम्बीचीबावा** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को उन परिवारों से जिनकी भूमि फैक्ट (एफ० ए० सी० टी०) अम्बालां मुगल, केरल के लिये अर्जित कर ली गई है अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने पुनर्वास के लिये 15 सेंट भूमि की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि एर्णाकुलम के कलक्टर ने उन्हें पुनर्वास के लिये 15 सेंट भूमि देने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एर्णाकुलम के कलेक्टर ने प्रत्येक परिवार को दस सेन्ट भूमि दिये जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मद्रास विश्वविद्यालय में दाखिला

1889. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विद्यार्थियों को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम पास करते हैं, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा चालू की गई सायंकालीन विधि कक्षाओं में दाखिला नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सायंकालीन विधि कक्षाओं में दाखिला दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) स्वायत्त संस्था के रूप में यह निर्णय करना प्रत्येक विश्वविद्यालय के अपने हाथ में है कि अपने अपने नियमों के अनुसार वह अपने यहां के पाठ्यक्रमों के लिये दूसरे विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता दे या नहीं । दिल्ली विश्वविद्यालय पहले ही इस बारे में मद्रास विश्वविद्यालय से बात-चीत कर रहा है ।

पुलिस द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाया जाना

1890. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह दर्शाने वाला एक विवरण, कि पिछले छः महीनों में निहत्थी भीड़ पर कितनी बार तथा किन-किन स्थानों पर गोली चलाई गई है और प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति हताहत हुए सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(क) इस प्रकार गोली चलाने पर नियंत्रण रखने के बारे में क्या आदेश है तथा क्या प्रत्येक मामले में उनका पालन किया गया है; और

(ख) अन्धाधुन्ध गोली चलाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार ने पुलिस के गोली चलाने का नियन्त्रण करने के लिये कोई आदेश जारी नहीं किये हैं । इन मामलों का नियन्त्रण दंड प्रक्रिया संहिता तथा राज्य-सरकारों द्वारा जारी किये गए आदेशों द्वारा होता है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

पर्वतारोहण अभियान

1891. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 और 1966 के पर्वतारोहण के मौसम में कितने भारतीय अभियान दल पर्वतों पर गये ; और

(ख) सरकार ने इन अभियान दलों को क्या सहायता दी और इन दलों में से कितने दल अपने उद्देश्य में सफल रहे ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1965 में प्रमुख अभियानों की संख्या (भारतीय एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान) 1

1965 में अन्य अभियानों की संख्या 11

1966 के दौरान और जुलाई 1966 तक अभियानों की संख्या 11

(ख) दी गई सहायता

1965 के दौरान 7,76,404.57 रुपये

(एवरेस्ट अभियान के लिए 7,50,000 रुपये सहित)

1966 के दौरान (जुलाई, 1966 तक) 37, 500 रुपये

8, 13,904.57 रुपये

1965 के दौरान सफल अभियानों की संख्या	5
1966 के दौरान सफल अभियानों की संख्या	10

डाक तथा तार मंत्रणा समिति

1892. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार राष्ट्रीय मंत्रणा समिति की पिछली बैठक के कार्य-सूची संबंधी पत्र सदस्यों में कब परिचालित किये गये थे;

(ख) क्या वे बैठक के दिन ही परिचालित किये गये थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा कितने सुझाव दिये गये; और

(घ) समिति ने कुल कितने सुझाव स्वीकार किये ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) 8 मई, 1965 को हुई पिछली केन्द्रीय डाक-तार सलाहकार परिषद की बैठक से सम्बन्धित कार्यसूची के नोट 6 मई, 1965 को सभी सदस्यों को भेज दिये गए थे। इस देरी का कारण यह था कि कार्यसूची में शामिल करने के लिए मदों की बहुत बड़ी संख्या निर्धारित तारीख अर्थात् 31 मार्च, 1965 के बहुत बाद में प्राप्त हुई थी।

(ख) केवल एक ही ऐसा मामला था जबकि कार्यसूची के कागजात बैठक वाले दिन ही सदस्य को दिये गए, क्योंकि उस सदस्य के दिल्ली के पते पर जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा इन्हें स्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) 45

(घ) 31

तेल की खोज की लागत

1893. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपये के अवमूल्यन के कारण तेल की खोज की लागत में वृद्धि हो जायेगी ;

(ख) क्या इससे तेल शोधक कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य में भी वृद्धि हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इन मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) ठीक ठीक वृद्धि के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

तेल की खोज

1894. **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री राम हरख यादव** :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने के लिये तेल की खोज के लिये 185 करोड़ रूपये की एक योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं ।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

1895. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री रिशांग किशिंग :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने लगभग 800 से 900 रुपये तक की लागत का टेली वजन सेट बनाने का तरीका खोज निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सेटों के वाणिज्यिक निर्माण के लिये क्या योजना है और गैर-सरकारी क्षेत्र में इनका निर्माण करने की कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । दी सेन्ट्रल एलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट, पिलानी ने टेलीविजन सेट बनाने का तरीका खोज निकाला है । रुपये के अवमूल्यन से पहले उत्पादन-शुल्क और अन्य स्थानीय करों के अतिरिक्त टी० वी० सेट के मूल्यों का जो अनुमान लगाया गया था उसके अनुसार 17" स्क्रीन सेट की एक्स फैक्ट्री की कीमत 800 रुपये, 19" स्क्रीन सेट की कीमत 850 रुपये और 23" स्क्रीन सेट की कीमत 950 रुपये थी ।

(ख) इस संस्थान में विकसित टेलीविजन सेटों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए, भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने दो पार्टियों अर्थात् मेसर्स जे० के० रेयन, कानपुर और मैसर्स टेलर्ड प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के साथ करार किये हैं। उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में वार्षिक 10,000 टेलीविजन सेट बनाने के लिए इन पार्टियों को आशय पत्र जारी कर दिये हैं ।

Chinese Detention

1896. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Chinese nationals under detention at present in the country; and

(b) the number of such persons among them who are desirous of returning to their homeland ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Ministry of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b) According to the latest information available, the number of Chinese nationals detained in India is 100. Out of whom three have expressed a desire to return to China.

बंगलौर में गोलीकाण्ड

1897. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने 27 जून, 1966 को बंगलौर के निकट हरिहर में रेलवे यातायात को रोकने वाली उपद्रवी भीड़ पर गोली चलाई थी ;

(ख) इस घटना के क्या कारण थे; और

(ग) क्या इसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 27 जून, 1966 को हरिहर रेलवे स्टेशन पर एक भीड़ एकत्रित हो गई और इसमें से कुछ लोगों ने गाड़ी को रोका। जब पुलिस दल ने इन लोगों को रेल की पटरी पर से हटाने की चेष्टा की तब भीड़ हिंसा पर उतर आई और पुलिस पर ईंटें बरसाईं। शांति की प्रार्थनाएं, लाठी चार्ज, और अश्रुगैस को बेकार साबित होने पर पुलिस ने 7 राउंड चलाए।

(ग) इस घटना के लिये किसी एक राजनैतिक दल को जिम्मेदार ठहराना कठिन है।

मानचित्र सम्बन्धी कार्य

1898. **श्री चांडक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सम्बन्धी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था द्वारा मानचि सम्बन्धी आंकड़ों के साथ इन मानचित्रों को तैयार करवाना चाहता है ;

(ग) क्या हमारे देश में भूमि के बारे में राज्यवार जानकारी उपलब्ध है ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था के कार्यक्रम को मदवार लागत, जनदिवस संख्या तथा मानचित्र योग्य आँकड़ों को ध्यान में रखकर मंजूरी दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भूमि के संबंध में राज्य-वार सूचना उपलब्ध है। किन्तु यह छोटे पैमाने के नक्शे तैयार करने के लिए उपयुक्त है। खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय बड़े पैमाने पर अर्थात 1 : 1 एम० के नक्शे बनाना चाहता है। इतने बड़े पैमाने पर नक्शे तैयार करने के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय एटलस संस्था के कार्यक्रमों को जांच करने के बाद स्वीकृति दी गई थी।

भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली (एटलस)

1899. **श्री चांडक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के भूमानचित्रों में भूमि के बारे में कितने प्रतिशत जानकारी दी हुई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था के पास 1:6 एम० का भारत का भूप्रबन्ध मानचित्र तैयार करने के लिये मानचित्र में सम्मिलित करने योग्य पर्याप्त आंकड़े हैं ; और यदि नहीं, तो मानचित्र के योग्य आंकड़ों की उचित छानबीन किये बिना इसके लिये किस प्रकार मंजूरी दी गई ; और

(ग) क्या भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली (हिन्दी संस्करण) 1957 में राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्था द्वारा प्रकाशित भारत के भूमानचित्र में भूमि सम्बन्धी सूचना तथा प्रत्येक किस्म की भूमि की विशेषताओं का उल्लेख है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) :

(क) नक्शे तैयार करने के लिए अपेक्षित पूरी सूचना, राष्ट्रीय एटलस संस्था से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) नक्शा तैयार करने के लिए अपेक्षित पर्याप्त सूचना राष्ट्रीय एटलस संस्था के पास उपलब्ध है और अन्तिम रूप से नक्शे में शामिल करने योग्य तथा अधिक आधुनिक आंकड़े इस संस्था द्वारा विभिन्न स्रोतों से संकलित किये जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय एटलस (हिन्दी संस्करण 1957) में प्रकाशित नक्शा, राष्ट्रीय एटलस संस्था द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विभागों से एकत्र की गई भूमि संबंधी सूचना और रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया था।

भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल

1900. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दो वर्ष पूर्व नैनीताल में भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नामक एक संस्था खोली गई थी ;

(ख) क्या उक्त संस्था ने सरकार से सहायता मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : विद्यालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना की थी; लेकिन राज्य सरकार के लिए यह प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं हो सका क्योंकि वह इस विद्यालय के निकट स्थित एक अन्य सैनिक स्कूल को पहले से ही आर्थिक सहायता दे रही है।

आसाम के तेल क्षेत्रों से निकाले गये परिवारों को मुआवजा

1901. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के तेल क्षेत्रों से निकाले गये काफी परिवारों को अभी तक आयल इंडिया से कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) ऐसे किसी तेल क्षेत्र में से, जिसमें आयल इण्डिया कार्य कर रही है, अब तक किसी परिवार को नहीं निकाला गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम न्यायालयों के अधिकार

1902. **श्री बासप्पा** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा 1962 के भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने श्रम न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों को पदच्युति सम्बन्धी मामलों पर

पुनर्विलोकन करने के अधिकार प्रदान करने के लिए उनके अधिकारों को बढ़ाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का निश्चित निर्णय क्या है ; और

(ग) सम्बद्ध विधेयक संसद् में कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

बनकोला कोयला खान में दुर्घटना

1903. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अथवा 29 जून, 1966 को बनकोला कोयला खान, डाकखाना इश्करा में एक भयंकर दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या जांच-प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, 20 जून, 1966 को बनकोला कोयला खान में एक घातक दुर्घटना हुई, जिसके परिणाम-स्वरूप दो मजदूरों की मृत्यु हो गई तथा एक को सख्त चोट आई । पत्थर का एक भारी ढेला 4 लोडरों पर 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिर गया था ।

(ख) जी हां, खान निरीक्षालय के एक अधिकारी ने इस मामले की जांच की है ।

(ग) जांच रिपोर्ट की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी** 6740/66]

(घ) जांच अधिकारी के विचार में दुर्घटना के लिए किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि साक्ष्यानुसार मैनेजर, अन्डर मैनेजर तथा ओवरमैन ने दुर्घटना के दिन पहली पारी में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया था और परीक्षा करने पर छत को पुख्ता पाया था । फिर भी जाँच रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर श्रम डिपो

1904. **श्रीमती बिमला देवी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 801 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर श्रम डिपो द्वारा विभिन्न कोयला खानों को दिये गये मजदूरों को स्थायी बना दिया गया है ; और

(ख) इन कोयला खानों के क्या नाम हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कोयला खानों के केन्द्रीय अस्पताल, काल्ला (बंगाल) में वातानुकूलन यंत्र

1905. **श्रीमती विमला देवी :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल के निकट कोयला खानों के काल्ला स्थित केन्द्रीय अस्पताल में कितने वातानुकूलन यंत्र हैं ;

(ख) ये वातानुकूलन यंत्र कब लगाये गये थे ; और

(ग) इस समय कितने वातानुकूलन यन्त्र काम कर रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) छः खिड़की नुमा वातानुकूलन यंत्रों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) सितम्बर, 1964 में ।

(ग) तीन वातानुकूलन यन्त्र संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और संभरक से खराबियों को सुधारने के लिए प्रार्थना कर दी गई है ।

Adulteration of Kerosene oil in Punjab

1906. **Shri Gulshan :** **Shri P. C Burooah :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government received some complaint from Punjab in June, 1966 that kerosene oil was being mixed with diesel oil and petrol and was being sold by petrol pumps or through other sources; and

(b) if so, the steps taken to check this mal-practice ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Yes.

(b) The State Government is taking necesssary steps.

सेवा-निवृत्ति के पश्चात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का नौकरी में लगना

1907. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के अनेक अधिकारियों ने सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो 26 जनवरी, 1950 से लेकर आज तक ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है और सेवा-निवृत्ति के समय उनमें से प्रत्येक का वेतन कितना था और किस वेतन पर वे गैर-सरकारी क्षेत्र में गये ; और

(ग) क्या सेवा-निवृत्ति से पहले इनमें से प्रत्येक अधिकारियों के सम्बन्ध तथा सरकारी ताल्लुकात अपने नये नियोजकों के साथ थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रथम श्रेणी के सेवा निवृत्त अधिकारी सेवा-निवृत्ति के बाद दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर सरकार से इजाजत लेकर ही गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं । यदि सेवा-निवृत्ति के दो वर्ष बाद नौकरी करें तो ऐसी इजाजत की कोई जरूरत नहीं पड़ती । इसलिये हो सकता है कि कई श्रेणी-I अधिकारियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र में मामले के मुताबिक इजाजत लेकर या बिना इजाजत के नौकरी कर ली हो ।

(ख) और (ग) सरकार के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है और न ही सरकारी रिकार्ड से पूरी सूचना एकत्रित की जा सकती है क्योंकि हो सकता है कि 26 जनवरी 1950 से अब तक 16 वर्ष से भी अधिक अवधि में कितने ही सेवानिवृत्त सरकार के श्रेणी-I अधिकारियों ने अपनी सेवा-निवृत्ति की अवधि से दो वर्ष पूरे होने के बाद गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर ली हो और सरकार के पास ऐसे मामलों का कोई रिकार्ड न हो।

अमरीका और कनाडा के साथ वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान

1908. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा कनाडा के साथ सीनियर और जूनियर वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के लिये कोई समझौते किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका से स्वदेश लौटाये जाने वाले भारतीय

1909. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीयों की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों का, जिन्हें भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत श्रीलंका से भारत वापस भेजा जायेगा, अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल कोलम्बो भेजा गया अथवा भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह दल किन विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करेगा ; और

(ग) इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) वर्तमान में 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अंतर्गत स्वदेश भेजे जाने वाले भारतीयों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अधिकारियों के एक दल को श्रीलंका भेजा जाना विचाराधीन है।

(ख) और (ग) टीम की रचना तथा जिन विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जायेगा इसके बारे में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

राजनैतिक नजरबन्द व्यक्तियों के लिये भत्ता

1910. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री म० ना० स्वामी** :
श्री दशरथ देव : **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 दिसम्बर, 1964 से 16 अप्रैल, 1966 तक की अवधि में दिल्ली प्रशासन द्वारा सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली में नजरबन्द कुल कितने राजनैतिक नजरबन्द व्यक्तियों को परिवार भत्ता दिया गया था और प्रत्येक परिवार को प्रति मास कितना भत्ता दिया जाता था ; और

(ख) क्या नजरबन्द व्यक्तियों को उनकी नजरबन्दी की पूरी अवधि के लिये परिवार भत्ता दिया गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) नजरबन्दों की "राजनैतिक नजर बन्दी" नामक कोई श्रेणी नहीं है । इस अवधि के दौरान 14 नजर बन्दों को 50 रुपये से 200 रु० प्रतिमास तक प्रति-परिवार की दर से परिवार भत्ता दिया गया ।

(ख) दो मामलों को छोड़कर शेष सभी में नजरबन्दों को पैरोल पर छोड़े जाने की अवधि के अलावा पूरी अवधि के लिये भत्ता दिया गया ।

सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली में चिकित्सा सुविधायें

1911. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री दशरथ देव : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1965 में सेंट्रल जेल, नई दिल्ली के राजनैतिक वार्ड में एक व्यक्ति को लू लग गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रोगी की समय पर और उचित चिकित्सा नहीं की गई ;

(ग) क्या इस रोगी ने इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से अभ्यावेदन किया था और यदि हां, तो क्या उसे कोई उत्तर दिया गया था ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, ।

(ख) से (घ) : समय पर उचित चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी । अपने अभ्यावेदन में रोगी ने अपने इलाज के बारे में यह कहा था कि उसके इलाज के बारे में यह कहा था कि उसके इलाज में देर लगी, खासतौर पर ग्लूकोस् तथा बर्फ दिये जाने में दिल्ली प्रशासन ने ऐसी हिदायतें जारी कर दी है कि दवाओं से सम्बन्धित आवश्यकताओं पर एकदम ध्यान दिया जाना चाहिये । सम्बन्धित नजरबन्दी को अनौपचारिक रूप से इन आदेशों के बारे में बता दिया गया था । भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से इस बात की व्यवस्था का उपाय किया गया है कि चिकित्सा कार्य के लिये जब कभी ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़े जो भंडार में न हों तो वे शीघ्रता से उपलब्ध हो सकें ।

सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली में आफथैलमिक रोगी

1912. **श्री दशरथ देव :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) 30 दिसम्बर 1964 से 16 अप्रैल 1966 तक की अवधि में सेन्ट्रल जेल, नई दिल्ली

में कुल कितने राजनैतिक नजरबन्द व्यक्तियों को नेत्र-रोग हुए और उन्हें आवश्यक इलाज के लिये नेत्र-विशेषज्ञों के पास भेजा गया ;

(ख) कुल कितने मामलों में नेत्र-विशेषज्ञों ने चश्मा लगाने के लिये कहा और उन रोगियों को सरकारी खर्चे पर ये चश्मे दिये गये ;

(ग) क्या किसी मामले में बताया गया चश्मा नहीं दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) नौ ।

(ख) सात मामलों में चश्मा लगाने की सिफ़ारिश की गई । छः मामलों में सरकारी खर्च पर चश्में दिये गए ।

(ग) जी हां एक ।

(घ) जिस नजरबन्दी के लिये चश्मा बनवाया गया था वह चश्मे की व्यवस्था से पहले ही रिहा हो गया । अब यह चश्मा तैयार हो गया है इसे उसके पास भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है ।

जाडवट ट्रेडिंग कम्पनी

1913. **श्री म० ना० स्वामी :** **श्री दशरथ देव :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त द्वारा मेसर्स जाडवट ट्रेडिंग कम्पनी की, जो इस द्वीपसमूह में जहाजों की मालिक है, तरफदारी करने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या मामले की जाँच करने के आदेश दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो जाँच-निष्कर्ष क्या है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण] मंत्री (श्री हाथी) : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के वर्तमान मुख्यायुक्त अथवा उनसे पहले वाले मुख्यायुक्त के बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली । अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के खिलाफ अन्य आरोपों के साथ इस प्रकार की एक शिकायत मार्च 1966 में अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के एक भूतपूर्व असन्तुष्ट कर्मचारी के द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को भेजी गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं । यह आवश्यक नहीं प्रतीत होता क्योंकि पहली नज़र में ही ये आरोप निराधार तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण पाये गये ।

मद्रास सर्किल में रेलवे डाक सेवा का डाक छंटाई अनुभाग

1914. **श्री सेझियान :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक डिब्बे न मिलने के कारण मद्रास सर्किल में रेलवे डाक सेवा के नये छंटाई अनुभागों को खोला जाना या तो रोक दिया गया है अथवा स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) मद्रास सर्किल में रेलवे डाक सेवा के नये अनुभाग खोलने के लिए गत दो वर्षों में कितने डाक डिब्बे बनाये गये हैं ,

(ग) मद्रास सर्किल के लिये इस समय कितने डाक डिब्बे बनाये जा रहे हैं ; और

(घ) रेलवे डाक सेवा के लिये डाक डिब्बे बनाने तथा आवश्यकतानुसार गाड़ियों में उन्हें लगाने के मामले में रेलवे तथा डाक विभाग के बीच और अधिक समन्वय लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) किसी भी प्रस्ताव को छोड़ा नहीं गया है, पर कुछ प्रस्तावों में देरी हो गई है ।

(ख) कोई नहीं । फिर भी एक नया सेक्शन खोलने के लिए मद्रास परिमण्डल को हाल में ही 3 डिब्बे अलाट किये गए हैं ।

(ग) सात ।

(घ) दुबारा बदली करने के आधार पर डिब्बों के निर्माण तथा रेलगाड़ियों में रेल डाक-व्यवस्था के लिए स्थान की व्यवस्था करने के मामलों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रादेशिक निदेशक (रे० डा० व्य०) दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास तीन महीने में एक बार दक्षिणी रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन करते हैं । यदि आवश्यक होता है तो इस सम्बन्ध में डाक-तार बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ उच्च स्तरीय बातचीत भी की जाती है । अतिरिक्त तौर पर नए डाक डिब्बों की व्यवस्था करने से मामलों में डाक-तार निदेशालय द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत आरम्भ की गई और फिर इस मामले की प्रादेशिक निदेशक, रेल डाक व्यवस्था, मद्रास द्वारा दक्षिणी रेलवे अधिकारियों के साथ आगे बढ़ाया गया ।

पत्रकारों के लिये सामाजिक सुरक्षा

1917. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकारों के लिये सामाजिक सुरक्षा पद्धति की व्यवस्था करने, जिसमें वृद्धावस्था में पेंशन की गारंटी देने तथा बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सहायता शामिल हैं, के लिये कानून बनाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों को सरकार कहां तक कार्यान्वित कर सकी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस सुझाव का हवाला दे रहे हैं । श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीरण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार ग्रेच्युटी, डाक्टरी सर्टिफिकेट पर छुट्टी और निर्वाह निधि के हकदार हैं । निर्वाह निधि प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए सेवा-

निवृत्ति/परिवार पेंशन योजना बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस समय बेरोजगारी बीमा की कोई योजना चालू नहीं है।

समझौते की कार्यवाही

1916. **श्री ह० चं० सोय** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सिंहभूम जिले में बौबासा के श्रमप्रवर्तन अधिकारी (लेबर एनफोर्समेंट आफिसर) (केन्द्रीय) ने चाइना क्ले माइन्स (ओरियंटल पोटरीज) के कर्मचारी संघ तथा चाइना क्ले खानों के मालिकों को तीन बार अर्थात् 1 अक्तूबर, 1965, 2 अप्रैल, 1966 तथा 26 जून, 1966 को नोटिस जारी किये थे ;

(ख) क्या इन तीनों तिथियों को कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि प्रस्तावित समझौता कार्यवाही स्थल पर उपस्थित हुए थे परन्तु लेबर एनफोर्समेंट आफिसर (केन्द्रीय) कर्मचारी संघ को अपने न आने के कारण बताये बिना वहाँ हाजिर नहीं हुए ; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) तथा (ख) के उत्तर 'हां' में हों, तो तुरन्त समझौता कार्यवाही आरम्भ कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) चाइना क्ले (औरियंटल पौटरीज) कार्यवाही संघ से माँग-पत्र प्राप्त होने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), चौबासा ने 1 अक्तूबर, 1965 को सूचना पत्र जारी कर 10 अक्तूबर, 1966 को समझौता बैठक नियत की। बातचीत के बाद, कर्मचारी संघ इस बात पर राजी हो गया कि श्रम ब्यूरो, शिमला के निदेशक द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जो न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए सरकार के निर्णय का इंतजार किया जाय।

संघ ने फिर एक माँग पत्र 2 मार्च, 1966 को पेश किया। इस पर सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद-2 ने 2 अप्रैल, 1966 को चौबासा में समझौता बैठक नियत की। लेकिन इस बैठक को तार द्वारा 9 अप्रैल, 1966 तक के लिए स्थगित किया गया, क्योंकि कोयला खानों में काम करने वाली यूनियनों ने काफी संख्या में हड़ताल के नोटिस दिये थे, जिन पर धनबाद क्षेत्र के अधिकारियों को फौरन ध्यान देना था। स्थगित बैठक में यूनियन इस बात पर राजी हो गई कि मामले पर कार्यवाही तब तक के लिए बंद की जाय, जब तक कि बिहार के उप श्रमायुक्त इस यूनियन के कार्यकर्ताओं की हैसियत के मामले में जाँच न कर लें।

इस यूनियन ने 16-5-66 को एक और माँग पत्र पेश किया और सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद-2 ने 26-6-66 को समझौता बैठक नियत की। यह सूचना मिलने पर कि रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन बिहार, यूनियन के दो प्रतिद्वन्दी पक्षों के दावों पर विचार कर रहे हैं, इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। फिर भी संघ के जनरल सेक्रेटरी, सहायक श्रम आयुक्त धनबाद को 27-6-64 को मिले और उन्होंने बतलाया कि रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन द्वारा जांच कार्य जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरा हो जायेगा। जब तक रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन बिहार, पटना अपना निर्णय न दें तब तक के लिए इस मामले पर कार्यवाही बन्द कर दी जाय। तदनुसार कार्यवाही बन्द कर दी गई। आगे की कार्यवाही यदि कोई हो, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार के निर्णय का पता लगने पर की जायेगी।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था

1917. श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री बारियर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में एर्णाकुलम में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था स्थापित करने तथा उसके विकास के लिये कितनी धनराशि पृथक् रखी गई है ; और

(ख) इस संस्था द्वारा किन-किन विषयों की पढ़ाई कराने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोआ में स्थित होगा और एरनाकुलम में उसका केवल एक क्षेत्रीय स्टेशन होगा। चौथी आयोजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए अभी तक वित्तीय व्यवस्था को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(ख) संस्थान में निम्नलिखित प्रमुख प्रभाग होंगे और उसका अपना एक आधुनिक अनुसंधान जहाज होगा :—

1. भौतिक और गत्यात्मक समुद्र विज्ञान प्रभाग।
2. रसायन समुद्र विज्ञान प्रभाग, जिसके साथ समुद्र से कच्ची सामग्री निकालने के लिए एक यूनिट होगा।
3. जीवविज्ञानीय समुद्र विज्ञान प्रभाग—समुद्रीय जीवन साधन।
4. भूगर्भीय समुद्र विज्ञान प्रभाग जिसके साथ महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा गहरे क्षेत्रों की खोज के लिए एक यूनिट होगा।
5. आंकड़े और प्रलेख-पोषण।
6. समुद्र विज्ञानीय साधन-विनियोग।

गुजरात में तेल की खोज सम्बन्धी परियोजनायें

1918. श्री बसवन्त मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अंकलेश्वर में तेल की खोज सम्बन्धी परियोजनाओं में समन्वय का अभाव है ;

(ख) क्या समन्वय न होने से तेल के उत्पादन में देरी हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष में उत्पादन में कितनी तथा कितने मूल्य की हानि हुई है ; और

(घ) समन्वय सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में उर्वरक कारखाना

1920. श्री डे० जी० मावलंकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक औद्योगिक सलाहकार ब्यूरो ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि आसाम में एक बड़ा उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये ताकि इस समय बेकार जा रही गैस का उपयोग किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) **और** (ख) : इण्डस्ट्रियल कन्सलटिंग ब्यूरो प्राईवेट लि० (Industrial consulting Bureau (P) Ltd) ने आसाम राज्य सरकार के कहने पर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में और बातों के अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया है कि आसाम में उपलब्ध फालतू प्राकृतिक गैस को उपयोग करने का एक यह भी उपाय हो सकता है कि एक बड़े आकार वाला उर्वरक संयन्त्र लगाया जाए । केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वतन्त्र अध्ययन से सुझाव का अनुसरण किया जा रहा है और क्या ऐसे संयन्त्र को लगाना उचित होगा; आशा है इस का ठीक ठीक निर्णय किया जायेगा ।

Attack by Nagas

1921. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bade : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 20 Nagas armed with machine guns, had suddenly attacked a Manipur Village on the 9th June, 1966, and

(b) if so, the loss of life and property as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

बस्तर में स्कूल

1922. **श्री लखमू भवानी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर में, विशेषरूप से आदिवासी बच्चों के लिए, ऐसे कितने स्कूल खोले गये हैं जिनमें इस समय निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ; और

(ख) इन स्कूलों में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बस्तर में आदिवासी स्नातक

1932. **श्री लखमू भवानी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर में इस समय स्नातकों तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : शिक्षा मन्त्रालय में इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

Barauni Refinery

1925. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Bade : **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the news reports of the 27th June, the refining work at Barauni was stopped for lack of accomodation for keeping the kerosene oil supplies in godowns there; and

(b) if so, the steps taken in the matter ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Yes.

(b) The operations have since been resumed; and adequate steps have also been taken to step up the movement of kerosene ex-Barauni refinery in consultation with the Railway Board.

रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ की मांगें

1926. **श्री सेझियान :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ से 27 अगस्त, 1964 को एक ज्ञापनपत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) उस ज्ञापन पत्र में क्या मुख्य मांगें की गई थीं तथा क्या क्या प्रस्ताव रखे गये थे ; और

(ग) उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में दी हुई मांगों की सूची सभा-पटल पर रखी जा रही है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी 6741/66]

(ग) मांगों की इस लम्बी सूची पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा 31 अगस्त, 1965 को उप मन्त्री (संचार) से अनौपचारिक तौर पर विचार-विमर्श किया गया । कुछ मामलों पर निर्णय ले लिये गए हैं । कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ और आगे विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये पत्र छंटाई परीक्षा

1927. **श्री सेझियान :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 'क' श्रेणी में पत्र छंटाई परीक्षा पास करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष परीक्षा लेने के क्या कारण हैं , और

(ग) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि सेवा में पहले के कुछ वर्ष में ही कर्मचारियों की परीक्षा ली जाये ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) जी हां, टाइम स्केल के सार्टरों को प्रतिवर्ष एक परीक्षा पास करनी पड़ती है ।

(ख) प्रतिवर्ष यह परीक्षा इसे सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है कि सार्टर छंटाई-कार्य सम्बन्धी नवीनतम आदेशों से परिचित रहें ताकि वह अपना काम कुशलतापूर्वक निभा सकें।

(ग) जी हां।

Hindi Editions of Text Books

1928. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Education** be pleased to state the action taken so far for publishing Hindi editions of the text books of higher standard and other standard books and also for making them available to public at cheap rates ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : The Government of India has undertaken preparation, translation and publication of standard works of University level through the agency of the Commission for Scientific and Technical Terminology. This work is being done by the Commission in collaboration with the Universities, academic bodies, literary organisations of all-India character and private publishers. Thirty-six translating agencies and five full-time Cells are engaged on the production of books.

So far 380 books have been approved for translation out of which 46 books have already been published in Hindi; 36 books are in the Press; 35 books are ready for printing and 263 books are in the various stages of translation. Original books are also being written in Hindi. 12 original books have been published; 7 are in the Press and 63 books are under preparation. Efforts are being made to accelerate the pace of production of these books.

The sale price of these books is fixed on the basis of the actual cost of production which is generally reasonable.

Arrest of Traders in Punjab

1929. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Daljit Singh** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Narendra Singh Mahida** :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain good results have been achieved by the recent arrest of some traders in Punjab for indulging in mal-practices :

(b) whether any contraband goods were recovered during these arrests; and

(c) whether it is likely to affect smuggling also ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c) The information is being obtained from the State Government and it will be laid on the Table of the House as soon as received.

Release of persons arrested in Mizo Hills for violent activities

1963. **Prakash Vir Shastri**: **Shri Raghunath Singh**:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons arrested in connection with violent activities in Mizo Hills have been released;

(b) if so, whether those persons have also been released, who had connections with other countries, and

(c) whether the Central Government was consulted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence :

(a) Only, thirtynine persons have been released by the Government of Assam on recommendations of military authorities who after interrogation were satisfied that these persons had no part in the uprising .

(b) No , Sir .

(c) No , Sir. The State Government are competant to release the persons .

मालिकों से भविष्य निधि में अंशदान

1931. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि में अपना अंशदान न देने वाले नियोजकों से भविष्य निधि संबंधी अंशदानों की काफी धनराशि अभी ली जानी बाकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे नियोजकों ने कुल कितनी धनराशि देनी है ; और

(ग) इन धनराशियों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हाँ।

(ख) कर्मचारी निर्वाह निधि	कोयला खान निर्वाह निधि
30-4-1966 को 5.136 करोड़ (लगभग)	31-3-1965 को 1.27 करोड़

(ग) जहाँ कहीं आवश्यक था, वहां दोषी प्रतिष्ठानों के मालिकों के विरुद्ध अभियोजन और/या वसूली कार्यवाही द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

रूसी जहाज द्वारा हिन्द महासागर का अध्ययन

1932. **श्री जसवंत मेहता :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जुलाई, 1966 को एक रूसी जहाज "मिखैल लोमोनोसोव" ने बम्बई में हिन्द महासागर का समुद्री विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किया था ;

(ख) क्या रूसी अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग) "मिखैल लमनोसफ" नामक रूसी जहाज 12 से 15 जुलाई, 1966 तक वृद्धिघात आवश्यकताओं के लिए बम्बई बन्दरगाह पर आया था। और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बम्बई के गोदी कर्मचारी

1933. **श्री जसवन्त मेहता : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1966 को बम्बई में पत्तन न्यास, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, (केन्द्रीय) गोदी श्रम बोर्ड के कार्यालय के सामने कई हजार गोदी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) उन की मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, लगभग पांच हजार पत्तन और गोदी श्रमिक।

(ख) देश के विभिन्न पत्तनों में 24 जुलाई, 1966 से अनिश्चित हड़ताल शुरू करने के लिए प्रदर्शन किया गया।

(ग) केन्द्रीय श्रम और परिवहन मंत्रियों ने पत्तन और गोदी श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिए 20 जुलाई, 1966 को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया, जिसके परिणाम-स्वरूप हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया गया।

त्रिपुरा के स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का दिया जाना

1934. **श्री बीरेन दत्त** : **श्री दशरथ देव** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कुछ गैर-सरकारी प्रबंधाधीन स्कूल, अध्यापकों के वेतन के लिये सहायता के रूप में मिलने वाली राशि सरकार से प्राप्त करके भी अध्यापकों को वह राशि नहीं देते हैं ;

(ख) क्या कई वास्तविक मामलों के बारे में त्रिपुरा सरकार को बताया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बात के लिये क्या कार्यवाही की है कि अध्यापकों के लिये सहायता के हेतु दिया जाने वाला धन अध्यापकों को मिले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों की मांगें

1935. **श्री बीरेन दत्त** : **श्री दशरथ देव :**

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार कार्य-भारित कर्मचारी संघ ने 10 जुलाई, 1966 को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : **(क) और (ख)** त्रिपुरा सरकार के कार्य-भारित कर्मचारी संघ ने 9 और 10 जुलाई 1966 को अपना वार्षिक अधिवेशन किया और अपनी मांगें प्रस्तुत करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया / संघ ने 1 अगस्त, 1966 को अपनी मांगें मुख्य अभियंता को दीं। त्रिपुरा सरकार द्वारा इन मांगों की जांच की जा रही है।

त्रिपुरा में मिट्टी के तेल की कमी

1936. **श्री बीरेन दत्त** : **श्री दशरथ देव** :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी नहीं, बाढ़ों से परिवहन के अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण मई के आखरी हिस्से और जून में कुछ कमियां पेश हुईं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में भूमि का हस्तान्तरण

1937. **श्री दशरथ देव** : **श्री बीरेन दत्त** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में आदिम जाति लोगों के नाम से गैर-आदिम जाति लोगों के नाम में भूमि की हस्तान्तरण बड़े पैमाने पर हो रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो त्रिपुरा में 1961 से लेकर अब तक कुल कितने मामलों में हस्तान्तरण हुआ है ; और

(ग) ऐसे हस्तान्तरण को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) आदिम जातियों के लोगों द्वारा गैर आदिम जाति लोगों के नाम भूमि के हस्तान्तरण पर परिनियत कानूनी व्यवस्थाओं के होते हुए भी कभी-कभी आदिम जातियों के लोग खुद ही चोरी-छिपे ऐसे हस्तान्तरण कर देते हैं। किन्तु बहुत बड़े पैमाने पर कोई हस्तान्तरण नहीं हुए। 1961 से 31 जुलाई 1966 तक की अवधि में ऐसे हस्तान्तरणों की कुल संख्या 839 है।

(ग) त्रिपुरा में आदिम जाति लोगों के भूमि सम्बन्धी हितों का संरक्षण त्रिपुरा भूराजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 187 और त्रिपुरा के भूतपूर्व शासक के 1 आश्विन 1353 (त्रिपूरा संवत) के आदेश संख्या 325 के अधीन होता है। इन व्यवस्थाओं को सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है।

त्रिपुरा में छात्रावास

1938. **श्री दशरथ देव** : **श्री बीरेन दत्त** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सब आदिम जातीय छात्रावासों को अब मिश्रित छात्रावासों में बदल दिया गया है और अब इन छात्रावासों में गैर-आदिम जातीय छात्रों को रहने की अनुमति है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे प्रत्येक छात्रावास में कुछ स्थान केवल आदिम जातीय छात्रों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं ; और

(ग) त्रिपुरा में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सम्बद्ध छात्रावासों में आदिम जातीय छात्रों के लिये कुल कितने स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास सर्किल में डाकघर

1939. **श्री सेझियान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सर्किल में 1964-65 और 1965-66 में कितने डाकघर खोले गये ; और

(ख) क्या नये डाकघर खोलने के कारण बढ़ी हुई डाक की आवश्यकता को पूरा करने के लिये डाक व तार सेवाओं के रेलवे डाक सेवा विभाग में उसी अनुपात से विकास किया गया है ।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) वर्ष	खोले गये डाकघरों की संख्या
1964-65	426
1965-66	129

(ख) रेल डाक व्यवस्था शाखा का भी विकास किया गया है लेकिन इस शाखा में किये गए विकास का सम्बन्ध डाक शाखा में की गई प्रगति से जोड़ना संभव नहीं है । रेल डाक व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की मंजूरी निर्धारित मानकों के आधार पर दी जाती है । यह आवश्यक नहीं है कि और अधिक डाकघर खोलने से रेल डाक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में तदनुसार वृद्धि हो जाए क्योंकि किसी भी डाकघर के विभाजन से, निपटाए जाने वाली डाक की मात्रा में सदैव ही वृद्धि नहीं होती । नौ नए छंटाई कार्यालय और चार रेल डाक व्यवस्था अनुभाग खोल दिये गए है ।

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् में गबन

1940. **श्री बड़े** : **श्री ब्रजराज सिंह** :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् में 1965-66 में गबन की घटना हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने धन का गबन हुआ था तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस उद्देश्य से कि ऐसी घटनाएं फिर न होने पायें, क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में 1965-66 के दौरान कोई गबन नहीं हुआ । तथापि, 300 रुपये की लापरवाही का एक मामला था और संबंधित अधिकारी को इसके लिए सजा दे दी गई है ।

Arrest of a Major and a Magistrate in Delhi

1941. **Shri Lakhmu Bhawani** : **Shri Y. D. Singh** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Sonavane** :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Army Major and a Magistrate were arrested while drinking at a dancing girl's residence at G. B. Road, Delhi on the night of the 21st July, 1966;

(b) whether the said Magistrate also threatened the Police Sub-Inspector on duty that he would be responsible for the consequences, if he arrested them; and

(c) if so, the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Six persons including an Army Major and an Hony. Magistrate, were arrested while drinking at the residence of a dancing girl at G. B. Road, Delhi, on the night of the 20th/21st July 1966.

(b) The Hony. Magistrate tried to assert his authority as a Magistrate with the Assistant Sub-Inspector of Police on duty.

(c) All the arrested persons were prosecuted under section 107/151 Cr. P. C. They were discharged and the proceeding dropped after the Court came to the conclusion that there was no longer an apprehension of the breach of the peace. The magisterial powers of the Honorary Magistrate, arrested in this case, have been withdrawn.

सिन्धी साहित्य सभा से ज्ञापन पत्र

1942. **श्री रामसेवक यादव :**

श्री मधु लिमये : क्या-गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय सिन्धी बोली साहित्य सभा से कोई ज्ञापनपत्र मिला है ;

(ख) इस ज्ञापनपत्र में क्या-क्या कठिनाइयां बताई गई हैं जिनका सामना सिन्धी बोलने वाले लोगों को करना पड़ रहा है ; और

(ग) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सिन्धी भाषायी अल्पमत की जो शिकायतें इस ज्ञापन में दी गई हैं उनको और उस पर की गई कार्यवाहियों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 6742/66] ।

डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये उपदान

1943. **श्री जेधे** : क्या **संचार** मंत्री 2 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को उपदान देने से संबंधित विस्तृत नियमों को अन्तिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

बिहार में आदिवासियों का शैक्षिक विकास

1944. **श्री ह० च० सोय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के रांची जिले में ईसाई आदिवासियों का शैक्षिक विकास आसपास के सिंहभूम, पालामऊ तथा संथाल परगना जिलों के गैर-ईसाई आदिवासियों के शैक्षिक विकास की तुलना में बहुत अधिक हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों के कम विकसित वर्गों को शिक्षा संबंधी अधिक सुविधायें प्रदान करके उन्हें उन्नत वर्गों के बराबर लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल कम्पनियों में छंटनी

1945. **डा० रानेन सेन** : **श्री ह० प० चटर्जी** :

श्री प्रं० चं० बरुआ : **डा० उ० मिश्र** :

श्री बदरुद्दुजा :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी कम्पनियों द्वारा फालतू कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में पेश की गई "विशेष सेवा मुक्ति शर्तों" की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इन शर्तों की स्वीकृति, अस्वीकृति या संशोधन सम्बन्धी मामले पर समझौता सम्बन्धित कम्पनियों और उनके कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के संगठनों के बीच, सांविधिक उपबन्धों और कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति सम्बन्धी विषय पर त्रिपक्षीय निर्णय को ध्यान में रखते हुए होना है ।

सेवा संस्था (सर्विस एसोसियेशन) का विनियमन

1946. **श्री प्रभात कार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संस्था का विनियमन) नियमों 1959 का संशोधन कार्य कब आरम्भ किया गया था और उसके कब पूरा होने की संभावना है ;

(ख) क्या इस समय अनेक अधिकारी संस्थाओं को इस आधार पर औपचारिक मान्यता नहीं दी जा रही है कि औपचारिक मान्यता नियमों में संशोधन हो जाने पर ही दी जायेगी और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इन संस्थाओं को शीघ्रतापूर्वक मान्यता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) संशोधित मान्यता नियम बनाने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि जब तक इन नियमों को अंतिम रूप से तैयार नहीं कर लिया जाता तब तक वे अपने कर्मचारियों के संघों/संगठनों से व्यवहार करते समय विधिवत मान्यता पर जोर न दें, बशर्ते कि वे पुराने मान्यता नियमों की मुख्य-मुख्य शर्तें पूरी करते हों।

बड़ौदा विश्वविद्यालय में दुर्लभ पाण्डुलिपियां

1947. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय के पास संगीत संबंधी दुर्लभ पाण्डुलिपियां तथा पुस्तकें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या संगीत शास्त्रिय की सहायता करने के लिये कोई संगठित अनुसंधान एकक है ;

(ग) क्या संगीत संबंधी पुराने संस्कृत ग्रंथों का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद कराने की कोई योजनां है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रजिस्ट्री के लिफाफे

1948. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : **श्री चुनी लाल** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण रजिस्ट्री के लिफाफों को हाथ से बने स्वदेशी कागज से बनाने का विचार है, जो लिफाफे इस समय विदेशी क्लाथ-पेपर से बनाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या डाक व तार विभाग प्रति वर्ष 2500 रिम क्लाथ-पेपर आयात करना बन्द कर देगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री श्री जगन्नाथ राव : (क) और (ख)— कपड़े के अस्तर वाले आयातित कागज के स्थान पर स्वदेशी कागज प्रयोग करने के प्रश्न की जांच की गई। सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक द्वारा अभी तक किये गए परीक्षणों से ऐसा पता चलता है कि हाथ का बना स्वदेशी कागज रजिस्ट्री के लिफाफों के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल में तैयार किये गए स्वदेशी कागज के कुछ नमूने परीक्षण में अपेक्षाकृत अधिक सन्तोषजनक पाये गए हैं। कागज की उपयुक्तता के सन्बन्ध में अन्तिम निर्णय किये जाने के पश्चात आयातित कागज का प्रयोग बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

खम्भात गैस क्षेत्र

1949. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : **श्री चूनी लाल** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात गैस क्षेत्र में बनाये गये एक पये और वैकल्पिक ईंधन (गाढा द्रव (कन्डेन्सेट) का जो प्रति दिन लगभग 40 मीट्रिक टन तैयार होता है (जो गैसोलीन, कैरोसीन और कुछ अन्य भारी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है), संश्लिष्ट रेशे और संश्लिष्ट रबड़ बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विकास करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कैम्बे क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के साथ गाढ़ा द्रव (कन्डैन्सेट) उत्पादित किया जाता है और इसका उपयोग अन्वेषणाधीन है ।

(ख) इसके विक्रय के लिए गैर सरकारी उद्योगों में विज्ञापन किया गया है । गुजरात शोधनशाला भी इसके उपयोग पर परीक्षण कर रहा है ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

1950. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : श्री चुनी लाल :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आक्सफोर्ड स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी की इमारत को गिराया जा रहा है और लाइब्रेरी को बोडेवियन लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया है ;

(ख) क्या यह इमारत भारत से इकट्ठे किये गये धन से बनाई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन में है । जिस भवन में पहले इन्स्टिट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज, आक्सफोर्ड स्थित था उसे अब आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा गिराने का प्रस्ताव है और वहां स्थित इण्डियन लाइब्रेरी को बोदलिअन पुस्तकालय के बढ़ाए हुए भवन में रखने का प्रस्ताव है ।

(ख) इसका निर्माण भारत तथा इंग्लैन्ड दोनों देशों में एकत्रित राशि से किया गया था ।

(ग) भारत सरकार ने प्रस्ताव के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार तथा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, दोनों से तीव्र विरोध प्रकट किया है ।

गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय

1951. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बारे में गुजरात सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है ;

(ख) क्या आयोग ने इसकी बजाय यह सुझाव दिया है कि वर्तमान सरदार पटेल विश्व-विद्यालय का ही और विकास किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित बातों पर आधारित हैं :—

(i) यदि कृषि-शिक्षा में प्रगति करनी है, तो इसकी जिम्मेदारी केवल कृषि विश्वविद्यालय की न होकर, समस्त शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होनी चाहिए ;

(ii) कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहिए जिनका केन्द्र बिन्दु कृषि हो तथा जिनका स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के समान हो। किन्तु इन विश्वविद्यालयों में अन्य विषयों के शिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए ; और

(iii) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप कृषि कालेजों का विद्यमान विश्वविद्यालयों से अ-सम्बद्धन नहीं किया जाना चाहिए, जो उनकी शिक्षा-व्यवस्था का एक अंग बन चुके हैं क्योंकि ऐसा करने से विद्यमान विश्वविद्यालय कमजोर हो जाएंगे।

दिल्ली में आत्महत्या की घटनायें

1952. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्र में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) वर्ष 1966 (30-6-1966 तक) में आत्महत्या की घटनाओं के आंकड़े तथा 1965 में तुलनात्मक आंकड़े और विदित कारण इस प्रकार हैं :

कारण	1965 (30-6-1965 तक)	1966 (30 6-1966 तक)
1. विक्षुब्ध परिवारिक जीवन	28	22
2. अस्वस्थता	17	16
3. प्यार के मामलों में असफलता	3	3
4. नौकरी पाने में असफलता	1	2
5. परीक्षा में असफलता	5	5
6. निर्धनता	3	3
7. दण्ड से छुटकारा	—	1
8. मानसिक विक्षुब्धता	1	4
9. विधि तथा अविदित कारण	13	17
जोड़	71	73

आंकड़ों से थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव का पता चलता है, तथा इनसे दिल्ली में जनसंख्या में हो रही वार्षिक वृद्धि को देखते हुए पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इन घटनाओं में वृद्धि का कोई संकेत नहीं मिलता है।

त्रिपुरा में आदिम जातियों के लोगों के विरुद्ध अपराध के मामले

1953. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की पुलिस ने त्रिपुरा में सदर और रिवोवाई सब डिवीजन के आदिम जातियों के विरुद्ध दिसम्बर 1962 से अब तक अपराध के कितने मामले चलाये ; और

(ख) उनमें कितने लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें चलाये गये और कितने व्यक्तियों को अब तक दंड दिया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 103; और

(ख) अदालतों द्वारा 67 मामले चलाये गए और अब तक 7 मामलों में 8 व्यक्तियों को सजा हुई।

त्रिपुरा के झूमिया लोगों को अनुदान

1954. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के झुमिया लोगों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान की दर बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बाद पुनर्वास के लियें प्रत्येक झूमिया को कितनी धनराशि दी जायेगी।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ; और

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर राज्य में टेलीफोन

1955. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष से मैसूर राज्य के टेलीफोन सम्बन्धी कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) उस राज्य में पिछले छः महीनों में कितने टेलीफोन मंजूर किये गये ; और

(ग) आवेदनपत्रों को निबटाने में इतनी अधिक देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 10,118

(ख) 2,167

(ग) टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता, केबल तथा अन्य लाइन सम्बन्धी सामान की कमी के कारण ही प्रार्थनापत्रों के निपटान में देरी लगती है। फिर भी उपलब्ध साधनों के अनुसार अधिक से अधिक बकाया मांगों की पूर्ति करने के उद्देश्य से मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता का विस्तार करने, अतिरिक्त केबल बिछाने तथा लाइन व तार लगाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

मैसूर में उर्वरक कारखाने

1956. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में इस समय कितने उर्वरक कारखाने किस-किस स्थान पर काम कर रहे हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उनमें से किसी को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो कितना और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने कोई नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने अथवा किसी वर्तमान कारखाने को बढ़ाने के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) मैसूर राज्य में दो उर्वरक कारखाने हैं। उन के नाम और क्षमताएं निम्नांकन हैं :—

(1) मैसर्ज़ मैसूर कैमीकल्ज एण्ड फर्टीलाईज़र, वेलागुला । मैसूर :

क्षमता : सुपर फासफेट— 33,530 मीटरी टन प्रति वर्ष

ऐमोनियम सल्फेट 6,710 मीटरी टन प्रति वर्ष

(2) मैसर्ज़ चामुन्दी केमीकल्ज एण्ड फर्टीलाईज़र, मैसूर :

क्षमता : सुपरफासफेट— 40,640 मीटरी टन प्रति वर्ष

(ख) और (ग) जी नहीं। मंगलौर में यूरिया तथा सम्मिश्र उर्वरक के उत्पादन के लिये मैसर्ज़ इण्टरनेशनल डिवैल्पमेन्ट एण्ड इन्वैस्टमेंट कम्पनी लि०/दुग्गल एण्टरपराइज़ (प्रा०) लि०, नई दिल्ली, को आशय पत्र भेज दिया गया है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन

1957. **श्री गुलशन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने 1966 में अब तक कितने पदों के लिये विज्ञापन दिये और उनके लिये अर्हतायें तथा वेतन-क्रम क्या थे;

(ख) उक्त अवधि में उनके लिये कितने उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र दिये और उनमें से कितने उम्मीदवारों को अन्त में चुना गया और नियुक्त किया गया ; और

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति थे ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 6743/66]

पंजाब में कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

1958. **श्री गुलशन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कोई ऐसा विभाग है जिसमें प्रायः किसी भी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस विभाग का नाम क्या है, उसमें अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों, दोनों, की संख्या कितनी है और उस विभाग पर कितना खर्च होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी उपक्रमों के प्रधानों का सम्मेलन

1959. **श्री प्रियगुप्त** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रधानों का सम्मेलन जुलाई, 1966 में हुआ था और यदि हां, तो किन-किन सरकारी उपक्रमों को निमंत्रण दिया गया था और उनमें से किस-किस ने उस सम्मेलन में भाग लिया ;

(ख) उसमें किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये तथा क्या श्रमिक संगठनों से परामर्श किया जायेगा; और

(ग) सरकार का इन निर्णयों को जिनमें संयुक्त प्रबन्ध परिषदों सम्बन्धी निर्णय भी शामिल है कैसे कार्यान्वित करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकारी उपक्रमों के प्रधानों की 5वीं बैठक नई दिल्ली में 27 जुलाई, 1966 को हुई। बैठक में आमंत्रित तथा प्रतिनिहित सरकारी उपक्रमों की सूची सदन के मेज पर रख दी गई है (परिशिष्टI)।

[**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 6744/66]

(ख) और (ग) : बैठक के समक्ष लाये गये विषयों की सूची सभा की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट II)

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 6744/66]

बैठक इसलिए नहीं बुलाई गई थी कि वे सरकार की ओर से कोई निर्णय लेंगे। वह इसलिए बुलाई गई थी कि कार्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान हो सके। किसी भी विषय पर सरकारी निर्णय लेने से पूर्व संगठित मजदूरों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। इन विषयों पर सरकारी निर्णयों को जिनमें संयुक्त प्रबन्ध परिषदें भी शामिल हैं, कार्यान्वित करते समय, जब कभी आवश्यक होगा, सम्बन्धित विभिन्न पक्षों की राय ली जायेगी।

Posts and Telegraphs Act

1960. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the Posts and Telegaphs Act, 1938; and

(b) if so, the outlines of the proposal.

The Minister of State in the Departments Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) The Law Commission have taken up the general revision of the Indian Post Office Act, 1898 under the orders of the Government.

(b) It is not possible at this stage to give the outlines or the manner in which the Act is to be revised.

श्री जयप्रकाश नारायण की शेख अब्दुल्ला से मुलाकात

1961. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री ह० च० सोय** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय नेता, श्री जयप्रकाश नारायण ने शेख अब्दुल्ला को, जो इस समय कोडैकनाल में नजरबन्द हैं, मिलने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी हां।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये कल्याण योजनायें

1962. **श्री प० कुन्हन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि अधिकांश गैर-सरकारी उद्योगपति कल्याण योजनाओं अर्थात् गृह-निर्माण योजना तथा औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सहकारी भण्डार खोलना, का खुले रूप से उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित करने से इन्कार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी उद्योगपतियों को दण्ड देने के लिये विधान बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) कुछ कठिनाइयों जैसे धन की कमी, मकान बनाने के सामान की कमी तथा शहरों में मकान बनाने के स्थान की कमी आदि ने गृह-निर्माण योजना के शीघ्र कार्यान्वयन में अड़चन पैदा की है। इन कठिनाइयों को सुलझाने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। इस समय विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जहाँ तक सहकारी भण्डारों का संबंध है, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में (सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित) जिनमें 300 या अधिक श्रमिक काम करते हों प्रबन्धकों द्वारा उनकी स्थापना अपेक्षित है। अब तक इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में 2691 उपभोक्ता सहकारी भण्डार/उचित मूल्य की दुकानें (2018 उपभोक्ता सहकारी भण्डार और 673 उचित मूल्य की दुकानें) स्थापित हो चुकी हैं। ये प्रतिष्ठान कुल प्रतिष्ठानों के 69 प्रतिशत हैं। आवास, घन, परिवहन आदि जैसी कठिनाइयों ने योजना के शीघ्र कार्यान्वयन में अड़चन पैदा की है। विधान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

केरल में खेतिहर मजदूर

1963. **श्री प० कुन्हन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले दस वर्षों से केरल में खेतिहर मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(घ) यदि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मंगवाई गई है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

उड़ीसा के डाकखानों में जमा धन

1964. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प बचत योजना के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1966 को उड़ीसा के विभिन्न डाकखानों में कुल कितनी राशि जमा थी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : उड़ीसा के सभी डाकघरों में 1 जनवरी, 1966 से 30 जून, 1966 तक की अवधि के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा की गई कुल रकम 5,50,99,992 रुपये है।

जुलाई, 1966 में पूंजीनिवेश से सम्बन्धित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके है।

अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

1965. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1966 में उनके मंत्रालय को अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी और किस प्रकार की शिकायतें मिली ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1966 में अशिष्ट व्यवहार की दो शिकायतें मिली थी और उपयुक्त अधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई थीं।

दिल्ली में सरकारी टेलीफोन

1966. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में सरकारी टेलीफोनों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) सरकार को उनसे प्रतिवर्ष कुल कितनी आय होती है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख)— आजकल टेलीफोन कनेक्शनों और प्राप्त हुए राजस्व का रिकार्ड सरकारी तथा गैर-सरकारी टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग नहीं रखा जाता। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेलीफोन नम्बर के रिकार्ड तथा तत्सम्बन्धी विवरण का पता लगाना होगा जो कि बहुत श्रमसाध्य और समय-सापेक्ष कार्य है।

उड़ीसा में बेरोजगार महिलाएँ

1967. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **श्रम, रोजगार और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 को उड़ीसा में विभिन्न काम दिलाऊ कार्यालयों में कितनी महिला उम्मीदवारों (स्नातक तथा अस्नातक दोनों ही) के नाम दर्ज हैं ; और

(ख) उनमें से कितनी महिलाओं को जून, 1966 के अन्त तक रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख)

महिला उम्मीदवारों का वर्ग	30 जून, 1966 को रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम	रोजगार कार्यालयों द्वारा जनवरी-जून 1966 के बीच दी गई नियुक्ति सहायता
1	2	3
ग्रेजुएटस (जिनमें पोस्ट ग्रेजुएटस भी शामिल हैं ।	83	7
मैट्रिकुलेटस (जिनमें हायर सेकण्डरी और इन्टरमीडिएट पास भी शामिल हैं)	349	101
मैट्रिक से कम	2240	234
कुल	2672	342

Dead Body found in a well of Najafgarh

1968. **Dr. Ram Manohar Lohia** : **Shri Madhu Limaye** :
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Kishen Pattnayak** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the dead-body of Ompal, a healthy young man of about 22 years of age of Ujwan Village, was found from a well in the jurisdiction of the Police Station Najafgarh, Delhi recently ;

(b) whether the Police have unearthed the mystery of this death;

(c) whether it is a fact that he was called to the Police Station a few hours before his death; and

(d) whether the post-mortem examination of his body was done, and, if so, the nature of the report received ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (क) से (घ) A Constable of Police Station Nafajgarh had gone to village Ujhwa on 15. 7. 1966 to serve summons on Shri Om Pal, the deceased, to appear on 19.7.1966 in the Court of Judicial Magistrate, Delhi, as a prosecution witness in a case U/S 420/406/379 I. P. C. in which the deceased was the complainant. The summons could not be served on him, but a copy was given to another villager to inform Shri Om Pal. The next day i. e. on 16.7.66 the deceased came to the Police Station Najafgarh inquiring about the Constable who had come to his village. The said constable was not in the Police Station. Shri Om Pal expressed his desire to see the Investigating Officer of this case and was told that the latter was present at his residence. He was also told the way leading to the Investigating Officer's residence within the premises of the Police Station. The path to the residence of the Investigating Officer is narrow near a disused well which has no parapet wall. Next morning i. e. 17.7.66, the body of Shri Om Pal was found in the well. He was aged about 29.

An inquiry into the cause of death of Shri Om Pal was held by the Sub Divisional Magistrate U/S 176 (1) Cr. P. C. The Magistrate has come to the conclusion that Shri Om Pal died of drowning by accidently falling into the well in the Police Station compound on the night of 16.7.66. The dead body was sent for postmortem examination. According to the Medical Officer's report, the death was caused by drowning. No external injury marks were found on the body.

मध्य प्रदेश सरकार के साथ पत्र व्यवहार

1969. **श्री कन्डप्पन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार के साथ अपना राजकीय पत्र-व्यवहार केवल हिन्दी में ही करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) यह अनुमति कब से दी गई है ; और

(ग) हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों की सहायता के लिये, जिन्हें यह पत्र-व्यवहार देखना पड़ता है, क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हां ।

(ख) 28 मई, 1966 को गृह मंत्री ने हिन्दी भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस बारे में लिखा था ।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों में प्राप्त होने वाले हिन्दी के पत्र-व्यवहार का अंग्रेजी में अनुवाद करने के प्रबन्ध हैं । यदि आवश्यकता पड़ी तो इनको बढ़ा लिया जायगा ।

भारतीय तेल निगम के विक्रय से सम्बन्धित कर्मचारी

1970. **श्री राम हरख यादव** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हाल में विक्रय से सम्बन्धित अपने कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते बढ़ाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक-श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ग) वेतन तथा भत्तों में पिछली वृद्धि के बाद से अब तक की अवधि में निर्वाह व्यय सूचकांक में हुई वृद्धि के प्रभाव को इस वृद्धि से कहां तक दूर किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां, 1.1. 1966 से ।

(ख) 350-590 रुपये से कम वेतन मान की सारी श्रेणियों के लिए मूल वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है और मंहगाई भत्ते में संशोधित वेतन मूल का 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है ।

(ग) निर्वाह व्यय सूचकांक के साथ बिना मिलान किए तदर्थ आधार पर वेतन और मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई है ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALL-ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : साम्यवादी दल के विरुद्ध एक गम्भीर आरोप लगाया गया है। यह गम्भीर मामला है और यह समाचार पत्र में छापा गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। इस संदर्भ में यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वह मुझसे मिलें या लिखें।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में गड़बड़ी फैलाने का अभियोग हम पर लगाया गया है। यह आरोप हमारे दल को बदनाम करने के लिए लगाया गया है। गृह-कार्य मंत्री इसका खण्डन करें अथवा प्रमाण प्रस्तुत करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं इस मामले के प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू में रुचि रखता हूँ क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त एक दल को सार्वजनिक वक्तव्य में बदनाम किया गया है और इस वक्तव्य का समाचार पत्रों में बहुत अधिक प्रचार किया गया है। ध्यान दिलाने वाली सूचना में इस का उल्लेख किया गया है। इस सूचना की अनुमति देने से पूर्व मैं चाहता हूँ कि आप बतायें कि इस मामले को कब उठाया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह मामला बहुत गम्भीर है। यह न केवल एक दल से सम्बन्धित है बल्कि वास्तव में यदि ऐसी गतिविधियाँ दल द्वारा की जा रही हैं तो समस्त देश को इस पर ध्यान देना चाहिये, और यदि सरकार के पास कोई प्रमाण है तो गृह-कार्य मन्त्री को बताना चाहिये।

श्री अ० क० गोपालन : प्रधान मन्त्री तथा गृह-कार्य मन्त्री दोनों यहां हैं यदि उनके पास कोई ऐसी बात है तो उनको वक्तव्य देना चाहिये। ऐसे बुरे प्रचार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। हम लोगों को जेल में रखने के उद्देश्य से ऐसा प्रचार करना अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं। माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर बैठ जायें तथा बोलने की कृपा न करें। मैंने श्री गोपालन के ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। उन्होंने मुझे पुनःविचार के लिये कहा तो मैंने उन्हें कहा कि वह मुझ से मिल लेवें। मैंने पहले भी कई बार ऐसा कहा है कि यदि कहीं सिविल अधिकारियों की सहायता के लिये सेना को बुलाया जाता है तो इसमें केन्द्र के हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : जब शिलांग में गड़बड़ हुई थी और सेना को बुलाया गया था तो आपने उस मामले को यहां पर उठाने की अनुमति दी थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आजकल सेना को सिविल अधिकारियों की सहायता के लिये कई बार बुला लिया जाता है। इससे समस्त सेना की बदनामी हो रही है। और सेना तथा जनता के बीच संघर्ष भी शुरु हो गये हैं। यह एक अवांछनीय स्थिति है जिस पर इस सभा को ध्यान देना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इस सभा में ऐसी प्रथा है कि यदि कहीं रेलवे दुर्घटना होती है तो रेलवे मन्त्री उसपर वक्तव्य देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा निदेश दें कि जब कभी सिविल

अधिकारियों की सहायता के लिये सेना बुलाई जाये तो गृह-कार्य मन्त्री अथवा प्रतिरक्षा मन्त्री को स्वयं वक्तव्य देना चाहिये कि सेना किस कारण बुलवानी पड़ी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपको किसी भी ध्यान दिलाने वाले प्रास्ताव को रद्द करने की अधिकार है। आपने कहा है कि हम विशेष ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के लिये जोर दे सकते हैं चाहे वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग अथवा स्वर्ण नियन्त्रण के बारे में ही क्यों न हो।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल सम्बन्धित मामलों के बारे में ही बोल सकते हैं।

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री स० मो बनर्जी : कल की कार्य सूची में अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक पर चर्चा को भी शामिल किया गया था। परन्तु आज यह नहीं है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इस बात के निश्चित संकेत मिले हैं विरोधी दलों द्वारा कटु विरोध के कारण सरकार इस विधेयक में काफी रद्दोबदल करने वाली है। कल शाम को महान्यायवादी प्रधानमंत्री से मिले थे तथा उनको बताया था कि विधेयक में कई कानूनी त्रुटियां है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री ने इस प्रश्न पर महान्यायवादी से बातचीत की थी और क्या यह मामला उनको सौंप दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री से मैं यह प्रश्न नहीं पूछ सकता।

बिहार सरकार के निष्कासन आदेश के बारे में

RE : EXTERNMENT ORDER BY BIHAR GOVERNMENT

Shri Madhu Limaye (Monghyr) Sarvshri S. Dange, P. Ramamurti, Tridib Kumar Chowdhry and myself landed at the Patna aiport. We were asked to leave the Bihar State within one and an half hour under Bihar Maintenance of Public Order Act, 1949. We were not allowed to see our friends. One of my friends, Shri Bhola Prasad Singh, M. L. C. was arrested before me and I was not allowed to speak a word to him. I have been elected from the Bihar State. How these orders of externment from the Bihar State can be issued against me. I have been deprived of going to my own constituency i. e. Monghyr where drought conditions are prevailing at present. In this way my privileges have been breached. I could not give you in writing because the train was late by half an hour and I could not reach here in time.

Mr. Speaker : Until and unless Notice is given, no Question of Privilege can be taken up.

Shri Rameshwaranand (Karnal): I rise on a Point of Order.

Mr. Speaker: You please take your seat. I cannot allow the members to stand up like this.

श्री जी० म० कृपालानी (अमरोहा) : महोदय मैं आप के द्वारा विरोधी दल के सदस्यों से

निवेदन करना चाहता हूँ कि वे ये प्रश्न कल पूछ ले। आज और भी महत्वपूर्ण कार्य करना है और मंत्री महोदय ने वक्तव्य भी देना है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MINISTER RE :QUESTION OF PRIVILEGES

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैंने अप्रैल 1962 में इस्पात तथा भारी उद्योगों सम्बन्धी मंत्रालय का भार संभाला था और उस समय श्री एन० एन० वांचू वहां के सचिव थे। 17 मई 1966 की शाम को सभा में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में किस मंत्री का उल्लेख किया गया है। मैंने इस बात से इन्कार कर दिया था कि मैं ही वह मंत्री हूँ क्योंकि मैं इस भ्रम में था कि यह मामला मुझसे पहले के मंत्री से सम्बन्धित है। बाद में मुझे बताया गया कि ये प्रश्न उन आदेशों के बारे में थे जो मैंने अमीन चन्द प्यारेलाल तथा सम्बन्धित फर्मों के बारे में दिये थे। मैंने इसके लिये 18 मई 1966 को खेद प्रकट कर दिया था।

लोक लेखा समिति ने अपने 50वें प्रतिवेदन में जिन सौदों का उल्लेख किया है कि वे मेरी कार्याविधि के दौरान, लगभग तीन वर्ष पूर्व हुए थे। मेरे 18 मई के वक्तव्य में कुछ त्रुटियां रह गई थी। मुझे उनके लिये खेद है। जब मैंने यह कहा था कि उक्त फर्म के विरुद्ध 28 जून 1963 को मैंने जो आदेश जारी किये थे वे सरकार के सभी विभागों पर लागू होने चाहिये और कि वे आदेश इस्पात नियंत्रक को मसौदे के रूप में भेजे गये थे उस समय मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि मेरा निर्णय अन्तिम नहीं था। मेरा निर्णय तो अन्तिम था परन्तु उसको औपचारिक रूप में परिवर्तन किया जाना था और इस्पात नियंत्रक द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। कार्यालय ने इसको इस प्रकार लिखा था कि मंत्री महोदय के आदेशों के अनुसार इस्पात नियंत्रक ने निलम्बन आदेश का प्रारूप भेजा है।

इसी टिप्पणी के कारण मुझसे 18 मई के वक्तव्य का प्रारूप कुछ गलत तैयार हुआ। मुझे खेद है कि वक्तव्य के कुछ गलत शब्दों के कारण कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गयी।

मैंने यह बताया था कि अमीनचन्द प्यारेलाल फर्म समूह के श्री जीत पाल मुझे मिले थे तथा उन्होंने मुझे कुछ अभ्यावेदन भी दिये थे। पहिले ही अवसर पर मैंने सभा तथा लोक लेखा समिति का ध्यान इस ओर दिलाया था। मैंने कभी भी इस तथ्य को छिपाने का यत्न नहीं किया।

यह भी कहा गया है कि मैंने जो 'सरप्राइजिंग' (आश्चर्यजनक) शब्द का प्रयोग किया है उससे लोक लेखा समिति की अवहेलना हुई है। परन्तु मैंने उस शब्द का 'टेकन अनएवर्ज' के अर्थों में प्रयोग किया था। यदि यह समझा जा रहा है कि उक्त शब्द से मैंने समिति पर कोई आक्षेप किया है तो मैं उस शब्द को बिना शर्त वापस लेने को तैयार हूँ। समिति पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप करने का मेरा इरादा नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने पचासवें प्रतिवेदन में जो बातें कहीं हैं और जिनके कारण मैंने 18 मई 1966 को वक्तव्य दिया था, वह इस प्रकार थी कि उप-समिति यह नहीं समझ सकी है कि किन परिस्थितियों में मंत्री ने इतनी जल्दी अपने पिछले आदेशों को बदल दिया कि

सर्वश्री अमीन चन्द प्यारेलाल फर्मों के समूह के निलम्बन के आदेश अन्य सरकारी विभागों के पास नहीं भेजे जाने चाहिये। मेरे विचार में समिति ने ऐसा इसलिये कहा था क्योंकि दो महत्वपूर्ण पहलूओं की ओर उनका ध्यान नहीं दिलाया गया था। एक पहलू यह था कि परिवहन मंत्रालय ने यह कहा था कि जहां तक 'एपीजे लाइन्ज का सम्बन्ध है उन्हें इस फर्म के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है और कि इस फर्म ने बर्मा से चावल लाने में सरकार की सहायता की थी जबकि अन्य फर्मों ने इन्कार कर दिया था। अत: परिवहन मंत्रालय की राय थी कि इसको निलम्बन आदेश में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरा पहलू था : फर्म के प्रतिनिधियों के साथ मेरी बैठक का ब्यौरा तथा फर्म का वह पत्र जिसमें उन्होंने पिछले कार्यों के लिये क्षमा मांगी थी और भविष्य में अच्छा कार्य करने का आश्वासन दिया था ये पत्र फाइल में लगे हुए हैं। इसको लोक-लेखा समिति के सामने नहीं लाया गया था। इन दोनों पहलुओं को मैं समिति के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे बारे में कुछ बातें कही गई थीं और चूंकि मेरा यह विचार था कि अधिकारियों के साक्ष्य अभी समाप्त नहीं हुए इसलिये मैंने सोचा कि समिति के समुख उपस्थित होना मेरे लिये तथा समिति के लिये उचित ही होगा। मैं नहीं जानता था कि समिति ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरा इरादा केवल सभा से सहयोग करना ही था।

मेरा प्रयत्न अथवा आशय कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सभा के विशेषाधिकारों को भंग करना नहीं रहा है। यदि मैंने ऐसा कुछ कह दिया हो जिससे तनिक भी ऐसी भावना उत्पन्न होती हो तो मैं खेद प्रकट करने के लिये तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने इस मामले को आरम्भ किया था इसलिये मैं उन्हें पांच मिनट देता हूँ।

Shri Madhu Limaye: I need time to study the statement. I do not want to say anything in hurry.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह अच्छा होगा यदि इस वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों में वितरण कर दी जायें। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 50वें तथा 55वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित साक्ष्य को देखने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि वह वक्तव्य को पुस्तकालय में रख दें। जहां तक साक्ष्य को देखने का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि समिति के अध्यक्ष को इसपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मोरारका (झूंझनू) : आप के निदेश के बिना लोक लेखा समिति की शब्दश: कार्यवाही किसी को भी उपलब्ध नहीं की जाती है। आपके निदेश पर ही यह किसी भी सदस्य को उपलब्ध की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जब समिति की कार्यवाही को सभा पटल पर रख दिया गया है तो फिर श्री द्विवेदी शब्दश: प्रतिवेदन क्यों देखना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : कार्यवाही में ब्यौरा नहीं होता। साक्ष्य देखने से यह पता चलेगा कि प्रश्न तथा उनके उत्तर क्या थे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : पहले यह प्रथा थी कि साक्ष्य का पूरा ब्यौरा उपलब्ध किया जाता था। कुछ कारणों से इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। इसको पुनः आरम्भ किया जा सकता है।

श्री प्र० चं० गुह : (बारसात) यदि समस्त अभिलेख तथा साक्ष्य को उपलब्ध किया जायेगा तो इससे संसदीय समितियों के लिये कार्य करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी; विशेषकर, वित्तीय समितियों के लिये।

श्री बड़े (खारगोन) : यह एक विशेष मामला है जिसमें मन्त्री महोदय को लोक लेखा समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया है। इसलिये संसद सदस्यों को साक्ष्य देखने दिया जाना चाहिये। मेरे विचार में भविष्य के लिये इसको पूर्वाधारण नहीं माना जाना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : एक विशेष अवसर पर सभा के नेता श्री मोतीलाल नेहरू के कहने पर अध्यक्ष ने सरकार को उच्चकोटि के गोपनीय दस्तावेज दिखाने के लिये कहा था। इसलिये यदि यह गोपनीय है तो आप सरकार से कह सकते हैं कि इसे उस सदस्य को विशेष रूप से दिखा दिया जाये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस बात में कोई सार नहीं कि लोक लेखा समिति का साक्ष्य उपलब्ध किया जाये। इससे एक पूर्व उदाहरण बन जायेगा और भविष्य में इससे अनुचित लाभ उठाया जा सकेगा। इससे संसदीय समितियों के लिये काम करना मुश्किल हो जायेगा।

यह पहली बार हुआ है कि एक मंत्री लोक लेखा समिति के समक्ष साक्ष्य देने आये हैं। जो सदस्य इस बारे में भाषण देना चाहेंगे उनके लिये साक्ष्य की आवश्यकता होगी। अतः कोई ऐसा तरीका निकाला जाये जिससे अधिकारियों में किसी प्रकार के भय की भावना न फैले। आप नियम 275 के अन्तर्गत आदेश दे सकते हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : समिति के समक्ष गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी साक्ष्य देने आते हैं। उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि उनकी बात गोपनीय रखी जायेगी। अब यदि उसे सभा के समक्ष रख दिया जायेगा तो यह उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं लोक लेखा समिति के सभापति से प्रार्थना करूंगा कि वह हमें बताये कि इस बारे में प्रक्रिया क्या है ?

श्री मुरारका : लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है। लोक लेखा समिति सामान्यतः सरकारी अधिकारियों का साक्ष्य लेती है परन्तु प्राक्कलन समिति की यह बात नहीं है।

Shri K. N. Tiwari: I feel that only the summary of evidence should be placed on the table and the full evidence should not be placed on the table of the House.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरे विचार में मंत्री महोदय के साक्ष्य को दिखाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि यह साक्ष्य मंत्री महोदय की मांग पर दिया गया था।

नियम 275 (2) के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को अधिकार प्राप्त है कि वह साक्ष्य को देखने की आज्ञा दें या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरा साक्ष्य दिखाने की आज्ञा नहीं दे सकता। केवल मंत्री महोदय का क्ष्य सभा के समक्ष रख दिया जायेगा।

श्री दाजी : माननीय मंत्री जी का वक्तव्य भी परिचालिय किया जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, के प्रमाणित लेखे आदि

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, के वर्ष 1964-65 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6727/66]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, के अधीन अधिसूचना

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) पांचवां संशोधन आदेश, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 1 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1192 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6728/66]

केरल भवन (पट्टा तथा किराया नियंत्रण) संशोधन अधिनियम

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल भवन (पट्टा तथा किराया नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1966 (राष्ट्रपति का 1966 का अधिनियम संख्या 7) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6729/66]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1148 में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6730/66]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 895 की एक प्रति जो दिनांक 11 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची I में तम्बाकू उद्योग को शामिल किया गया था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6731/66]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (नवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 997 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 9 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1083 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (ग्यारहवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 16 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1118 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6732/66]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

बयानवेवां प्रतिवेदन

श्री स० वा० कृष्णमूर्तिराव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बयानवेवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के संकल्प संख्या एफ० 122-3/35-ई दिनांक 8 अगस्त, 1935 के पैरा 3 (2) (घ), समय-समय पर संशोधित रूप में, के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की आगामी कार्या वधि के लिए, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों का पालन करते हुए, सर्वश्री पे० मुथिया, सी० एल० नरसिम्हा रेड्डी और श्रीमती रेणुका राय के स्थान पर, उसके सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के संकल्प संख्या एफ० 122-3/35-ई दिनांक

8 अगस्त, 1935 के पैरा 3 (2) (घ), समय समय पर संशोधित रूप में, के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की आगामी कार्यावधि के लिए, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों का पालन करते हुए, सर्वश्री पे० मुथिया, सी० एल० नरसिम्हा रेड्डी और श्रीमती रेणुका राय के स्थान पर, उसके सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTIETH AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पंजाब के प्रस्तावित पुनर्गठन के लिये संविधान के अनुच्छेद 3 के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते समय इस संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई थी। पंजाब के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र में मिलाये जा रहे हैं।

सबसे पहले इसमें यह उपबन्ध है कि पुनर्गठन विधेयक को संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे यह उपबन्ध किया गया है कि जबकि संविधान के अनुच्छेद 3 के मुख्य भाग में, जिसका सम्बन्ध नये राज्य के गठन से है, "राज्य" शब्द में संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। परन्तुक में "राज्य" शब्द में संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र से पूछना आवश्यक नहीं है।

इन मुख्य सिद्धान्तों पर यह विधेयक आधारित है। यह विधेयक विवादास्पद नहीं है और मैं सभा से सिफारिश करता हूँ कि यह विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मुझे आशा है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई कानूनी त्रुटि नहीं रहेगी जिससे बाद में कोई समस्या उत्पन्न हो। पंजाब को एक लम्बे समय से उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखा जाता रहा है। भाषायी आधार पर पंजाबी सूबा बनाये जाने की उचित मांग बहुत समय पहले से ही उदारतापूर्वक मान ली जानी चाहिये थी। हम सभी यह चाहते हैं कि सरकार नये आधार पर पंजाबी सूबा, हरियाना प्रान्त और हिमाचल प्रदेश शीघ्र बनाये। इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा है।

मेरे विचार में चंड़ीगढ़ पंजाबी सूबे का भाग है और उसे पंजाबी सूबे में शामिल किया जाना चाहिये। सरकार को हरियाना की राजधानी बनाने में सहायता करनी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं इस बात को मानता हूँ कि मास्टर तारा सिंह सिख बहु संख्या वाले राज्य की मांग कर

रहे हैं। यह बात धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के विरुद्ध जाती है। इस मामले में सन्त फतह सिंह का दृष्टिकोण ठीक लगता है। उसमें साम्प्रदायिकता की कोई बात नहीं। भाषा के आधार पर ही उनकी मांग है। परन्तु सरकार ने यदि इस दिशा में देरी की तो कई तरह की कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। मेरा विचार है कि सरकार इस दिशा में पूर्ण जागरूकता से पग उठायेगी और पंजाबी भावनाओं को अधिक पद्दलित नहीं किया जायेगा।

चंडीगढ़ के बारे में सरकार का कहना है कि उनके बस की कुछ बात नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यह तथ्यपूर्ण बात है कि चंडीगढ़ पंजाबी सूबे का अंग है। चंडीगढ़ को राजधानी के रूप में पंजाबी सूबे को सौंप दिया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाना की अपनी अलग राजधानी बननी चाहिए और उसके लिए सरकार को पूरी सहायता देनी चाहिए। यदि ऐसा कर दिया गया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत सी समस्याओं को हल कर लिया जायेगा। मेरा कहना है कि सब कठिनाइयों के बावजूद सदन को इस विधेयक को पारित तो कर ही देना चाहिए।

श्री हेमराज (काँगड़ा) : यह विधेयक एक संवैधानिक कमी की पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। सरकार ने इस प्रकार पंजाबी सूबा, हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्रों, तीनों की भावनाओं को आदर दिया है। काफी दिनों से यह मांग चल रही थी, जिसे पूरा किया गया है। पंजाबी सूबा और हरियाणा प्रान्त को पूरे राज्य का दर्जा दिया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश को संघ क्षेत्र के रूप में ही रखा जा रहा है। यह बात समझ में नहीं आई कि सरकार हिमाचल प्रदेश को अन्य दो राज्यों जैसा स्तर क्यों प्रदान नहीं कर रही।

मेरे विचार में आज की स्थिति में हिमाचल प्रदेश को संघ क्षेत्र के रूप में रखना उचित नहीं लगता। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि पुर्नगठित हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र पंजाबी सूबा और हरियाणा प्रान्त दोनों से बड़ा होगा। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि सामरिक दृष्टि के विचार से हिमाचल प्रदेश का महत्व समझते हुए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश 21,000 वर्गमील है, जबकि पंजाबी सूबा 19,000 वर्गमील और हरियाणा प्रान्त 16,000 वर्गमील का राज्य होगा। अतः मेरा संशोधन है कि इसे राज्य का दर्जा दिया जाय। यदि अब न किया गया तो आगे चलकर इसे करना तो पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन आने पर देख लिया जायेगा।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : इस विधेयक से पंजाबी सूबे का निर्माण हो जायेगा, जिसकी काफी दिनों से मांग हो रही है। डर इस दिशा में यह है कि चंड़ीगढ़ के मामले में संघर्ष की सम्भावना है मेरे विचार में विधेयक में कुछ उपबन्ध ऐसे तरीके से रखे गये हैं ताकि इस विवाद को अलग कर दिया जाय। यद्यपि ऐसा करना ठीक है, पर इससे सरकार की कठिनाई सुलझ नहीं रही है। मेरा कहना यह है कि चंडीगढ़ को अलग करके किसी प्रकार का लाभ उठाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हरियाणा के लोगों को चंड़ीगढ़ के बारे में अपना मत व्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता। रोका जाना भी नहीं चाहिए।

यह भी तथ्य पूर्ण बात है कि यदि भाषा के आधार पर सारे मामले का अध्ययन किया जाय तो भाषा के आधार पर राज्यों के बनाने के आधार पर चंडीगढ़ हरियाने में जाना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा को सौंपे गये मामले के बारे में संघ-राज्य

क्षेत्र तथा राज्य में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि चंडीगढ़ को संघ-राज्य के रूप भी कोई विधान सभा तथा महानगर परिषद् जैसा निकाय देना चाहिए। और इस बात का संसद को विशेष ध्यान रखना चाहिए।

Shri Buta Singh (Monga): I am going to support this amendment of the Constitution. We are going to give the right to the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh to express its opinion regarding the new reorganization of the Punjab. But I want to ask the Government that what is the position of the legislature of Punjab. I am of the opinion that as the legislature in the Punjab is still in existance, reference to it should also be made. I am of the opinion that it should not be faced with a fait accompli. The principle of language in the reorganization of States has been vary lately applied in the case of the Punjab. Where as the sacrifices done by the Punjabis in the freedom struggle of the country are unparallel.

I would like to impress upon the Government that an assurance should be given on the floor of the House that the reorganization Bill will not be delayed. It is feared in some quarters that the reorganization will take some time. If this delay is done there will be some mis-apprehentions about it. I therefore request the Government to speed up the matter. The Bill should be brought forward and passed in this very session.

This is also desirable that every effort should be made to solve the question of Chandigarh. Eighty percent people in Chandigarh are Punjabi speaking and of Punjabi origin. This must go to the Punjabi Suba.

Shri G. N. Dixit (Etawah): There is ruling of the chair that the Union territory does not come under the term of State. While the view of the Supreme Court is different, therefore it is good that the matter is sought to be clearified in the Bill. The present Bill is welcome. It will make possible a smooth reorganization of the Punjab. I would like to impress upon the Government to bear in mind one very important matter in this connection. The point is that instead of amending the Constitution from time to time according to the need of the hour, it will be good to bring forward a comprehensive Bill. All the suggestions that are available in the direction should be incorporated into it. The working of the Constitution should also be taken into consideration. It is not good that every time the Constitution is amended. I hope that the Law Minister will give sympathetic consideration to this suggestion.

श्री वीर भद्र सिंह (महासू) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मैं पंजाब के पुर्नगठन करने के निर्णय के लिए सरकार को मुबारक बाद देता हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों को तो बहुत पहिले हिमाचल से मिला दिया जाना चाहिये था। यदि ऐसा किया जाता तो बहुत खिचाव कम हो जाता वैसे तो भाषावार प्रान्त रचना का सिद्धान्त सरकार ने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था। परन्तु इसे इस क्षेत्र पर लागू नहीं किया गया। अच्छा होता यदि इस पर भी इसे उसी समय लागू कर दिया जाता, इससे बहुत सी कठिनाइयों का हल हो जाना सम्भव हो जाता। अब भी संघ क्षेत्र के लोगों में बहुत से सन्देह पैदा हो रहे हैं, और हिमाचल का होने के बारे में मुझे उसका पूरा ज्ञान है।

हमें इस तथ्य को देखना चाहिए कि पुनर्गठन के बाद हिमाचल का क्षेत्र काफी विशाल हो गया है। क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हो गयी है, अत: इसे पूरा राज्य बना दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को कुछ विवरण निर्धारित कर देने चाहिए। यदि उस विवरण में दी गई शर्तें कोई संघ क्षेत्र पूरा कर दे तो उसे पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। संघ-राज्य क्षेत्रों के बारे में सरकार को इस दिशा में निर्णय कर लेना चाहिए।

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) ; I have no serious objection to this Bill, which has been brought forward by the Law Minister Shri Pathak. Even then I would like to discuss the Bill briefly.

There is no doubt that we opposed the Bill on principle, as, in our opinion, it encouraged the Seperate tendencies. This ultimately takes us to the division of the country. Inspite of that we contended that all this is being done in the interest of the Country's unity.

The Commission was appointed and this was assured that the Commission's report will be accepted. But it is very sad to observe that our Government have deviated from the recommendations of the Punjab Boundary Commission. Government, being afraid of handful of Sikh communalist. Chandigarh was not given to Haryana. Government should have accepted the recommendations of such a high powered Commission, should have been accepted in toto. I want to urge that Chandigarh should be included in Haryana State. It should not continue as a Union Territory. This is the demand of the people of Haryana.

Together with that we fully support the demand of Shri Hem Raj that Himachal Pradesh should be given the full status of a State. The area of Himachal Pradesh has increased after reorganization. It should be a full fledged State. I am of the opinion that President's Rule should continue in Punjab and Haryana States till the General Elections. The Central Government should feel its responsibility and stick to the last whatever decisions they take in this direction.

श्री दी० चं शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। इससे पंजाबी सूबा और हरियाणा की दो पुरानी मांगें पूरी होती है। हरियाणा के लोग भी यह शिकायत करते रहे हैं कि उनके आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन का सिद्धान्त तो अब मान लिया गया है। इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। सारे पंजाब की भाषा पंजाबी बना कर उसे एक रखने का सवाल भी पूरा नहीं उतर सका।

यह सब होते हुए भी मेरा निवेदन यह है कि पंजाबी सूबे अथवा हरियाणा के बीच कुछ सामान्य कड़ियाँ रखी जानी चाहिए। जिनसे दोनों राज्यों का सम्पर्क बना रहे। मेरे विचार में यह अच्छा होगा यदि दोनों राज्यों में उच्च न्यायालय, राज्य सेवा आयोग, तथा कुछ अन्य सम्पर्क एक ही रख लिये जाय। इसी प्रकार यह भी तथ्य पूर्ण बात है कि हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व बड़ा ठोस रहा है और उसने सभी दिशाओं में प्रगति की है। अतः यह मांग पर्याप्त ठीक है कि उसे राज्य का दर्जा दिया जाय। उसका क्षेत्रफल भी पंजाबी सूबा और हरियाणा के मुकाबले में अधिक होने जा रहा है।

से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Prkash Vir Shastri (Bijnore) : I wholeheartedly support the proposal of friends from Himachal Pradesh to raise its status from Union territroy to a full fledged State. Una and Pathankot Tehsils should also be merged with Himachal Pradesh. We should see that Hindus and Sikhs should not be discriminated at all for the purposes of division.

Una and Pathankot Tehsils should go to Himachal Pradesh. Vishal Himachal Pradesh should be created with the merger of Jammu and Kashmir with Himachal Pradesh. It is necessary to do so from the point of view of security of the country.

It is clear from the report of Shah Commission that although there was a difference between the Members regarding the State to which Chandigarh should go but they were unanimous in recommending that it should go to one of the two States. When the Government had decided to reorganise the State on linguistic basis, they should have accepted the recommendation of the Commission with regard to Chandigarh.

The Constitution was promulgated fifteen years ago but the Government have amended the Constitution a number of times. They should consider all the amendments which are necessary and bring forward a comprehensive bill amending the Constitution. I hope the Minister of Law will seriously consider this proposal.

श्री प्रताप सिंह (सिरमूर) : मैं संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 में श्री हेमराज द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का समर्थन करता हूँ, मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार को भाषायी आधार पर पंजाब का पुनर्गठन करने के निर्णय पर बधाई देता हूँ। इससे पंजाब और हरियाने के लोगों की बहुत पुरानी इच्छा पूरी होगी।

हिमाचल प्रदेश के बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि इसका विकास दो प्रक्रमों में होगा। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे शिमला, कुलू, कांगड़ा, लाहोल और स्पिती आदि के हिमाचल प्रदेश में विलय से उसका आकार बड़ा हो जायेगा। इसके साधन भी बढ़ गये हैं। सरकार को चाहिये कि उसे पूरा राज्य बनाने के लिए पग उठाये। वास्तव में जम्मू तथा काश्मीर को हिमाचल प्रदेश में मिलाकर इसे बड़ा प्रदेश बनाया जाना चाहिये। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur) : It will not be wrong to say that the Government should have done the reorganisation of states once for all. If that was done, the discontentment against the people of certain areas would not have been there and the agitations would not have taken place. It has become a habit with the Government not to take decision, until there are agitations, threats and challenges.

Although the Government had accepted the principle of linguistic states, it should be ensured that no further state is created on linguistic basis otherwise all national unity will be endangered. After linguistic reorganisation of States, special efforts are necessary to preserve the unity of the country. No such efforts are being made.

The Constitution (Twentieth Amendment) Bill is a non-controversal bill. It will be more appropriate to say that this is an extension of the Seventh Amendment of the Constitution.

The House is agitated because the Government has deviated from the recommendations of the Punjab Boundary Commission contrary to their assurances. The Government should have accepted the recommendations of such a high powered Commission **in toto**. The Government has not done something good by interferring in this manner.

The Minister should tell us whether the matter would be referred to the Punjab Legislative Assembly for their opinion. We should also be told whether efforts would be made to implement the principle behind the formation of Zonal Councils. Why have the Government given practical shape of the scheme of having bigger states in the form of zonal councils ?

The present Law Minister should undertake during his tenure to make the changes in the constitution, whereever they are necessary. Whereever the Constitution called for passing of certain laws, those laws should be enacted.

श्री जं० ब० सि० बिष्ट (अल्मोड़ा) : मैं पंजाब के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रस्तुत संविधान

(बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 का स्वागत करता हूँ ; विशेषत: इसलिए भी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दो निर्णय दिये हैं । पिछले बजट सत्र में मैंने नागालैंड, मिजो क्षेत्र तथा अन्य सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में एक वक्तव्य दिया था । उस समय मैंने सुझाव दिया था कि भारत में भी अमेरिका जैसी प्रणाली अपनाने के लिए विचार किया जाये । इस तरीके के अनुसार राज्य क्षेत्रों का अस्तित्व बना रहता है किन्तु राज्यतत्व पदपाने के लिए एक अवधि निश्चित कर दी जाती है । मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक से इस दिशा में एक कदम उठाया गया है । अत: इसका समर्थन करता हूँ ।

सीमाओं पर खतरे को देखते हुए लगता है कि इस विधेयक को कई बार प्रयोग करना पड़ेगा । गढ़वाल और कुमायूं में उत्तरखण्ड क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है । संभव है स्थिति के अनुरूप क्षेत्र का विस्तार करना पड़े । इसी प्रकार ऐसे और मौके भी आ सकते हैं जब नये राज्य क्षेत्र अथवा संघ राज्य-क्षेत्र बनाने के लिए, जो कभी पूर्ण राज्य बन सकते हैं इस विधेयक की आवश्यकता हो । मैंने पिछली बार सभा में कहा था कि हिमाचल प्रदेश बनाते समय पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को इससे मिला दिया जाना चाहिये था । आज उन क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया है, इससे मुझे बहुत संतोष हुआ है । हिमाचल प्रदेश की प्रगति को देखते हुए इस बात पर पुन: गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या वह राज्यपद प्राप्त करने योग्य हो गया है ? वस्तुत: ये सभी संघ राज्य, कुछ नियमों के अन्तर्गत जिन्हें आप बना सकते हैं राज्य बनने के अधिकारी होने चाहिये अथवा कुछ समय पश्चात् उन्हें राज्य बना देना चाहिये । मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है और इसका पद लगभग एक राज्य के पद के बराबर है इसलिए हिमाचल प्रदेश को राज्य (स्टेट) बनाने के दावे पर विचार किया जाये ।

परन्तुक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र बनने के उद्देश्य से किसी दूसरे क्षेत्र में मिलना चाहे तो उसका मामला उस क्षेत्र के विधानमंडल को भेजा जायेगा । मेरे विचार में इसकी आवश्यकता नहीं है । ऐसा मामला केन्द्र के एकमात्र अधिकार का विषय है । निस्संदेह ऐसे मामले को राज्य के पास राय जानने के लिए भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है । उस राय के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य नहीं होना चाहिये । मेरा विचार है कि इस उपबन्ध का यही उद्देश्य है क्योंकि ऐसे मामले में केन्द्र का एकमात्र अधिकार है । राज्य अपने क्षेत्र के कुछ भाग को छोड़ने के लिए सामान्यत: सहमत नहीं होंगे ।

फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था ठीक चल रही है । तथापि मुझे ज्ञात हुआ है कि हिमाचल प्रदेश को अपनी वर्तमान व्यवस्था से संतोष नहीं है और वह इससे बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है । मुझे आशा है कि इस पर विचार किया जायेगा ।

अंत में मैं इस विधेयक का पुन: समर्थन करता हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक बहुत उचित समय पर प्रस्तुत किया गया है ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti (Jhajjar) : There should be no common links between Punjabi Suba and Haryana State. Haryana State should have a separate High Court, Governor and Public Service Commission.

Our demand for separate Haryana State has been acceded to. Now we may be given an oppurtunity to appoint I.A.S. officers and P.C.S. officers belonging to this State itself. Officers from other States should not be burdened upon us.

Chandigarh should be given to Haryana State. There are a number of big cities in Punjabi Suba, any one of which could serve as capital of that State. There is no big city in Haryana State, which can be made its capital. We had requested Home Minister to merge Delhi and some parts of U.P. with the proposed Haryana State but it has not been acceded. Chandigarh, therefore, must come to Haryana State as recommended by the Border Commission by majority vote.

Fazilka tehsil should be merged with Haryana. If we have a bigger and prosperous Haryana, it would be in a better position to meet the demands of the Country in regard to milk and milk products. By merging Fazilka in Haryana it would also get an opportunity to face Pak. attack with more strength and vigour.

Shri Gopal Dutt Mengi (Jammu and Kashmir) : On the reorganisation of Punjab area, population and potential resources of Himachal Pradesh had increased. Himachal Pradesh should, therefore, be made a full fledged State.

There is a strong demand of the Dogras of Jammu that all the hilly areas should form one State as the culture and way of life of all the people of those areas was uniform. This will create some political difficulties as after the merger of Jammu with Himachal Pradesh Kashmr will be further weakened. The whole of Jammu and Kashmir should therefore be merged witih Himachal Pradesh. Since the culture of people of Kashmir and their language is different, some sort of regional autonomy should be provided for those people so that their culture and language could be developed. The merger of Jammu and Kashmir with Himachal Pradesh was also necessary from the security point of view. China and Pakistan surround us. We have to maintain Border Scouts and Home-Guards to safeguard ourselves from these two countries. The Bigger State would be able to face the aggression from these countries easily. The bigger State will have also more resources and it would be easily in a position to meet the expenditure of the State on all these activities.

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : पंजाब के प्रस्तावित पुनर्गठन को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक आवश्यक है। सरकार ने कुछ त्रुटियां दूर करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है। ऐसी कोई त्रुटि नहीं रहने दी गई जिससे राज्यों की बनावट की मान्यता पर कोई आपत्ति करे। यहां तक तो विधेयक पर मुझे कोई आपत्ति नहीं।

कुछ वर्ष पहले देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के प्रश्न की जांच करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने विदर्भ के आठ ज़िलों का एक अलग राज्य बनाने की सिफारिश की थी। इससे पहले धर आयोग बनाया गया था। बाद में जे० वी० पी० समिति ने भी कहा कि यदि महाराष्ट्र भाषा के आधार पर एक राज्य चाहता है तो वह हो सकता है किन्तु जहां तक विदर्भ के आठ जिलों का सम्बन्ध है, यह उन्हें निश्चित करना है कि वे उसके साथ रहेंगे या नहीं। जब महाराष्ट्र का प्रश्न उठाया गया तो इसे जैसे-वैसे स्वीकार कर लिया गया। यह भाषायी सिद्धान्त पहले मान्य नहीं था। जब आंध्र राज्य नहीं बनाया गया तो एक व्यक्ति ने मरण-पर्यन्त व्रत रखा और उसकी मृत्यु के पश्चात् इस सिद्धान्त को कुछ फेर बदल के साथ स्वीकार कर लिया गया।

सरकार ने अब फिर पुनर्गठन का प्रश्न उठाया है। सरकार को उसे व्यापक रूप में हल करना चाहिए। कई राज्यों में असन्तोष है और यह प्रतीत होता है कि उस असन्तोष को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकार को जनता की शिकायतों की ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय किसी न किसी कारण से बहुसंख्यक समुदाय के साथ रहना नहीं चाहते।

भाषायी सम्बन्ध के कारण पिछले दस वर्षों में उनमें एकता की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। महाराष्ट्र में यही स्थिति है। जब से इस भाषायी नियम को मान्यता दी गई है एक भाषायी ग्रुप ने दूसरे भाषायी ग्रुप के साथ शांतिपूर्ण तथा मित्रता से रहना पसन्द नहीं किया। वे एक दूसरे को अलग समझने लगे हैं। भाषायी सिद्धान्त के अनुसार लाखों आदिवासियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जो संविधान में दी गई 14 भाषाओं से भिन्न बोली बोलते हैं, कुछ नहीं किया गया। इससे दोहरी नागरिकता को स्थान दिया गया है।

भाषायी सिद्धान्त ने असमान आकार को भी बढ़ावा दिया है। एक राज्य उत्तर-प्रदेश आकार में तीन या चार राज्यों के बराबर है। इसलिए अब समय आ गया है जब कि सरकार को यह छानबीन करनी चाहिये कि क्या ऐसे कोई एक से सिद्धान्त बनाये जा सकते हैं जो सभी को स्वीकार हों सरकार को उन सभी सिद्धान्तों पर जिनसे नये राज्यों के निर्माण का रास्ता साफ हो जायेगा, विचार करने के लिए यथाशीघ्र एक दूसरी समिति नियुक्त करनी चाहिए।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अवलोकन किये गये हैं और जो राज्यों के पुनर्गठन प्रस्ताव से संगत है, सरकार उन पर विचार करेगी।

संविधान के अनुसार एक राज्य के विधानमंडल से परामर्श किया जाता है लेकिन संघीय राज्य क्षेत्र से परामर्श नहीं किया जाता। प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण यह है कि संघ-राज्य क्षेत्र के विधानमंडल और एक राज्य विधानमंडल में बहुत अधिक अन्तर है। राज्य का विधानमंडल संविधान द्वारा स्थापित किया जाता है जबकि संघ-राज्य क्षेत्र के विधानमंडल को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। यह संसद को अधिकार है कि वह ऐसे अधिनियम को समाप्त कर दे जिसके द्वारा संघ-राज्य क्षेत्र की विधान सभा का निर्माण हुआ है। इसलिए जब संसद पुनर्गठन विधेयक पास करेगी और उस समय संसद जो विचार व्यक्त करेगी, वह विचार संघ-राज्य क्षेत्र के लोगों के भी माने जायेंगे। इसलिए उनका आधार अलग है और इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि संविधान में यह उपबन्ध हो कि संघ-राज्य क्षेत्र के विधानमंडल को हवाला दिया जाये। राज्य विधान मंडल के विचारों को स्वीकार करना भी संसद के लिए आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्य, जो कि संघ का एक संघटन भाग है, तथा संघ राज्य क्षेत्र में अन्तर किया गया है।

प्रश्न उठाया गया है कि हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का पद दिया जाना चाहिए। यह एक राजनैतिक प्रश्न है। इस समय सभा के सामने संविधान के संशोधन से इसका सम्बन्ध नहीं है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति का शासन आम चुनावों तक जारी रखा जाए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर सरकार उस समय विचार करेगी जब पुनर्गठन विधेयक को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

यह ठीक है कि संविधान में बहुत से संशोधन नहीं होने चाहियें। परन्तु जब नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, नई समस्यायें आती हैं तो हमने उनका सामना करना होता है और इसलिए उस समय संविधान का संशोधन आवश्यक हो जाता है। जब भी संविधान का संशोधन हुआ है, वह

उचित कारणों से ही हुआ है। जिस समय संविधान सभा ने संविधान बनाया था, उस समय इन नई परिस्थितियों का विचार नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 313

विपक्ष में : शून्य

सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ।

यदि हम "संघ-राज्य क्षेत्र" को "राज्य" का दर्जा दें तो फिर कोई कारण बाकी नहीं रह जाता कि परन्तुक में यह कहा जाये कि "राज्य" शब्द में "संघ-राज्य क्षेत्र" शामिल नहीं है। यदि संघ-राज्य क्षेत्र के लिए विधान मंडल की व्यवस्था की जाती है तो फिर उस विधान मंडल को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए या तो अनुच्छेद 3 का सम्पूर्ण परन्तुक समाप्त किया जाए क्योंकि यह अनावश्यक है या फिर परन्तुक में लिखे गये ये शब्द कि राज्य शब्द में संघ-राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं, हटा दिये जाने चाहिए।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र और राज्य में अन्तर है। संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल और राज्य विधान मंडल में अन्तर है। राज्य विधानमंडल का संगठन संविधान के अधीन किया जाता है। राज्य विधान मंडल के मामले में संसद के पास कोई शक्ति नहीं है। जहां तक संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सम्बन्ध है, वह संसद द्वारा बनाई जाती है और संसद इसे तत्सम्बन्धी अधिनियम के निरसन द्वारा खत्म कर सकती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में संसद सर्वोच्च है। यदि संघीय क्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाये गये कानून के प्रतिकूल है तो उसे वर्जित कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में : 297 विपक्ष में : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1 (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया :

Amendment Made

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,···"बीस" शब्द के स्थान पर"अठारह" शब्द रख दिया जाये

Page 1, Line 3, **for** "Twentieth" **Substitute** "Eighteenth"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sahha was divided

पक्ष में : 306 विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया

आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव (जारी)

MOTION RE : ECONOMIC SITUATION (CONTD)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा 26 जुलाई 1966 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :—

"कि देश की वर्त्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाय ।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री कु०च० शर्मा (सरधना) : आज हमें अपने प्रशासन अधिकारियों पर भी हमें संदेह हो रहा है । वेतन इत्यादि की बात भी बहुत अधिक महत्व की नहीं, उनका गौरव नष्ट हो रहा है । प्रशासन के कार्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है । जो भी उठता है, कहने लगता है कि अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है, अयोग्य है । अच्छे प्रशासन के निर्माण की दृष्टि से यह अच्छी परिपाटी नहीं कही जा

सकती। मेरा निवेदन यह है कि अच्छे प्रशासन तथा जन हित की दृष्टि से यह बहुत ही अपेक्षित है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पूर्व सारे तथ्यों की पूरी तरह से छान बीन कर लेनी चाहिये। मामले के बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मैं इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं और प्रत्येक स्थान पर लूट मच रही है। यदि ऐसा होता तो यह सम्भव ही नहीं था कि यह लोक तंत्र 19 बरस इस तरह चल जाता। अत: मेरा निवेदन यह है कि हमें कुछ उत्तरदायित्व से बात करनी चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें की है, जो बिलकुल निराधार है।

आधारभूत बात यह है कि हम मुदास्फीति की चक्कर में हैं। यह बड़ी जटिल समस्या है। इसके प्रभावों से हम बच नहीं सकते। जब हमें आजादी मिली थी तो हालात बहुत ही शोचनीय थी। विधि और व्यवस्था की स्थिति भी खराब थी और आर्थिक स्थिति भी भयावह थी। उस समय हमारे प्रधान मंत्री ने यही सोचा था कि 48 करोड़ लोगों के देश में बिना योजना के किसी प्रकार के आर्थिक विकास अथवा प्रगति की आशा करना सम्भव नहीं। जलदी जलदी कुछ कर सकना असम्भव है। स्थिति का सामना करना उसी तरह कठिन था जिस प्रकार मैदान में जाकर चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करना। कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र में निकल सकते हैं।

अत: योजना बनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। हमारी बीसवीं शताब्दी योजना का ही युग है। एक बड़े देश को बिना निवेश को प्रात्साहन दिये किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास सम्भव नहीं। और एक यह भी सिद्धान्त की बात है कि निवेश में तब तक वृद्धि नहीं हो सकती जब तक विदेशी सहायता उपलब्ध न हो। विदेशी सहायता के बारे में यह धारणा कि इसे लेना कोई बुरी तथा अपमान-जनक बात है, गलत है। मेरा निवेदन यह है कि विदेशी सहायता लेने को बुरा नहीं कहा जा सकता। न ही कोई ऐसी बात है कि इससे देश का सम्मान कम होता है। और इसी दृष्टि से हम विदेशी सहायता ले रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है।

सारा काम एक दम तो हो पाना सम्भव नहीं। प्रशासन और सेवाओं का होना भी जरूरी है। उन्हें बदलना हो तो एकदम उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। मेरा विचार है कि आयोजन देश में बुरा नहीं रहा है। गत 15 वर्षों में हमने 50 प्रतिशत प्रगति की है। कृषि में तुरन्त ही किसी प्रकार की क्रान्ति ले आना सम्भव नहीं। अन्य देशों में भी इस प्रकार की स्थिति लाते हुये समय लगता है। फिर कठिनाइयां भी आती रहती हैं। चीन का हमला हो गया, पाकिस्तान का संघर्ष आ गया, आज जो भी स्थिति हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमने प्रगति की है, और आगे हम एक महान राष्ट्र का अवश्य निर्माण कर पायेंगे, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। 48 करोड़ लोगों ने अंगड़ाई ली तो देश धन, धान्य और क्षमता और शान्ति से भरपूर हो जायेगा।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : यह बड़े महत्व का विषय है और इसका प्रभाव शायद आज इतना न हो जितना आने वाले समय में होगा। वित्त मंत्रालय ने जो 'आर्थिक समीक्षा' प्रकाशित की है, उसमें इस बात को माना गया है कि स्थिति संकटवाली बन गई है। हमारी अर्थ व्यवस्था का प्रत्येक अंग चूर चूर हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में अनेकों संकटों का सामना करना

पड़ रहा है। इस पर भी गत 15 वर्षों की सफलताओं की बात की जाती है। आश्चर्य की ही बात है कि गत 15 वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च करके भी हम यदि अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सके तो, हमारी प्रगति क्या हुई।

सरकार ने एक बड़ी सुन्दर पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक जानकारी दी गई है। खेद है कि आर्थिक प्रगति का अन्तिम माप राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर है। यदि हम 1952 से 1963 के बीच विभिन्न अल्प विकसित देशों की प्रगति की दर का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि के मामले में भारत का स्थान नीचे से तीसरा है और हम केवल मोरोक्को तथा अर्जन्टइना से अच्छी है। इतना कुछ करने के बाद हमारी प्रगति की दर केवल 2.5 प्रतिशत हो सकी है। 15 वर्षों के निरन्तर आयोजन और प्रयास और भारी धन राशि को खर्च करके, यह स्थिति, जिसे हम दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकते हैं। आज हमारी कृषि पूर्ण संकट की स्थिति में है। प्रति वर्ष अनाज बाहर से मंगाना पड़ रहा है। यह कहना गलत है कि वर्षा न होने के कारण अनाज का उत्पादन कम हुआ है, प्रत्युत यह इस बात का द्योतक है कि कृषि की नितांन्त उपेक्षा की गई है।

उद्योगों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। 'आर्थिक सर्वेक्षण' में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। यह बात मानी गई है कि सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। गैर सरकारी उद्योग इस लिये तबाह हो रहे हैं कि उन्हें अपेक्षित कच्चा माल इत्यादि उपलब्ध नहीं हो रहा। प्रगति का विवरण यह है कि 1962 में 9% 1963 में 8% और 1964 में 7% था 1965 में यह नीचे गिर कर 4 प्रतिशत रह गया। फिर जो कुछ सरकारी क्षेत्रों में पैदा हुआ, वह सामग्री बहुत ही घटिया कोटि थी। इधर तो यह स्थिति है और उधर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पूंजी मंडी समाप्त हो रही है। बचत और विनियोजन बहुत ही कम हो रहा है। और सबसे अधिक यह कि मुद्रा स्फीति कमर तोड़ रही है। घाटे की अर्थ व्यवस्था अपना पूरा विकराल रूप धारण कर रही है।

आयात नियन्त्रण, लाइसैन्स, परमिट, कोटा इत्यादि के होते हुए भी भुगतान की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। निर्यात को प्रोत्साहन देने का मामला इस स्थिति में है कि 60 से 80 करोड़ रुपये का आयात हो रहा है और इसको पूरा करने के लिए निर्यात की स्थिति बहुत ही कम है। बड़ा गम्भीर मामला है, इस की मंत्री महोदय और रक्षित बैंक को जांच करनी चाहिए। अवमूल्यन के बारे में जो कुछ हुआ है वह हमारे समक्ष है। इसकी पूर्व सूचना बिलकुल नहीं दी गयी थी। सरकार चाहती तो बजट के दौरान ऐसा अवसर निकाल सकती थी और देश को इस तथ्य से सूचित कर सकती थी कि बड़ा भारी संकट आ रहा है।

आज सरकार परेशान हो रही है कि जो स्थिति निर्माण हुई है, उसमें वह क्या करे। हो सकता है कि अवमूल्यन के बारे में सरकार के पास कुछ विकल्प रहे हो, परन्तु सरकार कुछ भी नहीं कर रही। मैं सरकार के इस कठिन अवमूल्मन को स्वीकार तो करता हूँ परन्तु उसी स्थिति में जैसे कि एक दिवालिये के वचन को स्वीकार किया जाता है। और उसे यह कहूँगा कि आगे से ऐसा कुछ न करना जिससे पुनः उसे दिवालिया बनना पड़े। मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में स्थिति को ठीक करने के लिए निष्ठा से कार्य करेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी अर्थ व्यवस्था बहुत ही खराब है। मुद्रा स्फीति, ऋण, कर तथा अन्य बोझों से जनता दबी

जा रही है। स्थिति बहुत ही गड़बड़ी वाली है। अतः मेरा कहना है कि दीर्घ कालीन, गम्भीर तथा मिली जुली कार्यवाही करने का विचार कर रही है। और ऐसा करते हुए हमें अपने लक्ष्य बड़े स्पष्ट रूप में सामने रखने होंगे ताकि भविष्य में स्थिति संकट पूर्ण न बन जाय।

मेरा इस सारी स्थिति को देखते हुए यह कहना है कि 1966-67 के बजट में सरकारी खर्चे में कम से कम 500 करोड़ रुपये के लगभग की बचत की जानी चाहिए। इतना हो जाय तो 10 प्रतिशत की बचत होगी। इसके बिना आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। गैर सरकारी क्षेत्र में अनावश्यक परियोजनाओं को बन्द कर दिया जाना चाहिए। और जो बचत करके, इस तरह बचे लगभग 300 करोड़ रुपये के कर भार कम कर दिये जाने चाहिए। इस तरह मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में बड़े कड़े कदम उठाये जाने चाहिए। एक बात हमें बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि केवल घाटे की अर्थव्यवस्था को रोककर ही हम समस्या को हल नहीं कर सकते। हालात का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता ही न रहे। चौथी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक आय व्ययक को अपने साधनों तक ही सीमित रखना चाहिए। यह श्री मेहता की बात बन्द होनी चाहिए कि वह साधन इकट्ठे करने का पुनः प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने बुत्ते से बाहर जाकर खर्च करना चाहते हैं। और यदि ऐसा किया गया तो घाटे की अर्थव्यवस्था तो चलेगी। यह ठीक अवमूल्यन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था, परन्तु इस रास्ते से लाभ तब ही होगा यदि सरकार ईमानदारी से अपने भविष्य का निर्माण करने में लग जाये।

हिम्मत सिंहका (गोंडा) : मैं अवमूल्यन के गुण और दोष नहीं बताना चाहता। क्योंकि वह तो अब एक निश्चित सी बात हो गयी है। बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार के पास इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं था। सरकार को मजबूर होकर यह निर्णय करना पड़ा है। इस निर्णय के मुख्य कारण चीन का हमला और पाकिस्तान के साथ संघर्ष है। पिछले साल जो सूखा पड़ा था वह भी अवमूल्यन का एक कारण है। अवमूल्यन से हमारी अर्थव्यस्था की कठिनाइयां दूर नहीं होंगी। असमानतायें भी ठीक नहीं होंगी और भुगतान शेष की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं आ पायेगा। स्थिति के सुधारने के लिए केवल एक ही रास्ता है। कि निर्यात को बढ़ाया जाये और आयात को कम किया जाये। में इस तर्क को नहीं मानता कि इस निर्णय के लिए विदेशी दबाव पड़ा है। विदेशों ने हमें ऋण दिया है और वह हमने उन्हें वापिस करना है। अतः उनके दबाव की बात समझ में नहीं आती।

हाल ही में 59 उद्योगों के लिये आयात में उदारता बरतने की घोषणा की गई है। यह एक उचित कदम है और इससे हमारी वर्तमान औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी। पक्के माल और उपकरणों के आयात की मांग को कम करने में भी इससे सहायता मिलेगी। किन्तु केवल यह एक कार्य ही इसके लिये पर्याप्त नहीं है। इसके लिये कुछ और भी कार्य किये जाने चाहिये ताकि हमारा उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता जाये।

[श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि चीजों का उत्पादन व्यय बढ़ने न पाये। जो चीजें हम निर्यात करें वह विश्व की मंडियों में अन्य देशों की वस्तुओं के मुकाबले में

सरलता से बिक सकें। यदि हमारा निर्यात बढ़ गया तो हम आयात की स्थिति को सुधारने में भी सफल हो जायेंगे। हमारे कर्जों की स्थिति भी अच्छी हो जायेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि विश्व की मंडियों में बिक सकती है। उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ अन्य पग उठाये जाने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि कम से कम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये। इससे काफी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, और देर भी हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, मजूरी और लाभ पर भी नियन्त्रण रखना बड़ा जरूरी है। जहां तक मजूरी का सम्बन्ध है उसको उत्पादन के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिये। नियंत्रण व्यवस्था भी यथाशीघ्र दूर की जानी चाहिए क्योंकि इससे भी कई प्रकार के सुधार करने में कुछ अड़चनें आती है। सरकार के प्रशासन सम्बन्धी खर्च में भी यथासम्भव कटौती की जानी चाहिए। इसके लिए गुंजाइश भी बहुत अधिक है। यदि सरकारी कर्मचारियों में 30 से 35 प्रतिशत कमी कर दी जाये तो काम और भी अच्छी प्रकार चलेगा।

उद्योग के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। कराधान के उच्च स्तर और रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण, जो उद्योग में स्वभाविक रूप से लगाये जाने वाले निवेष के लिए बाधक सिद्ध हो रहे हैं, पर भी करने विचार करने की आवश्यकता है। भारी कराधान के फलस्वरूप निवेष करने वालों के हाथ में कुछ भी शेष नहीं रह गया है और इस कारण नयी कम्पनियों की स्थापना नहीं हो रही है। निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिए तो प्रोत्साहन देना ही होगा। जो परियोजनाएं अधूरी हैं, पहले उन्हें शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाना चाहिए।

अवमूल्यन के पश्चात हम जो विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उससे हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें एक राष्ट्र के नाते अपनी ही आय में गुजर करनी चाहिए ताकि दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही न पड़े। अतः मैं महसूस करता हूँ कि हमें सब प्रकार का प्रयास करके अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। देश में उत्पादन क्षमता की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे ठीक ढंग से उपयोग किया जाय।

श्री मुथिया (तिरूनेलवली) : यह ठीक है कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है परन्तु चिन्ता और निराशा का कोई कारण नहीं है। बड़े और विकसित देश को भी कई विपरीत हालात का मुकाबला करना पड़ जाता है। ब्रिटेन भी आज आर्थिक संकट से निकल रहा है। हमारी आबादी का प्रश्न है उसे परिवार नियोजन और अधिक उत्पादन करके ही सुलझाया जा सकता है। जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसे रोका जाना है। उत्पादन की उपलब्धि और वितरण पर सरकार को अपना नियन्त्रण रखना होगा। कृषि उत्पादन का लक्ष्य 1971 से पूर्व बढ़ा कर 1250 लाख टन करना होगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कृषि तथा उद्योग में अधिक वृद्धि करके सरकार अनिवार्य वस्तुओं की वसूली, राशन की दुकानें, सस्ते अनाज की दुकानें तथा उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा वितरण का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। इस तरह बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सकता है और अन्ततोगत्वा स्थिर किया जा सकता है।

इसी प्रकार प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या भी अधिक निर्यात तथा कम आयात द्वारा हल की जा सकती है। इस समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पादन है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवमूल्यन के बिना कोई रास्ता नहीं था। सरकार ने

यह पग बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये उठाया। उसका उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना तथा आयात को कम करना था। सरकार ने अवमूल्यन करके वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने का ही प्रयास किया है। यह एक तथ्य की बात है कि भारतीय रुपये का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम हो गया था। यह ठीक है कि अवमूल्यन के कारण हमारे विदेशी ऋणों में वृद्धि हो जायेगी, क्योंकि विदेशी रुपये का मूल्य बढ़ जायेगा।

वास्तव में विश्व बाजार में रुपये का मूल्य पहले ही कम हो चुका था। इसलिये बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को संभालने, निर्यात को बढ़ाने तथा आयात को कम करने के लिये रुपये का अवमूल्यन करना अनिवार्य था। अवमूल्यन से आयातित चीजों की कीमतों में वृद्धि होगी और इस प्रकार आयात का निरूत्साहन होगा।

यह सच है कि हमारे निर्यात व्यापार में तुरन्त वृद्धि नहीं होगी परन्तु कुछ समय बाद अवश्य ही हमारा निर्यात व्यापार बढ़ेगा।

यह भी ठीक है कि अवमूल्यन के कारण हमारे विदेशी ऋणों के बोझ में वृद्धि होगी। इससे हमारे विदेशी रुपये के कर्जे का मूल्य भी बढ़ेगा। परन्तु सरकार ने अवमूल्यन के सम्बन्ध में दृढ़ अनुवर्ती कार्य किये हैं। वह कार्य उद्योगों की निर्यात सम्बन्धी आयात की आवश्यकताओं का पूरा करना, 59 प्राथमिकता वाले उद्योगों के आयात के लिये छूट देना, छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में आयात में छूट देना, सरकार द्वारा सारी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करना, समूचे देश में बड़े पैमाने पर उपभोक्ता सहकारी भंडार खोलने की व्यवस्था, सरकारी व्यय में कमी, आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा समस्त सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में दक्षता लाना तथा उत्पादन बढ़ाना है। सरकार ने यह आश्वासन भी दिया है रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को जो ऋण देगा, उस पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी। बचत तथा रुपया लगाने को प्रोत्साहन देना तथा उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना भी इन कार्यों में शामिल है।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar) : Government has regularised the real value of the rupee through devaluation. Devaluation in itself is not a bad thing. France, Italy and many East European countries had devalued their money and afterwards they made progress and improved their economic condition.

Now the question is that Government should take follow-up measures. First of all production in our factories should be increased. If this is not done prices will go up and as a result thereof wages will have to be increased and cost of production will go up. Thus we will not be able to export our goods. Procedure in the Government offices should also be simplified and issue of licences to new industrialists should not take much time.

It is also necessary that Public Sector firms should make profit. We should bear inmind that it is public money which have been invested in these concerns. They must increase their production and show profit. But it is regrettable that leaving aside one or two the other Public Sector concerns have not been functioning as they should have functioned.

Another thing which is hampering production in our country is that the new industrialists are not getting proper financial aid from the banks and other financial institutions. Government should take some steps in this direction also. Government, should at least set up one such institution which may provide loans to new industrialists on proper security.

Tax burden should also be reduced so that people might be able to start new factories. This can be possible only if Government reduces its own expenditure.

So far as question of taking decisions is concerned Government could not decide so far what incentive they should give to boost our export. As a result thereof we have already lost much market of our goods. Government should take quick decisions in regard to the policy matters.

We have miserably failed in raising the agricultural production. Practically Government have done nothing to increase agricultural production instead of tall talks. The Government should see that the money collected from the farmers in the form of levies spent on them and agriculture alone and not on other matters.

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : महोदय वित्तमंत्री ने कहा है कि अवमूल्यन अनिवार्य था और इसकी अति आवश्यकता थी। आवश्यकता किसी कानून को नहीं मानती और यही कारण है कि अवमूल्यन की वकालत के लिये श्री शचीन्द्र चौधरी जैसे प्रसिद्ध अधिवक्ता को लगाया गया है।

हमारी योजनाएं आन्तरिक साधनों तथा उपलब्ध विदेशी ऋणों के प्रयोग पर आधारित रही है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगार के बारे में आधे घंटे की चर्चा।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION REGARDING EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जैसा एक अगस्त को प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया है। मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से प्रसन्न है।

आजाद हिन्द फौज के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही भारत इतनी शीघ्र अर्थात 1947 में आजाद हो पाया था अन्यथा यह सम्भव नहीं था। परन्तु सरकार ने उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और वे लोग अभी तक अंग्रेजी राज की ज्यादतियों से पीड़ित हैं।

सरकार ने अपने 1948 के निर्णय द्वारा ब्रिटिश सरकार के उन सिविल कर्मचारियों को, जिनको भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था अथवा जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, वरिष्ठता का अधिकार दिया तथा उन्हें पुनः रोजगार तथा दूसरे लाभ दिये हैं।

सरकार द्वारा 1961 में जारी की गई अधिसूचना में यह व्यवस्था की गई थी कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों के समान समझा जायेगा। जो लोग जापान की कैद में रहे और जो आजाद हिन्द फौज में शामिल नहीं हुए थे उनको उस अवधि के लिये पूरा वेतन तथा भत्ता दिया गया है परन्तु जो लोग आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे और जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उनको वेतन तथा भत्ता नहीं दिया गया है और उनको रोजगार देने सम्बन्धी योजनाओं को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

जो वीर देश भक्त अपने जीवन के जोखिम पर आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए थे उनके साथ ऐसा विभेदपूर्ण व्यवहार किया गया है इनमें 80 प्रतिशत लोग अब भी जीवित हैं और बेरोजगार हैं। अब समय आ गया है जबकि प्रतिरक्षा मंत्रालय के परामर्श से इस बाबत की जांच के लिये एक संसदीय आयोग अथवा समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर पूरी तरह विचार करे ताकि स्वतंत्रता संग्राम के इन वीरों के साथ न्याय हो सके।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : प्रतिरक्षा मंत्री ने एक अगस्त को अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर में शत्रु शब्द का प्रयोग किया था। तकनीकी इतबार से इस शब्द का अर्थ ब्रिटिश सरकार के शत्रु अर्थात जापान से था। मंत्री महोदय को इस तरीके से विशेषकर इस 'शत्रु' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये था।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं इससे सहमत हूँ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I would like to know from the Defence Minister whether his ministry has submitted any plan to employ the Ex-servicemen of the Indian National Army in the army and if it is not possible to absorb them in army then in other organisations ? This is a matter of shame for us if such persons are remained unemployed.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतत्रंता की घोषणा के तुरन्त पश्चात इन भारतीय सैनिकों को जो नेताजी सुभाष की सेना में शामिल हो गये थे देश भक्त माना जाना चाहिये था। श्री कामत द्वारा दिये गये सुझाव कि इस मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : भूतपूर्व सेनाओं के पुनर्वास तथा उनको पुनः रोजगार देने का प्रश्न सशस्त्र सेनाओं के मनोबल से सम्बन्धित है। इसलिये मैं महसूस करता हूँ कि श्री कामत द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्री यह महसूस नहीं करते कि अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का कारण यही था। विश्व युद्ध की समाप्ति पर इन्डियन नैशनल आरमी बन चुकी थी।

श्री महेश दत्त मिश्र (खंडवा) : मैं चाहता हूँ कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों को जिनकी आयु इस समय 45 अथवा 50 वर्ष की हो चुकी होगी, राष्ट्रीय एकीकरण का काम सौंपा जाये।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : भूतकाल में सरकार, प्रतिरक्षा मंत्रालय और सेना ने इन लोगों को पुनः सेना में उन्हीं रैन्कों पर न लेने का दृष्टिकोण अपनाया था जिनसे इन लोगों को निकाला गया था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसके क्या कारण थे। क्या इस बारे में भूतपूर्व ब्रिटिश सरकार के साथ कोई करार किया गया था अथवा कोई अन्य कारण था। यदि वही सरकार इन लोगों को भूतपूर्व सैनिकों की सी सुविधायें देने को सहमत है क्योंकि इन लोगों की आयु अधिक हो गई है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सभा में एक वक्तव्य दिये गये एक बताया गया है कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को तीन वर्गों में बांटा गया है अर्थात 'श्वेत', 'काले' और 'भूरे'। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन वर्गों को समाप्त कर दिया गया

अथवा यह अभी तक बने हुए हैं। यदि ये अभी तक बने हुए हैं तो जो लोग इन सूचियों में है जिनको सरकार ने मंजूर किया है उनके साथ क्या व्यवहार किया जाने वाले हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On what ground the Indian National Army organised by Netaji Subhash Chandra Bose had not been merged in the Indian Armed Forces? Is it due to mental slavery.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : How many I N A personnel have been provided land for agriculture and for how many of them Rehabilitation arrangements have been made so far ? If nothing has been done in this regard so far, when the Government proposes to implement the plan on it ?

श्री बृजराज सिंह (कोटा): तीस लाख रुपये का राशि में से आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों में कितनी तदर्थ सहायता वितरित कर दी गई है, और यदि उसमें से कुछ शेष बची हुई है तो उसको बाँटने के लिए सरकार किस प्रकार का यथोचित प्रचार कर रही है ताकि जिनको अभी सहायता नहीं मिली है वे उसे प्राप्त कर सके ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के रोजगार की असन्तोषजनक दशा को देखते हुए क्या सरकार इस प्रकार का कोई कानून बनाने जा रही है जिसके अधीन सभी सरकारी उपक्रमों और रजिस्टर्ड गैर-सरकारी कम्पनियों को इस बात के लिए बाध्य किया जायेगा कि वे अपने यहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ प्रतिशत पद सुरक्षित रखें ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : आज़ाद हिन्द फौज के अधिकतर कर्मचारी, जो अब जिन्दा हैं, कठिनता से गुजर-बसर कर रहे हैं। क्या प्रतिरक्षा मंत्री उन सभी पर ध्यान देंगे और उनकी सहायता करेंगे ताकि आज़ाद हिन्द फौज और उसके भूतपूर्व कर्मचारियों का नाम उज्जवल रहे ? यदि वह स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो क्या वह हमें इस बात की अनुमति देंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से हम उन्हें आर्थिक सहायता दें ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या सरकार प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के इस वचन को पूरा करने की स्थिति में है कि आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सेनानियों को भूमि अथवा अन्य वस्तुओं के रूप में यथासम्भव अधिक सहायता दी जाये या उन सभी सैनिकों को, जो सेवा निवृत्ति की आयु को नहीं पहुँच पाये हैं, सशस्त्र सेना में वापिस ले लिया जाये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमें स्वतंत्रता दिलाने में कई शक्तियों का योगदान था। श्री सुभाषचन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज भी उन्हीं शक्तियों में से एक थी। प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरु के जिस वक्तव्य का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसमें यह कहा गया है कि : "इस पूरे प्रश्न पर सरकार ने एक नये दृष्टिकोण से विचार किया है ताकि किसी व्यक्ति पर यह कलंक न थोपा जा सके कि वह आजाद हिन्द फौज का सदस्य था।" यह आधारभूत बात मान ली गई थी। सरकार ने इस समस्या को एक नये ढंग से सुलझाने के लिए सफेद भूरे और काले के वर्गीकरण को ही समाप्त कर दिया था। आज़ाद हिन्द फौज के सेनानियों को भारतीय फौज में ले लेने के प्रश्न पर वक्तव्य में यह कहा गया था कि आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को भारतीय सेना में बहाल करने में अनेक कठिनाईयां सामने आती हैं। आज़ाद हिन्द फौज के कई सदस्य तो सामान्यतः फौज से कई वर्षों तक बाहर ही रहे हैं और उनकी सेवा वर्षों तक भंग रही है। इस प्रकार अब वे सेना के सम्पर्क में नहीं हैं और उन्हें फिर से सेना में भरती करने में अनेक व्यावहारिक और सैद्धान्तिक कठिनाइयां है।" अब 19 वर्षों के पश्चात यह

कठिनाइयां और भी जटिल हो गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये गये है आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सेनानियों को भूमि देने में प्राथमिकता दी जाती है किन्तु अन्ततः यह प्रश्न भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

1963 में आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व-सैनानियों की राहत के लिए 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से काफी रकम अभी तक वितरित नहीं की गई। इसका कारण यह है कि हम ने जिला सेवा बोर्डों और राज्य प्रशासनों को इस की सूचना भेजी थी किन्तु कई राज्यों ने मांग नहीं की है। रकम की अदायगी तभी हो सकती है जब उचित ढंग से आवेदन पत्र भेजा जाता है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूँ कि इस विशेष मामले में हम यथासम्भव सहायता करने के लिए तैयार हैं। इस सम्बन्ध में मैं राज्यों से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

जहां तक भूमि के नियतन का सम्बन्ध है आजाद हिन्द फौज के सेनानियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के साथ एक-सा व्यवहार किया जाता है। मैं इस विषय पर अनौपचारिक रूप से सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हूँ और जो उचित समझाये उसे करने के लिए तैयार हूँ।

इसके पश्चात लोक सभा वृहिस्पतवार 11 अगस्त, 1966/20 श्रावण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adaourned till Eleven of the clock on Thursday August 11, 1966/Sravana 20, 1888 (Saka)

Tirthraj Press, Allahabad